तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४२

सोमवार, १५ अप्रैल, १९६३
२५ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश म)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या ८५८ से ८६८, ८७१ और ८७३ . ४२०३—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७४, ८७५ और ८७७ . ४२३०—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १८९५ और १८९७ से १९०३ . ४२३२—५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४२५८

संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ४२५८

सभा का कार्य ४२५८—५९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४२५९—४२९७

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय— ४२५९—८२

श्री टे० सुब्रह्मण्यम् ४२५९

श्री अ० ना० विद्यालंकार . . . ४२६०

श्री प्र० कु० घोष . ४२६१—६२

श्री महेश्वर नायक ४२६२

श्री ओंकार लाल बेरवा ४२६२—६४

डा० क० ल० राव ४२६४—६५

श्री शिवमूर्ति स्वामी ४२६५—६७

श्री पु० र० पटेल ४२६७—७५

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् . ४२७५—८२

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय— ४२८२—९७

श्री ही० ना० मुकर्जी ४२८२—८५

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . ४२८५—८६

श्री यशपाल सिंह . ४२८६—९३

श्री व० ब० गांधी ४२९३

श्री श्याम लाल सर्राफ . ४२९३—९४

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . ४२९४—९५

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती . ४२९५—९६

श्री स० मो० बनर्जी . . ४२९६—९७

दैनिक संक्षेपिका

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, १५ अप्रैल, १९६३

२५ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बंगाली रेजिमेंट की स्थापना

+

†*८५८. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बंगाली रेजिमेंट की स्थापना करने के प्रस्ताव पर, जिसकी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रार्थना की है, पूरी तरह विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस रेजिमेंट की स्थापना के लिये जो मुख्य कारण दिये गये थे वे क्या हैं ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : श्रीमान्, सरकार की सामान्य नीति यथासंभव व्यापक आधार पर भर्ती करने की है परन्तु इस बात का ध्यान रखते हुए कि उससे सेना की कार्यकुशलता पर

†मूल अंग्रेजी में।

प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस नीति के अनुसार प्रविधिक सेनाओं (टेक्निकल आर्म्स) और सेवाओं (सर्विसिज़) में वर्गीकरण का उन्मूलन कर दिया गया है। अतः किसी रेजिमेंट को उसके जात-वर्ग के नाम से पुकारना ऐसी नीति के विरुद्ध होगा तथा वांछित भी नहीं होगा और वर्तमान परिस्थितियों में अनुचित होगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी वर्गीय रेजिमेंट इस समय विद्यमान हैं और यदि हां, तो उन्हें इस प्रकार के नाम क्यों दिये गये थे ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : ऐसी रेजिमेंट हैं तो परन्तु उनमें नये वर्गों को भी मिलाया जा रहा है।

श्री यशपाल सिंह : भारत में जो और भी ऐसे ग्रुप्स हैं, क्या उनके लिये भी सरकार अलग रेजिमेंट्स कायम करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा इरादा नहीं है और पिछली ऐसी रेजिमेंट्स में भी और लोगों को शामिल किया जा रहा है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस अभ्यावेदन के करने में पश्चिम बंगाल सरकार का यह इरादा नहीं है कि नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सेना में अधिक से अधिक बंगालियों को लिये जाने की बात क्योंकि ब्रिटिश राज में भी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, बंगालियों को जिन्हें कि रणप्रिय लोग नहीं माना जाता था, सेना में भर्ती होने के लिये कुछ सुविधायें दी जाती थीं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण):** पैदल सेना में बंगालियों की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब भी उदाहरणतः राजपूत पैदल सेना में बंगालियों को भर्ती किया जाता है। सच तो यह है कि यदि नाम थोड़ा बहुत महत्व रखता है तो बंगाली इंजीनियरिंग ग्रुप जैसी कोई चीज है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या हमें वर्गीय आधार पर नाम रखने को प्रोत्साहन देना चाहिये। एक बार यदि हम बंगाल को सम्मिलित करना मान लेते हैं तो संभव है कि कोई और भी आगे आ जाये। हमारा विचार तो यह है कि यदि हम कर सकें तो समय समय पर इसे निरुत्साहित करें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या ऐसा विचार नहीं है कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों को, चाहे उनकी परम्परायें रणप्रिय हों या न हों, विशेष प्रयास करके सेना में लाना चाहिये क्योंकि आज सेना का अर्थ शारीरिक बल ही नहीं अपितु समझ-बूझ समझा जाता है और सभी प्रकार के लोग उसमें भाग ले सकते हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** सिद्धांत को माना जाता है और जैसा कि मैंने कहा सभी वर्गों के लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन ने इस बात पर विचार किया है कि इस नई रेजिमेंट का नाम "बंगाली रेजिमेंट" न रख कर "बंगाल रेजिमेंट" रखा जाये, जिस से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध न हो कर किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष का ही बोध हो ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सब सोचा गया है और यह भी माना गया है कि अब यह ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इलियास** : कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि बंगाली रेजिमेंट की स्थापना के लिये उन्होंने केन्द्रीय सरकार से जोरदार अनुरोध किया था परन्तु उस अभ्यावेदन का उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के इस अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आज की घोषणा स्वयं ही उत्तर होगी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने जहां तक व्यवहार्य हो सके सशस्त्र सेनाओं में राज्यवार अनुपाती प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता की जांच की है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जैसा कि मैंने कहा है, एक बार यदि हम अनुपाती प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मान लेते हैं तो फिर उस अनुपाती प्रतिनिधित्व की कसौटी को अन्तिम रूप देना बड़ा कठिन हो जाता है।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा प्रश्न राज्यवार प्रतिनिधित्व देने के बारे में था।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : निश्चय ही इस सिद्धांत को माना जाता है कि रणप्रिय और रणप्रिय न होने वाले लोगों जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिये और जहां तक हो सके हमें धीरे धीरे विभिन्न प्रदेशों से लोग लेते रहना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उपमंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार किसी राज्य विशेष का नाम रखने के पक्ष में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मराठा रेजिमेंट जैसी वर्तमान रेजिमेंटों के नाम बदले जाने वाले हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें हटाया जायेगा या नहीं। इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका फैसला वह करेंगे या मैं ? वह प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया है। श्री यशपाल सिंह ने प्रश्न पूछा था और उत्तर दिया गया था कि धीरे धीरे औरों को भी ऐसी रेजिमेंट्स में शामिल किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न और था।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सर्राफ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत क्योंकि एक है इसलिये क्या सरकार की नीति सभी यूनिटों को उत्तरोत्तर मिश्रित यूनिट बनाने की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न को पूरी तरह से नहीं समझ सका हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह वैसा ही जैसा कि पहले पूछा गया था।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : श्रीमान्, जो कुछ मैंने भिन्न शब्दों में कहा था क्या मैं उसे दुहरा दूं ? वर्गीकरण को पूर्णरूप से मिटाना इस समय सुकर नहीं है। इसमें काफी समय लग जाएगा, संभवतः एक पीढ़ी तक लग सकती है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इसमें कितना

---

†मूल अंग्रेजी में

समय लगेगा परन्तु इस बारे में मेरे दिमाग में कोई सन्देह नहीं है कि इसे यथासंभव शीघ्र समाप्त होना चाहिये । जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो वर्तमान नामों को बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता समिति के एक सदस्य ने बड़ी जोरदार सिफारिश की है कि ऐसे नाम नहीं रखे जाने चाहियें क्योंकि उनसे प्रान्तीयता पैदा होती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल किया जाना

\+

*८५९. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती जमुना देवी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक एककों में श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करने के लिए जो योजना बनाई गई थी, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : ३१ मार्च, १९६३ को निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के ५३ प्रतिष्ठान 'प्रबन्ध मैं मजदूरों का योगदान' सम्बन्धी योजना चला रहे थे जब कि पिछले साल इस प्रकार के प्रतिष्ठानों की संख्या २९ थी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि किस प्रकार से श्रमिक प्रबन्ध में शामिल हो रहे हैं ? क्या निदेशकों के बोर्ड में उन्हें स्थान प्राप्त है अथवा वे केवल उन समितियों के सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं जो इन प्रतिष्ठानों की देखभाल कर रही ह ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : कुछ प्रतिष्ठानों में वे निदेशक के पद पर हैं । सामान्यतः वे परामर्श-दात्री समितियों में होते हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि इन श्रमिकों ने परामर्श देने की हैसियत में ही भाग लिया है, कार्यपालक हैसियत में नहीं ? यदि हां, तो क्या मंत्रालय प्रतिष्ठानों से यह सिफारिश करने जा रहा है कि मजदूरों (लेबरर्स) को कार्यपालक पद संभालने का अवसर दिया जाना चाहिये ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : श्रीमान्, मुझे 'लेबरर' शब्द पर आपत्ति है । हम सदा 'वर्कर' शब्द का प्रयोग करते ह ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : जिस निकाय के द्वारा योगदान का काम चलता है उसे संयुक्त प्रबन्ध परिषद् कहा जाता है जिसके गठन में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है । इसका एक भाग समिति को कुछ कार्यपालक शक्तियां, श्रमिकों के कल्याण

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये केन्टीनों और ऐसी ही अन्य सेवाओं के प्रशासन के लिये कुछ विशिष्ट कृत्य सौंपता है । शेष तो विषयों के बारे में परामर्श ही है । फिर उन्हें समवाय के कार्यकरण, उसके लेखे और सन्तुलन-विवरण आदि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये ।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान के इस पहलू का अध्ययन करने के लिए १९५२ में श्रम मंत्रालय द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी तथा बाद में उसने एक प्रतिवेदन दिया था । क्या मैं जान सकता हूं कि उसे क्रियान्वित करने में सरकार कहां तक सफल हुई है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : यह १९५२ में नहीं बनी थी । यह १९५८ से शुरू हुई । इस त्रिपक्षीय निकाय में जो भी निर्णय किये गये हैं उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है । जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों तरह के कुल ५३ प्रतिष्ठानों में क्रियान्वित किया गया है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : सभी राज्यों तथा केन्द्र में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के बनाये जाने की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : केन्द्र में एक मंडली है जो इन संयुक्त प्रबन्ध परिषदों को बढ़ावा देती है । राज्यों की भी अपनी उप समितियां हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : पक्का माल काटन मिलों में या चीनी मिलों आदि में तब बनता है जब उनको खेतीहर और खेतीहर मजदूर कच्चा माल सप्लाई करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या खेतीहरों और खेतीहर मजदूरों को भी सरकार इस में शामिल करने जा रही है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : इस में तो वही शामिल होते हैं जो मिलों में या फैक्ट्रीज़ मैं काम करते है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैंने पूछा था कि क्या खेतीहरों और खेतीहर मजदूरों को भी शामिल सरकार करेगी, इसका जवाब नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया है कि जो मिलों में काम करते हैं, सिर्फ वही शामिल होंगे ।

श्री विभूति मिश्र : यह तो नैगेटिव जवाब हुआ । इसका जवाब हां में या न में दिया जाना चाहिये ।

†**श्री र० कि० मालवीय** : अगर खेतीहर मजदूर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो वे शामिल हो सकेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे साफ साफ उत्तर चाहिये क्योंकि जो उत्तर दिये गये है वे टालने वाले हैं । जहां तक उत्पादिता का सम्बन्ध है, जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है और जहां तक प्रोत्साहन बोनस तथा अन्य बोनसों के रूप में लाभ के बांटे जाने का सम्बन्ध है, इस बारे में अब तक हमने क्या प्रगति की है ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है अर्थात् लाभों का बांटा जाना, यह संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के क्षेत्र के बाहर है । यह संघों और प्रबन्ध के बीच की बात है । जहां तक उत्पादिता का सम्बन्ध है, जो दो गोष्ठियां हुई थीं उनमें प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों,

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिकों और राज्यों के प्रतिनिधियों आदि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का मत स्पष्ट हो गया था कि जहां कहीं भी यह प्रयोग किया गया है वहां बढ़ी हुई उत्पादिता तथा अधिक अच्छे सम्बन्धों के रूप में अच्छे परिणाम ही निकले हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : उन नियोजकों के विरुद्ध सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं जो प्रबन्ध में श्रमिकों के शामिल होने में बाधा डाल रहे हैं तथा साथ ही आपातकाल में इस योजना को बढ़ावा देने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक आपात स्थिति का प्रश्न है, संयुक्त रूप से काम करने के प्रयोजन के लिये आपातकालीन उत्पादन समितियों द्वारा जो कि सारे उद्योग में फैल रही हैं एक विशेष निकाय बनाया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं इसके बारे में मेरे माननीय सहयोगी पहले ही बता चुके हैं। इस प्रश्न के बारे में कि "यदि कोई बाधा है तो हम क्या करते हैं ?" हमने अभी तक इसे स्वैच्छिक आधार पर ही छोड़ रखा है। हम उनसे अनुनय करते हैं। बाधा कभी श्रमिकों की ओर से पड़ती है और कभी प्रबन्धकों की ओर से।

***श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान की इस विशेष योजना को सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में, जैसे कि रेलवे, डाक तथा तार और प्रतिरक्षा और सारे सरकारी निगम, बिल्कुल भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और आपात स्थिति में भी इस योजना को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है।

†**श्री नन्दा** : सरकारी क्षेत्रों में कुछ प्रतिष्ठानों ने इसे अपनाया है, सभी ने नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने तीन का उल्लेख किया है।

†**श्री नन्दा** : उन्हें भी हम समझाने का प्रयत्न करते रहे हैं। यह एक अच्छी चीज है। उन्हें भी इसे अपनाना चाहिये और मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

श्री क० ना० तिवारी : इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो वर्कर्ज़ पार्टिसिपेशन की स्कीम है, इसको क्या एग्रिकलचरल सैक्टर में भी लागू करने का आपका विचार है ?

श्री र० कि० मालवीय : अभी तो नहीं है। अभी तो फेक्ट्रीज़ में जो वर्कर्ज़ काम करते हैं, उनके लिए ही यह है।

भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

\+

*८६०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी०चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

†मूल अंग्रेजी में

श्री मरंडी :
श्रीहेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान और चीन के विमानों ने कितनी बार भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया ;

(ख) क्या सरकार ने विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त और भी कोई कड़ी कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह अतिक्रमण उन स्थानों पर विशेषत: हुआ जहां हमारे सैनिक पड़ाव हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) (१) जनवरी, १९६३ से पाकिस्तानी विमानों ने ६ बार भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया है और चीनी विमानों ने कोई भी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ये अतिक्रमण जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब और त्रिपुरा में किये गये हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे कुछ दिनों के लिये जब प्रधान मंत्री जी रक्षा मंत्री का कार्य भी कर रहे थे और इसी प्रकार पाकिस्तानी विमानों के अतिक्रमण हुए थे तो उन्होंने बताया था कि यदि आवश्यक हुआ तो विरोधपत्रों के अतिरिक्त कुछ और कदम उठाने के संबंध में भी सरकार निश्चय करेगी। अब दुबारा जब यह सूचना दी जा रही है कि छः बार और पाकिस्तानी विमानों ने अतिक्रमण किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुछ और मजबूत कदम उठाने का भी इस संबंध में निश्चय किया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** मैं समझता हूं कि संबंधित प्राधिकारी सदा ही इसका ध्यान रखते हैं। कड़ी कार्यवाही करना प्रत्येक मामले की संभावनाओं पर निर्भर करता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जम्मू काश्मीर, पंजाब और त्रिपुरा में जिन पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है वे विमान क्या उन स्थानों पर उड़े हैं जहां पर मुख्य रूप से हमारे सैनिक पड़ाव थे और यदि हां, तो कितनी ऊंचाई पर वे विमान उड़े और क्या उन्होंने उन स्थानों के कोई चित्र आदि लेने का भी यत्न किया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कहना मुश्किल है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की पिछले दिनों जो बैठकें हुई थीं, उन में क्या यह प्रश्न उठाया गया था और क्या यह जोर डालने का प्रयत्न किया गया था कि अगर इस तरह की घटनायें होती रहीं तो दोनों देशों के बीच कटुतापूर्ण वातावरण बना रहेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस विशेष बात के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक भारतीय इलाके का संबंध है इन वायुयानों के उड़ने की अधिकतम सीमा क्या है तथा लगभग कितना समय वे हमारी वायु सीमा में रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** वे थोड़े से समय के लिये रहे और कुछ मामलों में यह संभव हो सकता है कि अतिक्रमण सीमांत ही थे ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या मैं जान सकता हूं कि जो जगह चीनियों द्वारा खाली की गई है क्या उसमें वायुयानों या चीन के वायु हमले से बचाव की आड़ लेकर सड़कें बनाई जा रही हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझ नहीं पाया ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या मैं जान सकता हूं कि जिस जगह को चीनियों ने खाली कर दिया है या जहां से वे हट गये हैं वहां वे चीन के वायु हमले से बचाव का विचार लेकर सड़कें या किसी प्रकार के संचार माध्यम बना रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो बिलकुल ही अलग चीज है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या इस आशय की अखबारी खबरों में कोई तथ्य है कि चीन सिक्किम और भूटान में भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण कर रहा है और भारत पर चीनी वायु सीमा का अतिक्रमण करने का झूठा आरोप लगाता है तथा यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह आशंका करने अथवा विश्वास करने का कोई कारण है कि पिछले ढंग के अनुरूप यह केवल सिक्किम और भूटान की ओर से भारत पर चीनी आक्रमण की भूमिका है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ मत है, कुछ निष्कर्ष हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी हां । इसके अतिरिक्त मुझे याद नहीं कि सिक्किम में कोई जबरदस्ती हुई हो । मैं यह नहीं कह सकता कि कोई हुई ही नहीं लेकिन मुझे याद नहीं है । मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है जैसा कि माननीय सदस्य ने निकाला है ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि वायु सीमा के इन अतिक्रमणों तथा १९६१–६२ की तत्संबंधी अवधियों में हुए ऐसे ही अतिक्रमणों में क्या तुलना है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** तुलना करना तो जरा कठिन है.....

†**अध्यक्ष महोदय :** वृद्धि हुई है या कमी हुई है ।

†**श्री कपूर सिंह :** हां ।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** इस समय मेरे पास पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं हैं । छः अतिक्रमणों की संख्या भी काफी है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मित्र देशों से मिलने वाली वायु सहायता में यह अनुबन्ध है कि इसे वास्तविक लड़ाई में ही प्रयोग किया जा सकता है तथा यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसे देखते हुए हमारी वायु सेना को यहां तक निपुण बना दिया गया है कि वह हमारी वायुसीमा का अतिक्रमण करने वाले विदेशी वायुयान को गोली मार कर नीचे गिरा सके ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो बिलकुल ही अलग चीज है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्री डीजल इंजन

+

†*८६१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में जाने वाले जलपोतों और अन्तर्देशीय जलवाहनों के लिए समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण का एक कारखाना स्थापित करने के लिये मद्रास को चुना गया है ;

(ख) क्या इस परियोजना में कोई विदेशी औद्योगिक समवाय सहयोग देगा ; और

(ग) कारखाना कब इंजनों का निर्माण करना आरम्भ करेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां । मद्रास के समीप एन्नोर को चुना गया है ।

(ख) पश्चिम जर्मनी के मैसर्स एम० ए० एन० सहयोगी हैं ।

(ग) १९६५ के प्रारम्भ में ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या हम इस परियोजना की वित्तीय अन्तर्ग्रस्तता के बारे में जान सकते हैं ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** यह ५.५३ करोड़ रुपये होगी ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि मैसर्स वाइकर्स आर्मस्ट्रांग ने मद्रास के निकट ट्रक बनाने की एक और परियोजना को हाथ में ले लिया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इस परियोजना को भी वही बनायें ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** यह भी एक और सुझाव है । दी गई जानकारी उस वचन के बारे में है जो हमने दिया है । यह एक और सुझाव है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** समुद्री डीजल इंजनों की कुल आवश्यकता कितनी है और आजकल कितने आयात किये जाते हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यह जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं वित्तीय उपार्पण के बारे में बता सकता हूं । कुल आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है ।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या मैं जान सकता हूं कि प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** इस समय सारी चीज बातचीत के दौर में हैं । हमने कुछ वचन दिये हैं । सारे व्योरों को तैयार किया जाना है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मामूली इंजनों और डीजल इंजनों की चाल और खर्च में कितना अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मामूली इंजनों और डीजल इंजनों की चाल में कितना अन्तर है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : चाल और खर्च में कितना अन्तर है?

†**अध्यक्ष महोदय :** खर्चे में क्या अन्तर होगा ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यह तो बड़ा कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रतिरक्षा मंत्री के लिये बताना कठिन है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** मजगांव तथा गार्डन रीच में समुद्री इंजन बनाने की एक योजना प्रतिरक्षा मंत्रालय के विचाराधीन थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन दो कारखानों का समुद्र में जाने वाले जलपोतों के लिये समुद्री इंजन बनाने के लिये प्रयोग करेगी ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** समुद्री इंजन बनाना बड़ा विशेषीकृत और जटिल काम है जिसे कि किसी विशेषीकृत समवाय द्वारा किया जाना होगा । यह गार्डन रीच वर्कशाप ही के अधीन काम करेगा ।

†**डा० क० ल० राव :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कारखाने के खोले जाने के लिये आरम्भ में विजग या आंध्र प्रदेश का कोई स्थान सोचा गया था और अब उसे किन कारणों से छोड़ दिया गया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** इस स्थान को अधिक अच्छा समझा गया था ।

'मिग' के कारखाने

\+

†*८६२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिग' के कारखानों की स्थापना के लिये कोई स्थान चुन लिये गये हैं ;

(ख) क्या इन कारखानों को स्थापित करने के लिये रूसी सरकार द्वारा किसी वित्तीय सहायता का भी आश्वासन दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) वायुयानों के ढांचे बनाने वाले कारखाने के लिये महाराष्ट्र राज्य में नासिक को चुना गया है। तथा वायुयानों के इंजन बनाने वाले कारखाने की स्थापना के लिये उड़ीसा राज्य में कोरापुट को चुना गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री यशपाल सिंह : कब तक यह आशा की जाय कि यह मिग विमानों का काम भारत में चालू हो जायेगा और हम उसके मिग विमानों का फायदा उठा सकेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : हमें आशा है कि १८ महीनों और २ वर्षों के बीच बीच।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह बात भी सही है कि मिग विमानों से ऊंची किस्म के विमान अब तैयार हो रहे हैं, और क्या उनके लिये सरकार ने किसी देश के साथ बातचीत की है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो बातचीत की है वह आपके सामने रखी है, और कोई बात करनी हो तो दूसरी चीज है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा सरकार इस प्रयोजन के लिये भूमि का कुछ भाग अर्जित कर चुकी है और यदि हां, तो उस क्षेत्र में परियोजना को कब स्थापित किया जाएगा ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : उड़ीसा सरकार ने निश्चय ही कारखाने के लिये सभी सुविधाओं के देने तथा पानी और बिजली के भी संभरण करने का वचन दिया है।

†**श्री महेश्वर नायक** : इसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि परियोजना प्रतिवेदन कब तैयार होता है। जब सभी आवश्यक प्रविधिक तैयारियां हो जायेंगी तो निश्चय ही यह चालू हो जायेगी।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस का क्या कारण है कि मिग कारखाने का एक हिस्सा महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है और दूसरा उड़ीसा में ? क्या इससे खर्च ज्यादा नहीं पड़ेगा ? अगर इस के लिये कोई खास वजह है तो क्या वह बतलाई जा सकेगी ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जिस प्रविधिक समिति ने इस क्षेत्र का दौरा किया था उसी ने इसकी सिफारिश की है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : रूस में, और चीन में भी, कई तरह के मिग चल रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कारखाने का इरादा विभिन्न प्रकार के मिगों के बारे में भारत तथा चीन के बीच समार्हता लाने का है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : हमारे पास जो है वह नवीनतम प्रकार का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** मैं समझती हूं कि 'नैट' की तरह, जो कि बंगलोर में बन रहा है, यह वायुयान सभी ऋतुओं के लिए उपयुक्त नहीं है । यदि हां, तो क्या वायुसेना मुख्यालय द्वारा इस वायुयान की क्षमता का निर्धारण कर लिया गया है और क्या वे इसके कार्य से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** जी हां ।

†**श्री त्यागी :** क्या इस कारखाने में हवाई जहाज के इंजन भी बनाये जायेंगे और यदि हां, तो ये हवाई इंजन किस किस्म के होंगे ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** अवश्य, इंजन कारखाने में हवाई इंजन बनाये जायेंगे । अन्य प्रविधिक ब्योरों के बारे में मैं ,आवश्यक जानकारी नहीं दे सकूंगा ।

श्री ओंकार लाल बैरवा : मैं जानना चाहूंगा कि इस कारखाने के अन्दर क्या वैसे ही मिग विमान बनेंगे जैसे कि रूस ने हमें दिये हैं या उससे ऊंची क्वालिटी के बनेंगे । उसने हमें पुरानी क्वालिटी के विमान दिये हैं और चीन को नई क्वालिटी के, जो कि पुरानों से ज्यादा अच्छे हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने पहले बतलाया कि जो विमान उन्होंने हम को दिये हैं वे उनके सब से अच्छे विमान हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस तथ्य को देखते हुए कि हाल ही में वाशिंगटन में श्री पटनायक द्वारा यह प्रकट किया गया था कि चीनियों के हवाई आक्रमण के विरुद्ध पराध्वनिक[1] तथा अवध्वानिक[2] वायुयान आवश्यक नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकटीकरण के प्रकाश में मिग विमानों की उपयोगिता की जांच कर ली गई है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** मैं नहीं जानता कि 'प्रकटीकरणों' से माननीय सदस्य का ठीक ठीक अभिप्राय क्या है । यह तो केवल एक व्यक्तिगत मत है जो उन्होंने व्यक्त किया था .....

†**अध्यक्ष महोदय :** इस भाग को छोड़ दिया जाये । प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दिया जाये कि क्या इसकी उपयोगिता की जांच कर ली गई है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** मेरे विचार में मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं और मैंने 'हां' कहा है । इसका निर्धारण कर लिया गया है ।

बाल चलचित्रों का निर्माण

†*८६३. **श्री प० कुन्हन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र विभाग द्वारा बाल चलचित्रों के निर्माण के कार्य को अपने हाथ में लेने की सम्भावनाओं पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

†**श्री प० कुन्हन :** निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Supersonic.

[2]Sub sonic.

†**श्री शामनाथ** : चलचित्र विभाग के नियंत्रक महोदय इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं और वह हमें बहुत शीघ्र ही यह बतलायेंगे कि इस कार्य को करने के लिये किन अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होगी ।

†**श्री पी० कुन्हन** : बाल चलचित्र संस्था को अब तक क्या सहायता दी गई है ?

†**श्री शामनाथ** : जहां तक बाल चलचित्र संस्था को दी गई वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, १९६२–६३ तक ४८ लाख ५० हजार रुपये की सहायता दी गई थी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, फिल्म डिवीजन के द्वारा बच्चों के चित्र बनाने का जो आयोजन किया जा रहा है क्या उसका यह कारण है कि चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी नाम की संस्था बिल्कुल असफल रही है या कोई दूसरी बात है ?

श्री शामनाथ : नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या बाल चलचित्र संस्था के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे और क्या उनकी कोई जांच की गई है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाम नाथ** : इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पूर्व दिया गया था । सरकार द्वारा नियुक्त किये गये तीन अधिकारियों ने संस्था के समस्त कार्य संचालन की जांच की थी और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था और संस्था की कार्यपालक समिति ने उन तीन अधिकारियों की उपपत्तियों पर कुछ कार्यवाही की है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कार्यवाही के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर यह है कि कार्यवाही कर ली गई है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था कि इस योजना पर किस कारण से विचार किया जा रहा है? एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि वह संस्था असफल रही है इसलिये फिल्म डिवीजन बना रहा है, लेकिन अगर यह कारण नही है तो क्या कारण है जिस की वजह से ऐसा विचार किया जा रहा है ?

†**श्री शाम नाथ** : श्रीमन्, तत्काल कारण यह था कि प्राक्कलन समिति ने अपने १५९वें प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था और इसलिये इसकी जांच की जा रही है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाल चलचित्र संस्था के मामलों की जांच करने के लिये भारत सरकार ने जो तीन अधिकारी नियुक्त किये थे उन्होंने गम्भीर आक्षेप लगाये हैं तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि बाल चलचित्र संस्था के सचिव को त्यागपत्र देना पड़ा, क्या प्रबन्धक समिति को, जो कि इसके कुप्रबन्ध के लिये पूर्णरूपेण उत्तरदायी थी, बदलने के लिये कोई प्रस्ताव किया गया है ?

†**श्री शाम नाथ** : समिति को पुनर्गठित करने का हमारा विचार है और जैसे ही वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा वैसे ही नवीन सदस्यों के चुने जाने की आशा है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या बाल मनोविज्ञान के कुछ विशेषज्ञ इस चलचित्र विभाग के सदस्य होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ :** सम्पूर्ण प्रश्न की जांच की जा रही है और जब हमें यह ज्ञात होगा कि किन अतिरिक्त सुविधाओं के दिये जाने की आवश्यकता होगी तो इस पहलू पर भी विचार किया जा सकेगा ।

विमान परिवहन सेवा

*८६४. { +**श्री ओंकार लाल बेरुवा :**
श्री कछवाय :
श्री प्रिय गुप्त : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विमान परिवहन सेवा को जन उपयोगी सेवा बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उप मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक संशोधी विधेयक शीघ्र ही पेश किये जाने की संभावना है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अभी देश में विमान परिवहन का काम कौन कौन सी प्राइवेट कम्पनियां कर रही हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २ (ख) के अधीन उपयुक्त सरकार को, जो कि इस मामले में राज्य सरकार है, इसे जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करना पड़ता है । विमान परिवहन सेवा को जन उपयोगी सेवाओं में सम्मिलित करने के लिये हम अधिनियम को संशोधित करने का विचार कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है : ऐसी कौन कौन सी गैर-सरकारी कम्पनियां हैं जो कि इस समय विमान परिवहन सेवा का कार्य कर रही हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** मेरा विचार है कि यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके पास उत्तर नहीं है । यह इसके अन्दर नहीं है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : इसी के अन्दर है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर इसी में है तो इस वक्त उनके पास जवाब नहीं होगा । आप और सवाल कीजिए ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या आपकी कोई सरकारी कम्पनी इस काम को कर रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विमान परिवहन सेवा को जन उपयोगी सेवा बनाने का निर्णय किया है । इसके लिये उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है । हम अधिनियम को ही संशोधित करने का विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह केवल आपात काल के रहने तक ही जन उपयोगी सेवा बनाई जायेगी अथवा यह अन्तिम निर्णय किया गया है कि विमान परिवहन सेवा एक जन उपयोगी सेवा होगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : विमान परिवहन सेवा हमारी रेलवे, तार सेवाओं तथा डाक सेवाओं की श्रेणी में ही आयेगी। समगति से इसे भी जन उपयोगी सेवा बना दिया जायेगा।

वायु सेना के विमान-चालकों का प्रशिक्षण

†*८६५. + **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न असनिक 'फ्लाइंग क्लबों' में वायु सेना के विमान चालकों को प्रशिक्षित करने की आपातकालीन योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किन क्लबों का उपयोग किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई फ्लाइंग क्लब, बम्बई, दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली, मद्रास फ्लाइंग क्लब, मद्रास, नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर तथा हिन्द प्राविन्सियल फ्लाइंग क्लब, कानपर को भारतीय वायु सेना के विमान चालक प्रशिक्षार्थियों को उड्डयन में प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने के लिये चुना गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कोई नई प्रशिक्षण संस्था खोलने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : भारतीय वायु सेना द्वारा अन्य प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही खोल दिये गये हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की अवधि घटा दी गयी है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जी, हां।

ग्राम श्रम जांच

†*८६६. + **श्री अ० व० राघवन** :
श्री प० कुन्हन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम श्रम जांच सम्बन्धी क्षेत्र कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या जांच के ब्योरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्षेत्र कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) ग्राम श्रम जांच के क्षेत्र कार्य को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के १८वें दौर के साथ समेकित कर दिया गया है ।

(ख) अनुसूचियों, संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं, अनुदेशों, अग्रिम सर्वेक्षण, क्षेत्र कार्य के कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि का रूपांकन करने का कार्य पूरा हो गया है ।

(ग) क्षेत्र कार्य फरवरी, १९६३ में प्रारम्भ हो गया था ।

†**श्री अ० व० राघवन** : क्या जांच अखिल-भारतीय स्तर पर होगी अथवा यह एक यादृच्छिक जांच होगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन**: जो कुछ जांच हुई है वह ८३० निर्धारित गांवों में की गई है और इसमें कृषि श्रमिकों के ११००० परिवार अंतर्ग्रस्त थे । फिर वास्तव में यह रोजगार, बेरोज़गारी, मजूरी, कृषि साधनों से परिवार की औसत आय, परिवार का औसत उपभोग, मुख्य उपभोगकर्ताओं के समूहों द्वारा किया गया व्यय और कृषि श्रमिकों की ऋणग्रस्तता से सम्बन्धित थी ।

†**श्री अ० व० राघवन** : इस विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए उचित जांच करने के लिये क्या एक पर्याप्त साधन की खोज की जा रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : इसे संक्षिप्त होना ही चाहिये । संक्षिप्त और व्यापक हुए बिना तथा अनेकों परिवारों, ग्रामों तथा प्रदेशों को भी दर्शाये बिना कोई भी साधन पर्याप्त नहीं हो सकता ।

†**श्री प० कुन्हन** : किन किन राज्यों में अभी तक पूरा पूरा सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मेरा विचार है कि यह समस्त देश में की गई है । मैं यह नहीं जानता कि इसमें अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भी सम्मिलित हैं अथवा नहीं, अन्यथा यह समस्त देश में की गई है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की बेरोज़गारी बढ़ गई है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन**: मैं यह बता सकने में प्रसन्न हूं कि अब तक के मुख्य निष्कर्ष यह है :—

(क) कृषि श्रमिकों के परिवारों की औसत आय में (सभी साधनों से) वृद्धि हुई है;

(ख) कृषि श्रमिकों के रोजगार की स्थिति में थोड़ी सी वृद्धि हुई है । १९५०–५१ में बेरोजगारी के ९८ दिनों (एक कम अनुमानित संख्या) को सच मानते हुए भी, वस्तुतः कार्याभाव के कारण बेरोज़गारी के दिनों में कमी हुई है जो कि १९५०–५१ के ७२ से घटकर १९५६–५७ में ५६ हो गये हैं ;

(ग) ऐसा पता चला है कि कृषि में मजूरी की दरों में गिरावट आई है ;

(घ) भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सामान्य सुधार देखा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) ऋणग्रस्तता में जो वृद्धि हुई है वह उपयोग प्रयोजनों की तुलना में अधिकांशतः उत्पादन, सामाजिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये अधिक ऋण लेने के परिणामस्वरूप हुई है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकारों ने रूरल एरियाज में जो कम्पलसरी श्रमदान की स्कीम चालू की है उससे शहरों के साथ डिसपैरिटी क्रिएट होती है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** इसका स्वरूप व्यापक है। राज्य सरकारें हमारी वहीं सहायता करती हैं जहां तक इस जांच का सम्बन्ध है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या राज्य सरकारों ने ऐसा किया है कि गांवों में श्रमदान कम्पलसरी कर दिया है और शहरों को उससे एग्जेम्प्ट रखा है ? अगर हां, तो क्या यह रूरल एरियाज और अरबन एरियाज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रमदान है या बेगार है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** यहां किसी श्रमदान का प्रश्न नहीं है । हम केवल ग्रामीण आय तथा ऋणग्रस्तता के ब्यौरे प्राप्त कर रहे हैं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** ग्रामीण ऋण जांच समिति के अनुसार ग्रामीण भारत में कृषि-आर्थिक उद्योगों की स्थिति क्या है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** जहां तक ग्रामीण उद्योगीकरण का सम्बन्ध है हम इसमें अब तक थोड़ा ही सुधार देख पाये हैं। इसके अतिरिक्त. मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

†**श्री तुलशीदास जाधव :** यह जो भूमिहीन मजूरी को गांवों में काम नहीं मिल रहा है, क्या इसके लिये सरकार कोई खास इन्तिजाम करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री चे० र० पट्टाभिरामन :** स्वयं भूमि सीमा अधिनियम ने ही भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में कमी करने में सहायता की है और समस्त भारत में इसका यही प्ररूप रहा है ।

†**श्री क० न० तिवारी :** वर्ष में कितने दिन ग्रामीण श्रमिक को रोजगार मिलता है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** मैं ने आंकड़े बता दिये हैं। बेरोजगारी के दिनों की संख्या ९८ से घट कर ७२ हो गयी है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि जब तक कृषकों की आय में वृद्धि नहीं हो जाती तब तक श्रमिकों को अधिक मजूरी देना सम्भव नहीं होगा । क्या एक प्रशुल्क आयोग को नियुक्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि कृषक की आय में हुई वृद्धि के अनुपात में ही श्रमिक की मजूरी में वृद्धि की जा सके ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** यह सच है कि हमारा उद्देश्य कृषि श्रमिक की आय में वृद्धि करना है परन्तु उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य उसे सभी सुविधायें देने का है जिससे कि वह सभी साधनों से ऋण न लें । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण, बीज, खाद के देना आदि सब चीजें वास्तव में उसकी सहायता कर रही हैं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मेरा प्रश्न इससे भिन्न था। वह यह था। जांच प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अधिकांश कृषकों की आय कम हो गई है और वे श्रमिकों को अधिक मजूरी देने की स्थिति में नहीं हैं । प्रतिवेदन में यह उपपत्ति दी गई है। आपने उसे पढ़ा होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं ने उसे नहीं पढ़ा है। वह मुझ से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय कृषकों की आय में वृद्धि न हो श्रमिकों को किस प्रकार अधिक मजूरी दी जा सकती है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : इसे फुटकर मूल्यों से सम्बद्ध रखना है । क्योंकि फुटकर मूल्य साधारणतया थोक मूल्यों से अधिक होते हैं तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन काम करने के दिनों के लिये जिन्स के रूप में मजूरी दी गई थी उनका अनुपात १९५०–५१ की तुलना १९५६–५७ में अधिक था कुल प्रभाव यह हुआ कि १९५०–५१ की तुलना में १९५६–५७ में दी गई मजूरी का नकद मूल्य कम था ।

†**श्री कपूर सिंह** : अनिवार्य **श्रमदान** की आधुनिक पद्धति तथा **बेगार** की प्राचीन सामन्ती पद्धति के बीच यदि कोई मूल्य अन्तर है तो वह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह इसका उत्तर दे रहे हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मेरा विचार है कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा । यह कृषि श्रमिक से सम्बन्धित एक प्रश्न है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : **दान** अनिवार्य किस प्रकार हो सकता है ?

†**श्री त्यागी** : क्या इस जांच से कृषि श्रमिक द्वारा आजकल उपार्जित प्रतिदिन की औसत मजूरी के किन्हीं आंकड़ों का पता चलता है ? यह औसत स्वतंत्रता के पूर्व की औसत की तुलना में कैसी है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह विचाराधीन मदों में से एक है । मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता । इससे कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति में केवल सुधार का पता लगता है ।

†**श्री त्यागी** : जब तक जांच पूरी न हो जाये यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

कुछ माननीय सदस्य उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । एक ही समय पर तीन अथवा चार सदस्य नहीं । श्री त्यागी स्पष्टीकरण के लिये पूछ सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था । मैं ने यह पूछा था कि आजकल कृषि श्रमिक की ठीक ठीक औसत आयु क्या है । यदि जांच से भी यह उपपत्ति नहीं मिली है, तो सरकार के पास और क्या है मैं यह नहीं समझ सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तर्क कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

आकाशवाणी से संसद् की कार्यवाही का प्रसारण

†*८६७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से प्रतिदिन संसद् की कार्यवाही के प्रसारण के लिए कितना समय (प्रसारण घंटे) आवंटित किया गया ;

(ख) ये कार्यवाहियां किन-किन प्रकार के रेडियो कार्यक्रमों में प्रसारित की जाती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गत दो वर्षों में आकाशवाणी के प्रसारणों में सँसद् की कार्यवाही को अधिक स्थान देने के लिए कौन-कौन से नये तथा अतिरिक्त कार्यक्रम आरम्भ किये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) संसद् की कार्यवाही के प्रसारण के लिये कोई विशिष्ट समय आवँटित नहीं किया गया है ।

(ख) इस समय सँसद् की कार्यवाही आकाशवाणी के केवल समाचार-सारों में ही प्रसारित की जाती है ।

(ग) कोई नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस सदन में माननीय मँत्री द्वारा दिये गये भाषणों को छोड़ कर, क्या मैं जान सकता हूँ कि विशेष रूप से विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों में कही गई बातों पर प्रकाश डालने के लिये उनके मँत्रालय द्वारा क्या आकाशवाणी को कोई विशेष अनुदेश दिये गये हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : जी, नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सँसद् की कार्यवाही आकाशवाणी द्वारा प्रतिदिन प्रसारित किये जाने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि उन संवाददाताओं को जिन्हें कि सँसद् की कार्यवाही को लिखना होता है अच्छी प्रविधिक प्रशिक्षण देने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

†**श्री शाम नाथ** : जो लोग सदन की कार्यवाही को लिखते हैं वे आकाशवाणी के सर्वोत्तम संवाददाताओं में से हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तम प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक सुझाव दे दिया है और मँत्री महोदय उस पर विचार करेंगे ।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो ब्राडकास्टिंग होती है उस में डिबेट में बोलने वाले मैम्बर्स के केवल नाम पढ़ दिये जाते हैं, यदि हां तो कम से कम केवल उन के नाम ही न दिये जायें . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बहस कर रहे हैं ।

श्री शिव नारायण : सवाल मेरा यह है कि ब्राड कास्ट में डिबेट में जो मैम्बर्स हिस्सा लेते हैं उन के केवल नाम पढ़ दिये जाते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप की शिकायत है सवाल तो नहीं हुआ ।

श्री शिव नारायण : मैं चाहूँगा कि आयन्दा से सरकार मेहरबानी कर के उन की स्पीचेज का जिस्ट भी दिलवाया करे ।

अध्यक्ष महोदय : पहले शिकायत थी अब सजैशन हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी** : कुछ समय पूर्व आकाशवाणी के एक सँसदीय विवरणकार द्वारा संसद् की कार्यवाही पर समाचार-दर्शन प्रसारित किया जाता था, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन कारणों से वह कार्यक्रम बन्द किया गया है ।

†**श्री शामनाथ** : उस कार्यक्रम को आपातकाल के कारण बन्द करना पड़ा क्योंकि यह आवश्यक समझा गया था कि उस ऐसे समय पर जबकि बहुत से लोग रेडियो सुनते हों समकालीन महत्व के किसी कार्यक्रम को प्रसारित किया जाना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि जबकि महत्वपूर्ण समाचारपत्रों में सँसद् की कार्यवाही के सम्बन्ध में विरोधी दलों के भाषणों आदि को उचित तथा पर्याप्त स्थान दिया जाता है, आकाशवाणी में सरकार के लिये, शासकीय दल के लिये दिये जाने वाले समय की तुलना में विरोधी दलों के भाषणों आदि के प्रसारण के लिये बहुत कम समय दिया जाता है, और यदि हां, क्या यह इस लिये है कि आकाशवाणी सरकार के एकाधिकार में है और क्या आकाशवाणी पर के एकाधिकार को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । प्रथम भाग का उत्तर दे दिया जाय ।

†**श्री शामनाथ** : श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न ही है । उन्हों ने यह पूछा है कि क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश दिया गया है कि वहां केवल विरोधी दलों द्वारा दिये गये भाषण ही प्रसारित हों । अब वह दूसरी प्रकार से पूछा गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समाचार पत्रों की तुलना में समाचार पत्रों में विरोधी दलों के सँसद्सदस्यों के भाषणों को उचित तथा पर्याप्त स्थान मिल जाता है जबकि आकाशवाणी में सरकार के लिये, शासकीय दल के लिये, दिये जाने वाले समय की तुलना में उन्हें बहुत कम समय दिया जाता है । यदि हां, तो इस का क्या कारण है । यह मैं ने पूछा था ।

†**श्री त्यागी** : यह सर्वदा भाषणों के गुण-दोषों के आधार पर ही दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । प्रश्न में माननीय सदस्य ने पहले यह कल्पना कर ली है कि विरोधी दलों के भाषणों के प्रसारण को दिया जानने वाला समय अपर्याप्त है और फिर वह पूछते हैं कि इस के कारण क्या हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं ने पूछा था, "क्या यह सच नहीं है" ? जो भी सच बात हो उन्हें बताने दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब उन्हें यह प्रश्न पूछना चाहिये कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं ने इसी प्रकार पूछा था । मैं ने कहा था "क्या यह सच नहीं है कि . . . ." । इस प्रकार मैं ने प्रारम्भ किया था ।

†**श्री त्यागी** : वह भाषणों के गुण-दोषों पर निर्भर करता है ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । प्रश्न पूछ लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** एक औचित्य प्रश्न पर । श्री त्यागी ने कहा था . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें अभी पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री शाम नाथ** : समाचार-सार में उपलब्ध सीमित समय में सँसद् की कार्यवाहियों का यथा-सम्भव पूर्व तथा उचित रूप से प्रसारण किया जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** एक औचित्य प्रश्न पर । मेरा प्रश्न स्पष्ट था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि जहां तक प्रसारणों का सम्बन्ध है विरोधी दलों के सदस्यों को सरकार की तुलना में कम समय दिया जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सरकार को, शासकीय दल को, दिये जाने वाले समय की तुलना में बहुत कम । **(अन्तर्बाधायें)** ।

†**अध्यक्ष महोदय :** : उत्तर "हां" अथवा "नहीं" में होना चाहिये ।

†**श्री शामनाथ :** श्रीमन्, मैं ने कहा था "नहीं" ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** वह दोनों ही के लिये कहते हैं "नहीं" ।

†**श्री कपूर सिंह :** श्री मल्होत्रा ने सरकार के निदेश के सम्बन्ध में एक पूरक प्रश्न पूछा था । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसा कोई निदेश दिया है कि जहां तक सम्भव हो विरोधी दलों के प्रचार को दबा देना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश दिया गया है कि विरोधी दलों के लिए प्रचार को दबा देना चाहिये ।

†**श्री शामनाथ :** जी, नहीं ।

†**श्री शिव नारायण** : क्या सरकार यह मुनासिब समझती है कि इमरजेंसी पीरियड में पबलिक रिप्रेजेंटेटिव्स की राय को ब्राडकास्ट न किया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उपीनियन की बात है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "संसद् में आज की कार्य-वाही" कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम था जिस से देश के कोने कोने में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह झलक मिलती थी कि सँसद् में क्या हो रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या उन का मंत्रालय इस कार्यक्रम को फिर से जारी करेगा ?

†**श्री शामनाथ** : जी, नहीं; इस समय किसी भी अवस्था में नहीं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री ने कहा था कि आकाशवाणी के जो सँवाददाता संसद् की कार्यवाही सम्बन्धी कार्य करते हैं वे आकाशवाणी में सर्वोत्तम हैं । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने उन लोगों को वहां भेज कर अथवा उस ज्ञान को प्राप्त कर के यह अध्ययन करने का अवसर दिया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के भाषणों तथा उस की कार्यवाही के सम्बन्ध में बी० बी० सी० किस प्रकार कार्य करता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** : वह वहां की सरकार के एकाधिकार में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शामनाथ** : : उन में से कुछ लोगों को कभी कभी बी० बी० सी० के कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये भेजा जाता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूँ कि समाचारपत्रों में पीछे एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि कैबिनेट के एक जिम्मेदार मिनिस्टर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने पीछे अपना एक वक्तव्य दिया था कि मैं आकाशवाणी से जब समाचार सुनता हूं तो मिनिस्टरों के वक्तव्य ज्यादा सुनाई देते हैं जिस से कि यह प्रतीत होता है कि वे काम कम करते हैं और भाषण अधिक देते हैं तो क्या इस से यह ध्वनि निकलती है कि आकाशवाणी उन के समाचार ज्यादा प्रकाशित करता है, यदि हां, तो क्या आकाशवाणी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो जवाब आ गया है ।

पत्रकारिता की संस्था

\+

* ६८. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ८ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकारिता की संस्था की स्थापना के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री ((श्री शामनाथ) : समाचार-पत्रों से सरोकार रखने वालों ने पहले ही दिल्ली में प्रेस इन्स्टीट्यूट आफ़ इंडिया कायम कर लिया है । इस इन्स्टीट्यूट के मकसद वही हैं जो कि सरकार के जरिये कायम किये जाने वाले इन्स्टीट्यूट के थे । इसलिए यह फैसला किया गया है कि सरकार की तरफ से इस मामले में आगे कुछ न किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : प्रेस इंस्टीट्यूट आफ़ इंडिया नाम की जो संस्था स्थापित की गई है, क्या शासन ने इस को कोई सहायता भी देने का विचार किया है या सहायता दे रही है ?

श्री शामनाथ : अभी तक यह जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट औफ़ जरनलिज्म है उस की तरफ़ से इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है जिस में हिन्दुस्तान के जो बड़े बड़े अख़बार हैं उन्होंने उस का खर्चा बर्दाश्त करना है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो नई संस्था स्थापित की गई है उस की विशेषता क्या है और जैसे कि जरनलिज्म के और भी कालिज हैं उन के सिवाय इस में क्या विशेष बातें रखी गई हैं ?

श्री शामनाथ : इस संस्था का उद्देश्य व प्रयोजन बहुत ही व्यापक है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वे क्या क्या हैं ?

†**श्री शामनाथ** : प्रबन्ध तथा सम्पादकीय कार्य में, वे दिल्ली में पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलायेंगे, भारतीय पत्रकारिता के लिए भर्ती किये गये नये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे और भारतीय प्रेस द्वारा नामनिर्दिष्ट शिखिर अधिकारियों के लिए वर्ष में दो बार कार्य (वर्कशाप) का आयोजन करेंगे जिस में से प्रत्येक कार्य ६ से १० दिन का होगा । विभिन्न अवधियों के दो या तीन पाठ्यक्रम हैं जिन की व्यवस्था यह संस्था करेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या मंत्री महोदय यह ध्यान देंगें कि इस संस्था के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के विपरीत सिद्ध न हों ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाला रेड्डी) :** विश्वविद्यालय केवल स्नातकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं । यह संस्था उन सेवा करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के लिए है जो प्रबन्ध या सम्पादकीय कार्य करते हों ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट पर सरकार का किस हद तक कंट्रोल है ?

श्री शामनाथ : फिलहाल तो, जो अख़बार वाले हैं, वह ही ट्रस्टीज़ होंगे । अभी तक इस का फ़ैसला नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ़ से गवर्निन्ग बाडी पर कितने आदमी मुकर्रर किये जायें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह प्रेस पत्रकारिता संस्था अस्थायी आधार पर बनाई गई है या स्थायी आधार पर, और यदि यह स्थायी आधार पर बनाई गई है. तो यह किस रूप में यह काम किया गया है ?

†**श्री शामनाथ :** यहां यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था के तत्वधान में स्थापित की गई है, और यह कुछ अन्य देशों में इस किस्म की बहुत सी अन्य संस्थाओं की तरह है । हमें देखना है कि यह कैसे काम करती है और फिर हम निश्चय कर सकते हैं कि यह ठीक चल रही है या नहीं ।

†**श्री त्यागी :** मैं ने माननीय मंत्री को कहते सुना था कि पत्रकारिता का पाठ्यक्रम केवल ८ से १० दिन का है । १० दिन का यह अद्भुत पाठ्यक्रम क्या है जिससे पत्रकार को उत्तम प्रशिक्षण मिल सके ? यह किस तरह का पाठ्यक्रम है ? क्या यह इतना सरल विषय है ?

†**श्री शामनाथ :** अल्पकालीन पाठ्यक्रम केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो सेवा में हैं और जो पत्रकारिता की अपनी जानकारी का स्मरण करना चाहते हैं ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** इस पत्रकारिता संस्था में शिक्षा का माध्यम क्या है ? यह अंग्रेज़ी है, या हिन्दी या अन्य कोई प्रादेशिक भाषा ?

†**श्री शामनाथ :** शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा **(अन्तर्बाधाएं):**

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय मंत्री ने कहा था कि पत्रकारिता बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है क्योंकि अन्य संस्था बनाई गई हैं। क्या पत्रकारिता संस्था का उद्देश्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को केवल अल्पकालीन पाठ्यक्रम देना था या उद्देश्य पत्रकारिता का प्रशिक्षण देना था ?

†**श्री शामनाथ :** जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने कहा कि यह संस्था मुख्य कर इस व्यवसाय में काम करने वालों के लिए है जो प्रशिक्षण लेना और अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय मंत्री ने मेरा प्रश्न नहीं समझा है । मंत्री जी ने कहा था कि इस पत्रकारिता संस्था को बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है क्योंकि दूसरी संस्था स्थापित

†मूल अंग्रेज़ी में

हो गई है । यह संस्था केवल सेवा में लगे व्यक्तियों को अल्पकालीन पाठ्यक्रम देने के लिए है । क्या पत्रकारिता संस्था केवल यह अल्पकालीन पाठ्यक्रम देने के लिए बनाई गई थी या यह पत्रकारों को अपने नाम के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए थी ? वह इस साधारण बदले के लिए क्यों छोड़ दी गई ?

†**श्री शाम नाथ :** सरकार जो संस्था बनाना चाहती थी वह प्रेस आयोग ने जिस उद्देश्य की सिफारिश की है, उसे पूरा करने के लिए थी, और यह महसूस किया जाता है कि उस संस्था से जिस उद्देश्यपूर्ति की आशा थी, वह इस से भी पूरा होगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** सन्देह ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वह प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । जब तक कि निश्चित रूप से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाये तब तक मैं प्रत्येक सदस्य को कब तक अनुमति दे सकता हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट पर कितना रुपया खर्च कर रही है और, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री विभूति मिश्र, ने पूछा है, गवर्नमेंट का इस पर क्या कंट्रोल है ?

श्री शामनाथ : मैं ने पहले अर्ज़ किया है कि अभी तक गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट पर कोई रुपया खर्च करने का इरादा नहीं रखती है । इस की गवर्निंग बाडी पर भी अभी गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई मेम्बर्ज़ नहीं जाने वाले हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** श्रीमान्, औचित्य के प्रश्न पर । माननीय मंत्री ने प्रेस आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है । अब, उस में दिये गये उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक हैं । माननीय मंत्री जब यह कहते हैं कि संस्था उद्देश्य-पूर्ति कर सकती है, तो उत्तर गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । यदि माननीय सदस्य ने ग़लत उत्तर दिया है तो माननीय सदस्य मुझे यह बताते हुए लिख सकते हैं कि उनकी जानकारी का क्या सूत्र है जो अधिक सच है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह प्रेस आयोग की रिपोर्ट है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कम से कम मैं उसे पूरी तरह याद नहीं रख सकता । वह मुझे अध्याय और पृष्ठ बता दें ताकि मैं उसे पढ़ लूं । यदि मैं देखता हूं कि वास्तव में गलती है, तो मैं उसे मंत्री जी को भेज दूंगा और उन से सभा में इस का उत्तर देने के लिए कहूंगा ।

†**श्री त्यागी :** मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री ने दस दिन का उल्लेख किया था । शेष दिनों में क्या होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस का स्पष्टीकरण करने के लिए मंत्री महोदय से नहीं कहूंगा । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यूगोस्लाविया से शस्त्रास्त्र

†*८७१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अनुरोध पर यूगोस्लाव सरकार ने पहाड़ी युद्ध के लिए अपेक्षित शस्त्रास्त्र कुछ मात्रा में भारत को देने का हाल ही में प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इसके कब तक मिल जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) हम ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया ने पहाड़ी युद्ध के लिए शस्त्रास्त्र के निर्माण में विशेषता प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो क्या हमारी सरकार का विचार इस देश से सहायता प्राप्त करने का है जिससे हमारे देश के इन हथियारों का निर्माण हो सके ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : इस प्रकार के हथियारों में कई देशों ने विशेषता प्राप्त कर ली है । हम इन को कहीं से भी लेने अथवा बनवाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : हमारे आयुध कारखानों में इन की उत्पादन क्षमता क्या है ? तथा तुरंत आवश्यकता क्या है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

भारत-चीन सीमा-विवाद पर फ़िल्म

+

†*८७३. { **श्री ओंकारलाल बेरवा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि चीन ने भारत-चीन सीमा विवाद के संबंध में एक पूरी लम्बाई वाली डाक्युमेंटरी फिल्म (प्रलेखीय चलचित्र) बनाई है जो बड़े पमाने पर दिखाई जा रही है ;

(ख) क्या फिल्म में भारत को आक्रामक दिखाया गया है ;

(ग) क्या फिल्म लंका तथा नेपाल में भारत के राजनयिक प्रतिनिधियों ने देखी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार का विचार इस विषय पर एक भारतीय फिल्म बनाने का है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सयकार ने भी "ए शिफ्टिंग लाइन" नामक एक फिल्म बनाई है जिसमें चीन द्वारा किये गये आक्रमण की सीमा तथा १९५६ से उनके दावे दिखाये गये हैं। फिल्म भारत में १३ भाषाओं में विस्तार से दिखाई गई है। इसको फ्रांसीसी तथा अरबी भाषा में भी बनाया गया है। फिल्म के अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा अरबी संस्करण विदेशों में हमारे दूतावासों में दिखाये गये हैं।

श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी आक्रमण के बारे में हमारे फिल्म्ज डिविजन ने कितने फिल्म बनाये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस फिल्म के अतिरिक्त दो और फिल्में हम बना रहे हैं।

श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में कौन कौन से फिल्म विदेशों में प्रदर्शन के लिये भेजे गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं उत्तर के भाग (घ) में जानकारी दे चुकी हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि पड़ौसी देशों में दिखाई गई चीनी फिल्म में कोलम्बो प्रस्तावों का कोई उल्लेख नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह ठीक नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने नेपाल और लंका की सरकार को विरोध पत्र भेजा है कि इस प्रकार की फिल्मों के दिखाये जाने से कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर शांतिपूर्ण समझौता होने में बाधा होगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इन फिल्मों को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया है ; इनको चीनी दूतावासों में कुछ व्यक्तियों के सामने दिखाया गया था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं उत्तर नहीं सुन पाया।

†**अध्यक्ष महोदय** : इनको सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया था।

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु हमारे राजदूत कहां हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह बड़ी अजीब बात है। माननीय मंत्री ने पहले बताया था कि इसको दिखाया गया है। अब वह कहते हैं कि इसको सार्वजनिक रूप में नहीं दिखाया गया। मैं दोनों में अन्तर जानना चाहता हूं। 'दिखाये जाने' का अर्थ दिखाया जाना है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने अपनी फिल्म 'ए शिफ्टिंग लाइन' को सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के बारे में बताया था। चीनी फिल्म चीनियों ने केवल नेपाल और लंका के मिशनों में आमंत्रित दर्शकों को ही दिखाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब यह आमंत्रित व्यक्तियों को दिखाई गई थी तो यह सार्वजनिक प्रदर्शन हो हुआ। एक निजी प्रदर्शन किस प्रकार हुआ। कृपया आप अपना निर्णय दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न था कि नेपाल तथा लंका सरकार को क्या विरोध पत्र भेजे गये हैं

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम आक्रमण के बारे में अपनी बात कह रहे हैं। इसलिये विरोध पत्र भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं समझता हूं कि सरकार भारत के साथ न्याय नहीं कर रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या लंका, इंडोनेशिया तथा दक्षिण और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में हमारी फिल्म दिखाने के प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां। यह अन्य देशों में दिखाई गई थी। इंडोनेशिया में यह टेलीविजन पर भी दिखाई गई थी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या चीन से विवाद होने पर भी हमारे राजदूत चीनी राजदूतों से मैत्री रखते हैं.....

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री हेम बरुआ** : इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं बताता हूं। लंका तथा नेपाल में प्रदर्शनों के समय हमारे राजदूत उपस्थित थे। इसलिये इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि चीन से विवाद होने पर भी क्या हमारे राजदूत चीनी राजदूतों से मैत्री रखते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारे दूतावास के कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया था।

†**श्री हेम बरुआ** : वे कहां थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनर्जी।

†**श्री हेम बरुवा** : श्रीमान् मेरा निवेदन.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री बनर्जी से प्रश्न पूछने के लिये कहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मेरी जानकारी है कि कोलम्बो चीनी दूतावास में दिखाई गई फिल्मों को हमारे जिन राजनयिक कर्मचारियों ने देखा उन्होंने लंका सरकार को विरोध पत्र भेजा। फिल्म के देखे बिना उन्हों विरोध पत्र किस प्रकार भेजा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री की जानकारी में अन्तर है तो प्रश्न उठाने का क्या लाभ।

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु उत्तर बहकाने वाला नहीं होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर बहकाने वाला नहीं है। निश्चित 'नहीं" है। क्योंकि माननीय सदस्य की जानकारी भिन्न प्रकार की है इसलिये प्रश्न का कोई लाभ नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** मुझे चिन्ता थी कि स्थिति को समझते हुये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु जब वह स्वयं चिंतित हों तो कृपया उन्हें मुझे चिंता में नहीं डालना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** आपने मुझे पुकारा था।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"आरफ़ियस —७०४" जेट इंजन

†*८७०. **श्री बृज राज सिंह (कोटा) :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ब्रिस्टल एयरक्राफ्ट कम्पनी ने हमारे एच एफ—२४ एम० के० दो जेट फ़ाइटर विमान के लिये "आरफियस—७०४" जेट इंजन बनाने के लिये भारत को अपना प्रस्ताव पुनः भेजा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :** ब्रिस्टल सिडले इंजन लिमिटेड ने मार्च, १९६२ में "ब्रिस्टल आरफियस—१२" जेट इंजन में एच० एफ० २४ एम० के २ जेट लड़ाकू विमानों में लगाये जायेंगे, ये विकास में सहायता देने का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि बी० ओ० आर० १२ पूर्णतः विकसित इंजन नहीं था तथा उसका भारत में अपने व्यय से और विकास करना पड़ता।

प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय

†*८७२. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का कोई ब्योरेवार अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन में विषय का ब्योरेवार अध्ययन किया गया था परन्तु प्रत्येक राज्य के सही तथा तुलनात्मक प्राक्कलन अभी नहीं मिले हैं।

(ख) जिन क्षेत्रों के प्राक्कलन अन्तिम रूप से बना लिये गये हैं उनके संबंध में १९५५–५६ तथा १९५८–५९ के वर्षों में चालू वर्षों में कुल उत्पादन के राज्यवार प्राक्कलनों के दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी०—११२६/६३।**]

---

†मूल अंग्रेजी में

गुलमर्ग में ब्रह्माण्ड किरण अनुसन्धान केन्द्र

*८७४. श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुलमर्ग (काश्मीर) में एक ब्रह्माण्ड किरण अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निश्चय कई वर्ष पहले कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) यह केन्द्र कब तक पूरी तरह से काम करने लगेगा ; और

(घ) उस पर कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) गुलमर्ग में ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ब्रह्माण्ड किरण प्रयोगशाला का निर्माण-कार्य १९५९ में शुरू किया गया था और उसे कुछ छोटे छोटे परिरूपन कार्यों के अलावा लगभग पूरा किया जा चुका है । काम पूरा करने में देरी मुख्यत: काम करने लायक सीमित मौसम, कठिन कार्यावस्थाओं और कुशल कारीगरों की कमी के कारण हुई है ।

(ग) आशा है कि प्रयोगशाला पहली जुलाई, १९६३ से पूरी तरह काम करने लगेगी ।

(घ) अनुमान है कि प्रयोगशाला की स्थापना पर होने वाला कुल व्यय लगभग १० लाख रुपये होगा । क्योंकि प्रयोगशाला ने अभी पूरी तरह काम करना शुरू नहीं किया, इसलिये आवर्तक व्यय का बहुत सही अनुमान बताना संभव नहीं । फिर भी, आशा है कि यह व्यय एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगा । यह प्रयोगशाला भारत के प्रत्येक भाग से आये वैज्ञानिकों को ज्यादा ऊंचाई पर परीक्षण करने की सुविधा देने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है । ज्यादातर वैज्ञानिक परीक्षणों के लिये आवश्यक विशिष्ट उपकरण स्वयं लायेंगे ।

विमानों का निर्माण

*८७५. श्री ओंकारलाल बेरुवा :
श्री राम हरख यादव :
श्री बृज राज सिंह—कोटा :
श्री राम सहायक पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विमानों के निर्माण के लिये दो नई कम्पनियां बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियां कहां कहां पर स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) उनकी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) देश में 'मिग' विमानों का निर्माण करने के लिये एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) (१) नासिक विमान ढांचा बनाने वाली फैक्टरी के लिये ;

(२) कोरापेट इंजिन फैक्टरी बनाने के लिये ।

(ग) निर्माण के विस्तार विचाराधीन हैं ।

राजस्थान में नजरबन्द चीनी

†*८७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९६३ को राजस्थान के चीनी नजरबन्दियों के कैम्प में ८० नजरबन्दियों के अलग किये जाने के समय हुई गड़बड़ को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों का चीनी अधिकारियों द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार के लिए तोड़ मरोड़ कर उल्लेख किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) गड़बड़ी तब हुई थी जब चीनी नजरबन्दियों के एक दल में जिन्होंने चीन चाहा था, ने भारत में रहने की इच्छा जाहिर करने वाले नज़रबन्दियों पर हमला किया था । जब २ अथवा ३ अन्य मित्र हमला होने वाले नज़रबन्दों की सहायता के लिए पहुंचे तो गड़बड़ी करने वालों ने उन पर भी हमला किया था ।

उचित राजनयिक व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार ने नई दिल्ली में चीनी दूतावास को प्रार्थना के तथ्य बता दिये इसके अतिरिक्त चीनी रेडियो तथा प्रेस ने इन तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा और कहा कि नज़रबन्दियों का उत्पीड़न किया गया था ।

२ अप्रैल को वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के प्रवक्ता ने इन आरोपों को झूठा बताया । यह भारत तथा विदेशों के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ ।

अखबारी कागज का दुरुपयोग

†१८४४. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :**
श्री नम्बियार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ और १९६३ में अब तक कितने समाचार पत्रों के विरुद्ध अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग करने के लिए कार्रवाई की गयी और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या कार्रवाई की गयी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोआ में शिक्षा

१८४५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव में १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर कुल कितना खर्च

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया और कुल बजट का यह कितने प्रतिशत था ;

(ख) १९६३–६४ के बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा और वह राशि क्या है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च-उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों की संख्या क्या है ; और

(घ) उनमें शिक्षा का माध्यम क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९६२–६३ के दौरान गोआ, दमन और दीव के संघीय प्रदेश में शिक्षा पर ३४,२८,५४९ रु० खर्च हुआ और यह खर्च कुल बजट का ५.९२ प्रतिशत था।

(ख) १९६३–६४ में शिक्षा पर प्रस्तावित खर्च ९०,८३,२०० रु० है और यह इस वर्ष के बजट अनुमान का ८.४९ प्रतिशत है।

(ग) गोआ, दमन और दीव के संघीय प्रदेश में ८१३ प्राइमरी स्कूल, ११९ हाई स्कूल, एक हायर सैकेन्डरी स्कूल, ४ तकनीकी हाई स्कूल और २ कालेज हैं।

(घ) प्राइमरी स्कूलों में कोंकणी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेज़ी अथवा पुर्तगाली के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हायर सैकेन्डरी स्कूलों में अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और हाई स्कूलों में मराठी, गुजराती, उर्दू, पुर्तगाली अथवा अंग्रेज़ी के माध्यम से। कालेजों में अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।

पांडिचेरी में शिक्षा

१८४६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी में १९६२–६३ में कुल बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया गया और १९६३–६४ में कितने प्रतिशत खर्च किया जायेगा ;

(ख) दोनों मामलों में वह राशि कितनी होगी ;

(ग) वहां प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कालेजों की संख्या क्या है ;

(घ) उनमें शिक्षा का माध्यम क्या है ;

(ङ) शिक्षा सम्बन्धी नीति में इधर क्या महत्वपूर्ण परितवर्तन किए गए हैं ; और

(च) क्या अरविन्द आश्रम को भी कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है, यदि हां, तो क्या ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). १९६२–६३ के दौरान शिक्षा पर लगभग ५२.७० लाख रुपए खर्च किए गए, जो कुल खर्च का १३.३३ प्रतिशत था और चालू वित्तीय वर्ष का प्रस्तावित खर्च ४८.७९ लाख रुपए है जो कुल बजट का अनुमान का १२.९५ प्रतिशत है।

(ग) २३८ प्राइमरी स्कूल, ६७ मिडिल स्कूल, ३४ हाई स्कूल और ३ कालेज हैं।

(घ) इन संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, तामिल, तेलगू और मलयालम है।

(ङ) वहां पड़ौसी राज्यों की तरह हाल में, सैकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का ढंग अपना लिया गया है और टैगोर आर्टस कालेज, पांडिचेरी में तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

(च) सरकार ने पांडिचेरी के श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र (श्री अरविन्द इण्टर-नेशनल सेंटर आफ एजूकेशन) को १,७०,८०० रु० का अनावर्तक सहायता अनुदान (नान-रिकरिंग ग्राण्ट इन एड) देना मंजूर किया है।

भूतपूर्व सैनिक

†१८४७. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६२ को प्रत्येक राज्य के विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे जिन्हें रोजगार की जरूरत थी ; और

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को १९६२ में रोजगार प्राप्त हुआ ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख).

राज्य	दिसम्बर १९६२ को चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	१९६२ में रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	१,४४०	४४३
आसाम	४३८	८१
बिहार	१,०७१	२३७
दिल्ली	१,४९२	४४५
गुजरात	२०४	१४५
हिमाचल प्रदेश	१९४	१०१
जम्मू और काश्मीर	३८५	१४६
केरल	३,५१०	४७८
मध्य प्रदेश	७७६	३०४
मद्रास	२,४७९	९४९
महाराष्ट्र	१,८४२	७६१
मनीपुर	९५	३
मैसूर	५९५	२७२
उड़ीसा	३१४	५४
पांडिचेरी	—	—
पंजाब	४,४९६	२,६९६
राजस्थान	५४३	२३३
त्रिपुरा	३९	१७
उत्तर प्रदेश	३,९२६	१,३१८
पश्चिम बंगाल	१,७६१	४४२
अखिल भारतीय जोड़	२५,६००	९,१२०

†मूल अंग्रेजी में

सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय में अफसर

†१८४८. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय के प्रतिष्ठान में अनेक दरों पर कैप्टनों और उनके समकक्ष व्यक्तियों की भरती की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक सेवा-पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते तथा सम्बन्धित प्रशासनिक दैनिक मामलों से सम्बद्ध पदों पर नियुक्त किया जाता है जिनका काम असैनिक पदाधिकारी भी कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें उन्हीं पदों पर कायम रखने का सरकार का विचार है जबकि सेवा पदाधिकारियों की काफी कमी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दैनिक प्रशासनिक कार्यों के पदों पर जो पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं उन्हें धीरे धीरे बाहर नियुक्त किया जा रहा है। जिन पदों पर नियुक्तियों के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है या जिन पदों पर, सेना के हित में, सैनिक पदाधिकारियों को रखना आवश्यक है उन पदों पर उन्हीं को रखा जायगा।

पश्चिम बंगाल के रोजगार दफ्तरों में दर्ज व्यक्ति

†१८४९. **डा० शि० कु० साहा** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में पश्चिम बंगाल के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने व्यक्ति (ग्रेजुएट और अण्डर ग्रेजुएट) दर्ज किये गये ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ; और

(ग) उस अवधि में जिन लोगों को रोजगार दिया गया उनमें अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख).

श्रेणी	अप्रैल-दिसम्बर, १९६२ में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	अप्रैल-दिसम्बर, १९६२ में जिन लोगों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या
ग्रेजुएट . . .	६,७९५	५७५
अण्डर ग्रेजुएट (मैट्रिक सहित) . . .	५७,२२९	२,९४०

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

स्विट्जरलैंड में तिब्बती शरणार्थी :

१८५०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड की सरकार ने भारत में आए हुए एक हजार तिब्बती शरणार्थियों को बसाना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हालांकि स्विटजरलैण्ड की एक सहायता संस्था और भारत में स्विस राजदूतावास ने इस मामले को उठाया है, लेकिन स्विटजरलैण्ड की सरकार से सरकारी तौर पर अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में पंचायत उद्योग

†१८५१. **श्री उलाका :** क्या **योजना** मंत्री ९ अप्रैल १९६३ के अतरांकित प्रश्न संख्या १३५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में उड़ीसा राज्य में पंचायत समिति उद्योगों की स्थापना के लिये उड़ीसा सरकार को कोई दिलीय सहायता दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) १९६३-६४ में उसी प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितनी रकम दी गई ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** (क) और (ख). १९६२-६३ में उड़ीसा राज्य सरकार को ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की सभी योजनाओं के लिये जिनमें पंचायत समिति उद्योगों की स्थापना भी शामिल है, कुल ५२.९६ लाख रूपये (३७.८३ लाख रूपये का ऋण और १५.१३ लाख रूपये का अनुदान) की केन्द्रीय सहायता दी गयी।

(ग) १९६३-६४ के दिये राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है ।

छोन्दवार में अस्पताल

†१८५२. **श्री उलाका :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोन्दवार (उड़ीसा) में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों के लिये बनाये जाने वाले दो अस्पतालों की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ख) उपर्युक्त अस्पताल संभवत: कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :**
(क) ५० शय्याओं वाला ग्रामीण अस्पताल :५.६६५ लाख रूपये

१२ शय्याओं वाला क्षय रोग शाखा : ०.४७२ लाख रूपये

(ख) ५० शय्याओं वाला ग्रामीण अस्पताल : १९६३ के अंत तक

१२ शय्याओं वाला क्षय रोग शाखा : मई, १९६३ तक

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†१८५३. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ से उड़ीसा में कोई श्रमिक शिक्षा केन्द्र चालू किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख). उड़ीसा में राउरकेला में शीघ्र ही एक श्रमिक केन्द्र चालू किया जायेगा।

(ख) भाषणों, सामूहिक चर्चाओं, नाटकों और दृश्य-श्रव्य उपकरनों से कर्मचारियों को अपना कर्त्तव्य और दायित्व सिखाया जाता है जिससे वे अच्छे कर्मचारी और उत्तर दायी नागरिक बनें।

तालचर कोयला खानें

†१८५४. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ से तालचर कोयला खान को खान मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने के लिये कोई अनुदान या राज सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या १९६३–६४ में तलछर कोयलाखान के कर्मचारियों के लिये कोयला खान कल्याण संगठन क्वार्टर बनाने का विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** (क) जी नहीं। नयी आवास योजना के अधीन बनाये गये मकानों के लिये भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभी तक ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध कारखानें[1]

†१८५५. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में अब भी रक्षा के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये कुछ माल तैयार किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं तो वह कब बन्द कर दिया गया है ;

(ग) राष्ट्रीय संकट की घोषणा से पहले उत्क माल का वार्षिक उत्पादन कितना था ; और

(घ) उन वस्तुओं का मूल्य कितना था ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Ordnance Factories

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). आयुध कारखानों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी से भिन्न भिन्न माल का उत्पादन, जहां कहीं उससे सेनाओं के लिए उत्पादन में बाधा पहुंचती थी, संकट काल की घोषणा के तुरन्त बाद बन्द कर दिया गया।

(ग) १०६०–६१ और १९६१–६२ में वित्तीय वर्षों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी से भिन्न कुल माल का उत्पादन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। [देखिये संख्या एल. टी—११२७।६३]।**

(घ) उन वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है :

१९६०–६१. .	.१०.२१ करोड़ रुपया
१९६१–६२.	. ५.६३ करोड़ रुपया (अन्तिम)

विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशन

१८५६. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा कुल मिला कर कितनी पत्र-पत्रिकाओं, एवं सावधिक साहित्य प्रकाशित किया जाता है ;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत अंग्रेजी और कितने प्रतिशत हिन्दी में होती है ;

(ग) क्या कुछ पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी विभिन्न मन्त्रालयों इत्यादि से एकत्रित की जा रही है और यथासमय एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

अम्बाला के पास विमान दुर्घटना

†१८५७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ जनवरी, १९६३ को भारतीय वायुसेना के अम्बाला स्टेशन पर नियमित उड़ान के समय भारतीय वायुसेना के जेट विमान (जैट) का विस्फोट हो गया था जिससे उसके एकमात्र विमानचालक की मृत्यु हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका दुर्घटना का कारण क्या था और उस मामले में क्या कार्रवाई की गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)**: (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच अदालत को हुक्म दिया गया है। अदालत ने यह फैसला दिया है कि दुर्घटना सम्भवतः इस कारण हुई कि विमान की नियन्त्रण प्रणाली बेकार हो गयी थी। यह मामला निर्माताओं को सौंप दिया गया है और उनकी राय प्राप्त होने के बाद ही सुधार के कोई उपाय किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

जवानों के लिये कल्याण कार्य

†१८५८. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघीय राज्य क्षेत्रों में जवानों के लिए कौन कौनसी संस्थाएं कल्याण कार्य कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :** जवानों के परिवारों की देखभाल जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों के जरिये की जाती है। संघीय राज्य क्षेत्रों में जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से काम कर रहे हैं :

हिमाचल प्रदेश .	. बिलासपुर, चम्बा, मण्डी और सिरमौर में (४ बोर्ड)
नागालैण्ड . .	. कोहिमा और मोशेकचुंग में (२ बोर्ड)
दिल्ली . .	. दिल्ली में
मनीपुर . .	. इम्फाल में
त्रिपुरा . .	. अगरतल्ला में

संघ राज्य क्षेत्र	कल्याण कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था
हिमाचल प्रदेश .	. १. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी।
	२. हिमाचल प्रदेश के लिए नागरिकों की केन्द्रीय परिषद्।
दिल्ली . .	. १. नागरिकों की केन्द्रीय परिषद्।
	२. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
	३. भारत सेवक समाज।
	४. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी।
	५. वाई एम० सी० ए० की नेशनल कौंसिल।
	६. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में मेयर की समिति।
	७. ऑल इण्डिया बीमेन्स लीग।
त्रिपुरा . .	. कल्याण सुविधाओं और स्वयंसेवी सेवाओं सम्बन्धी राज्य समिति।
मनीपुर . .	. मनीपुर राज्य समाज कल्याण मन्त्रणा बोर्ड।
नागालैण्ड	. समाज कल्याण बोर्ड।
गोआ, दमन और दीव	. १. राष्ट्रीय रक्षा के लिए गोआ नागरिकों की समिति।
	२. भारत सेवक समाज।
पांडिचेरी .	. १. कल्याण सुविधाओं और हवयंसेवी सेवाओं सम्बन्धी राज्य महिला समिति।
	२. राज्य समाज कल्याण बोर्ड।

†मूल अंग्रेजी में

दौलत बेग ओलदी में चौकी

†१८५९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० अक्तूबर, १९६२ के बाद चीनियों ने दौलतबेग ओलदी में हमारी सीमावर्ती चौकी पर किसी समय कब्जा किया था ; और

(ख) अभी फिलहाल वह किस के अधिकार में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) और (ख). दौलत बेग ओलदी १९६० की चीनी दावे की रेखा से पश्चिम में है। हमारी जानकारी के अनुसार, उस चौकी पर चीनियों का कब्जा नहीं है।

साईकल रिक्शा चलाना

१८६०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार साइकिल रिक्शा चलाने को बन्द करने की कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यह योजना कब तक कार्य रूप में परिणित हो सकेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) श्रम मन्त्री सम्मेलन ने १९५५ में अपने १२ वें अधिवेशन में रिक्शा चलाना धीरे धीरे बन्द करने और इसके बन्द न होने तक रिक्शा चलाने वालों के काम की शर्तों को नियमित करने की सिफारिश की। उसने यह भी सिफारिश की कि इस बीच रिक्शों के नए लाइसेंस जारी न किए जायें और राज्य सरकारों को तदनुकूल सलाह दी गई। रिक्शा चलाना बन्द करने के प्रश्न पर १९६१ में स्थायी श्रम समिति के १९ वें अधिवेशन में भी विचार किया गया। स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को इस समस्या को स्थानीय स्थिति के मुताबिक हल करने की सलाह दी गई। अधिकांश राज्य सरकारों ने रिक्शा चलाना धीरे धीरे बन्द करने के बारे में कार्यवाही की है।

(ख) गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा नियुक्त स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मतानुसार साइकल रिक्शा को बन्द करने के बारे में सरकार का निर्णय तभी प्रभावशाली हो सकता है यदि वैकल्पिक परिवहन सुविधाएं, विशेषकर आटो-रिक्शा, सभी नगरों में शीघ्र ही शुरू की जा सकती है और उनकी सेवा की आवृत्ति काफी बढ़ाई जा सकती है। वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की कि नए लाइसेंसों वास्तविक रिक्शा चालकों की सहकारी समितियों को ही दिए जाने चाहिए और उन रिक्शा मालिकों के लाइसेंस, जो वास्तव में रिक्शा खेंचते हों, रिन्यू किए जाने चाहिए। स्पैशल वर्किंग ग्रुप के विचार और सिफारिशें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को टीका-टिप्पणी के लिए सूचित कर दी गई है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की टीका-टिप्पणियों के प्रकाश में रिक्शा चलाना बन्द करने की सारी समस्या पर पुनर्विलोकन और पुनर्विचार किया जायगा।

तिब्बती बच्चों का ब्रिटेन में बसाया जाना

†१८६१. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो तिब्बती बच्चे भारत आये थे उन्हें स्थायी रूप से बसाने के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने बच्चे ब्रिटेन गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). २० तिब्बती शरणार्थी बच्चे और उन के साथ एक लामा, दो माता पिता और एक दुभाषिया लंबी अवधि की शिक्षा के लिए ब्रिटेन गये हैं। उन्हें पहचान पत्र दिया गया है और उन के भारत लौटने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है ।

गाजा पट्टी में भारतीय फौज

१८६२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी संपूर्ण सेना के लिए सप्लाई सेवाएं चलाते हैं ; और

(ख) वर्तमान बटालियन का कार्यकाल जब समाप्त हो जायगा तब क्या उस के स्थान पर दूसरा बटालियन रखने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान बटालियन के प्रतिस्थापन के प्रश्न पर अक्तूबर/नवम्बर, १९६३ में परिवर्तन अपेक्षित होने से पहले विचार किया जायगा ।

मजदूरों सम्बन्धी एक से कानून

†१८६३. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में मजदूरों के सम्बन्ध में एक से कानून बनाने की आवश्यकता पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां तो उस का क्या नतीजा निकला ; और

(ग) यदि नहीं तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मजदूरों संबंधी अधिकांश कानून देश में समान रूप से लागू होते हैं। केन्द्रीय अधिनियमों के मामलों में जहां नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है, आदर्श नियम सामान्यतया केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाते हैं और वह राज्यों को भेज दिये जाते हैं ताकि वे समान रुप से लागू किये जा सकें। जिन मामलों में राज्यों के अधिनियम उसी विषय पर अलग अलग हैं, वहां आदर्श विदेधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार कर के राज्ययों को भेज दिये जाते हैं या राज्य के अधिनियमों की जगह केन्द्रीय विधान लागू करने के लिये केन्द्रीय विधान बनाया जाता है ।

सरदार पटेल की जीवन-गाथा

१८६४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन-गाथा को प्रकाशित करने का कुछ वर्षों पहिले निश्चय किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उस जीवन-गाथा के हिन्दी, अंग्रेज़ी तथा, अन्य प्रादेशिक भाषाओं के संस्करण कब तक प्रकाशित कर दिये जाने की आशा की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) लेखक-जीवन-गाथा लिखने के काम में लगा हुआ है और पाण्डुलिपि के शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) मार्च, १९६४ तक जीवन-गाथा के अंग्रेज़ी संस्करण के प्रकाशित हो जाने की आशा है । जीवन-गाथा के हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के संस्करणों के प्रकाशन का काम नेशनल बुक ट्रस्ट को सौंपने का विचार है । परन्तु ट्रस्ट द्वारा इन के प्रकाशन की निश्चित तिथि का बताना कठिन है ।

पर्वतारोहण संस्थाएं

†१८६५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतारोहण संस्थाओं की स्थापना में सहायता और प्रोत्साहन देने की भारत सरकार की नीति के बारे में गैर-सरकारी समर्थकों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो किस हद तक ; और

(ग) क्या सरकार ने स्वतः ऐसी कोई संस्था कायम की है और यदि हां, तो कहां और किस लागत पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) और (ख). भारत सरकार की नीति पर्वतारोहण क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की है ताकि पर्वतारोहण में रुचि स्थायी हो । जो क्लब और संघ स्थापित किये गये हैं उन की सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ११२८/६३]**

(ग) नवम्बर १९५४ में हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग की स्थापना से ले कर अब तक उस पर केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मिल जुल कर खर्च करती रही । इस संस्था को चार राज्यों से अर्थात् बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से वार्षिक अनुदान मिलते रहे हैं । इस संस्था पर सालाना लगभग ६.५ लाख रुपये का आवर्तक कुल व्यय होता है ।

पंजाब सरकार ने नवम्बर, १९६१ से मनाली में एक पर्वतारोहण संस्था स्थापित की है ।

कसिया (उत्तर प्रदेश) में हवाई अड्डा

†१८६६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कसिया (जिला देवरिया उत्तर प्रदेश) हवाई पट्टी को संकट काल को ध्यान में रखते हुए नियमित हवाई अड्डा बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस को नवीकरण के लिए निर्माणकार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयोजन के लिए उस के पुनर्निर्माण पर कुल व्यय कितना होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां । अभी फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय मछुए

१८६७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दीनाजपुर ज़िले की भारतीय भूमि से कुछ पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय मछुए के २३ मई, १९६२ को अपहरण किये जाने की घटना के बारे पाकिस्तान की सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया जा रहा था, उस का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पूर्व पाकिस्तान सरकार ने ढाका स्थित भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को और पश्चिम बंगाल सरकार को जो उत्तर भेजे हैं, उन में यह कहा गया है कि उन की जानकारी के मुताबिक, भारतीय मछुए ने पाकिस्तानी इलाके में प्रवेश किया था और वह वहां मछलियां पकड़ते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आगे लिखा-पढ़ी की जा रही है और पश्चिम दीनाजपुर के ज़िलाधीश ने पाकिस्तान के समकक्ष अधिकारी को यह सुझाव दिया है कि इस मामले की सम्मिलित जांच की जाय।

बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि भारतीय सीमांत पुलिस के कहने पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस मछुए को छोड़ दिया था।

सेना विज्ञान

†**१८६८. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** १६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सेना विज्ञान की उच्च शिक्षा व्यवस्था करने में सहायता देने के लिए मित्र देशों से सेना-वज्ञानिकों तथा अन्य ऐसे ही विशेषज्ञों को बुलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से बुलाया गया है ; और

(ग) इस व्यवस्था का क्या प्रबन्ध है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नेफा में चीनियों का कब्जा सम्बन्धी चित्र

†**१८६९. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के कुछ सचित्र साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित उन चित्रों की ओर आकर्षित किया गया है जिन में नेफा से चीनी सैनिकों के वापिस जाते समय स्थानीय व्यक्तियों के साथ उन के भाईचारे का व्यवहार दिखाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या चित्र प्रेस सूचना विभाग ने प्रकाशित किये थे या अन्य सरकारी एजेन्सी ने ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखों की भर्ती

†१८७०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सेना गोरखों की संख्वा में कथित कमी होने की दृष्टि से भारतीय सेना में और अधिक गोरखों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव ;

(ख) यदि हा, तो क्या नेपाल सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना की गई है ; और

(ग) आजकल भारतीय सेना में गोरखों की कितनी संख्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) भारतीय सेना में और गोरखों की भर्ती हो रही है परन्तु यह निश्चय किसी भी प्रकार ब्रिटिश सेना में गोरखों की कथित कमी से सम्बन्धित नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सभा में यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

जवानों के परिवारों को विशेष भत्ता

†१८७१. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख और आसाम जैसे युद्ध स्थानों पर काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की पत्नियों तथा परिवारों को कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन भत्तों की गणना किस आधार पर होती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) सम्बन्धित अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लद्दाख, आसाम या अन्य क्षेत्रों में भेजे जाने के बावजूद भी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के परिवार सरकार से कोई भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं। फिर भी, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी निम्न रियायतों के पात्र हैं :—

अधिकारी	जे० सी० ओ० तथा अन्य श्रेणियां
१	२
लद्दाख	
(१) पार्थक्य भत्ता ।	(१) विशेष प्रतिकर भत्ता ।
(२) कुछ विशेष क्षेत्र में ऊँचाई भत्ता ।	(२) कुछ विशेष क्षेत्रों में ऊँचाई भत्ता ।

†मूल अंग्रेजी में

१	२
(३) धन के अतिरिक्त युद्ध-क्षेत्र सेवा रियायतें—जैसे, मुफ्त राशन, मुफ्त आवास तथा सहायक सेवायें और कुछ डाक रियायतें। फिर, अधिकारी पिछले कार्य के स्थान पर परिवार आवास रख सकते हैं या उसके बदले भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा।	(३) धन के अतिरिक्त युद्ध-क्षेत्र सेवा रियायतें—जैसे मुफ्त राशन, मुफ्त आवास तथा सहायक सेवायें और कुछ डाक रियायतें। जे० सी० ओ० तथा अन्य श्रेणियों को भी पिछले कार्य के स्थान पर परिवार आवास रखने का अधिकार है या उसके बदले कुछ शर्तों पर उनके परिवार को मुफ्त यात्रा की सुविधा।
आसाम	
(१) कुछ क्षेत्रों में भेजे जाने पर पार्थक्य भत्ता।	(१) विशेष प्रतिकर भत्ता।
(२) उपरोक्तानुकूल युद्ध-क्षेत्र सेवा की रियायतें।	(२) उपरोक्तानुकूल युद्ध-क्षेत्र सेवा रियायतें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में जाली पारपत्र[1]

†१८७२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक जाली पारपत्र तथा अन्य सामग्री, जो प्रकट रूप में और जाली पारपत्र बनाने के लिए भी, हाल में कलकत्ता में पकड़ी गई; और

(ख) यदि हां, तो इन कागजों का क्या ब्योरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) उउत्तीस भारतीय पारपत्र, सात पाकिस्तानी पारपत्र, बारह उचित रूप में भरे हुए पारपत्र के लिए प्रार्थना पत्र, २४ प्रवेश पत्र के प्रार्थना पत्र, २२३ पारपत्र—आकार के फोटो और कुछ अन्य अभिशासी कागजात पकड़े गये हैं।

आकाशवाणी का स्वाहली यूनिट

†१८७३. **श्री राजेश्वर प्रसाद :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, हालांकि आकाशवाणी की नीति विदेशी प्रसारणों में भारतीय व्यक्ति रखने की है, परन्तु आकाशवाणी के स्वाहली यूनिट में अब भी सभी विदेशी विद्यार्थी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने विदेश में (मार्च १९६३) स्वाहली के अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्रालय की छात्रवृत्तियों के लिए तीन ऐसे उम्मीदवार प्रायोजित किये थे जिन्होंने

†मूल अंग्रेजी में

[1]Passports.

स्वाहली नहीं सीखी थी जिसके लिए भारत में सुविधायें उपलब्ध हैं, हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने छात्रवृत्ति देने के लिए सुपात्रता पर विचार करने के लिए इसे एक अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया है और क्या उन में से कोई चुना गया है; और

(ग) क्या आकाशवाणी ने स्वाहली न जानने वाले उम्मीदवार, जिसकी सुविधायें भारत में उपलब्ध हैं, इस कारण प्रायोजित किये थे कि स्वाहली जानने वाला कोई उम्मीदवार उपलब्ध न था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) हां ।

(ख) २ अप्रैल, १९६२ (मार्च, १९६३ में नहीं) में प्रायोजित किये गये थे परन्तु कोई नहीं चुना गया ।

(ग) हां ।

गुआ लौह अयस्क खानों के क्वार्टर

†१८७४. **श्री ह० च० सौय :**
श्री बेसरा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुआ लौह अयस्क खानों के पहाड़ी की चोटी पर बने मजदूरों के क्वार्टर मूल स्वच्छता तथा हवादारी और अन्य दृष्टियों से मानव-वास के लिए पूर्णतया अनुचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति संभालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) आजकल अधिकतर क्वार्टरों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । बस्ती में १५ मेहतर, ४ स्नानागार और २० टट्टियां सामान्य प्रयोग के लिए हैं और जल संभरण अच्छा है ।

(ख) कहा जाता है कि प्रबन्धकों ने उनके पुनर्निर्माण की योजना पहिले ही हाथ में ले ली है । लगभग ९० मकानों का नवीकरण हो गया है और प्रत्येक मकान में दो खिड़कियां बनाई गई हैं । कुछ पुराने मकानों के बदले ४० नये मकान बनाये गये हैं । जो पुराने क्वार्टर असँतोषप्रद हैं, वे धीरे धीरे गिराये जायेंगे ।

चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी

†१८७५. **श्री ह० च० सौय :**
श्री बेसरा :

क्या **श्रम और रोजगार** मँत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री का प्रबन्ध पास में बिहार में स्थित काम दिलाऊ दफ्तरोंके उम्मीदवारों को चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नहीं लेता; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) और (ख). रेलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती का ढंग इस बात पर निर्भर है कि शिक्षा को अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया है या नहीं। जहां शिक्षा अनिवार्य होती है, वहां काम दिलाऊ दफ्तरों के भेजे हुए उम्मीदवारों पर भी रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों तथा तत्काल आश्रितों के साथ, जो सीधे प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, विचार किया जाता है। जहां शिक्षा निर्धारित नहीं होती, प्रार्थी सीधे प्रार्थनापत्र भेज सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम लिखायें या उनके द्वारा प्रार्थनापत्र भेजें।

चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त स्थान के लिए भर्ती चितरंजन लोको-मोटिव कारखाना और आसनसोल, आदरा और खड़गपुर में स्थित तीन रेलवे भर्ती विभाग उपरोक्त ढंगों के अनुसार या तो अपने क्षेत्र में स्थित काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा करते हैं या सीधी भर्ती करते हैं। बिहार के काम दिलाऊ दफ्तर इन यूनिटों के क्षेत्र से बाहर हैं और इसलिए उन काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भर्ती करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जवानों के लिए डाक सुविधायें

†१८७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगे के क्षेत्रों में जवानों को डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र तथा डाक के लिफाफे देने का क्या प्रबन्ध है ;

(ख) क्या अपर्याप्त व्यवस्था की कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) आगे क्षेत्रों में सैनिकों की डाक सैन्य डाकघर लाता व ले जाता है और वे ही सब ही प्रकार की डाक-सामग्री बेचता है। इन क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों को दो निःशुल्क अन्तर्देशीय पत्र प्रति सप्ताह दिये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायक वायु सेना

†१८७७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक वायु सेना अधिकारियों को उस तारीख से, जब उन्हें उड्डयन बैज (चालक की योग्यता) मिलता है, नियमित वायु सेना अधिकारियों की भान्ति 'फ्लाईंग बाउन्टी' पाने का अधिकार होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वे जिन सुविधाओं के पात्र हैं, अर्थात्, 'फ्लाइंग बाउन्टी' घातक दुर्घटना की स्थिति में परिवार पेंशन, अपाहिज पेन्शन, उपदान, पेंशन, आदि अभी सहायक वायु सेना कर्मचारियों को दी जानी हैं, हालांकि रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम १९५२ में पारित हुआ था और सहायक वायु सेना योजना १९५५ में आरम्भ की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ये उचित सुविधायें न देने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । सहायक वायु सेना के अधिकारियों तथा सैनिकों को परिवार पेंशन तथा अपाहिज पेंशन देने के बारे में आदेश क्रमानुसार १९५७ तथा १९५९ में जारी किये गये थे । जहां तक सेवा पेंशन/उपदान का सम्बन्ध है, क्योंकि ये अधिकारी तथा वायु सैनिक अनियमित कर्मचारी हैं, अतः वे केवल सेवान्त उपदान के अधिकारी हैं । इस बारे में आदेश १९६० में दिये गये थे ।

सहायक वायु सेना के अधिकारियों को 'फ्लाइंग बाउन्टी' देने का निश्चय लागू करने के आदेश हाल में जारी किये गये हैं । ये आदेश पिछली तारीख से १९५४ से लागू होंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जल सेना के लिये युद्धपोत

†१८७८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय विशेषज्ञ दल जल सेना के लिये तीन युद्ध पोत बनाने की एक परियोजना का प्रविधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये इंगलिस्तान और स्वीडन जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने उन देशों के साथ कोई बातचीत की है ; और

(ग) क्या युद्ध पोतों को कहां पर बनाने का विचार है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख). इंगलिस्तान और स्वीडन की फर्मों के साथ भारत में युद्ध पोत बनाने के लिये प्रविधिक सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत हो रही है । शीघ्र ही इंगिलिस्तान और स्वीडन की पेशकशों का मूल्यांकन करने के लिये अफसरों का एक दल भेजने का विचार है ।

(ग) मज़ गांव डाक समिति, बम्बई ।

प्रेस सलाहकार समिति

†१८७९. श्री नम्बियार :
श्री प्र० चं० यबरुआ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष प्रेस सलाहकार समिति की बैठक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने प्रेस के लिये आयकर संहिता बनाने तथा भारत में एक प्रेस परिषद की स्थापना के संबंध में विचार करने के निमित्त पहले नियुक्त की गई दो उप समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार किया है । इन प्रतिवेदनों को देखते हुये समिति ने :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) राष्ट्रीय एकता तथा संकट काल के संबंध में प्रेस के लिये आचार संहिता को अन्तिम रूप दिया है और पत्रकारों के लिये व्यापक आचार संहिता बनाने का प्रश्न स्थापित की जाने वाली प्रेस परिषद के ऊपर छोड़ने का फैसला किया है ;

(२) सरकार के विचारार्थ प्रेस परिषद की स्थापना का मसौदा विधेयक स्वीकार किया है ।

अखबारी कागज का नियतन[1]

†१८८०. **श्री नम्बियार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिये आवंटित अखबारी कागज के अभ्यंश में १९६३ में वृद्धि की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: (क) और (ख). १९६३-६४ के लिये अखबारी कागज के नियतन से संबंधित चालू नीति के अन्तर्गत, १०,००० प्रतियों से कम परिचालन वाले वर्तमान समाचारपत्र अथवा परिचालन १०,००० प्रतियों पर या अप्रैल १९६१—मार्च १९६२ के बीच उनके परिचालन का २५ प्रतिशत तक, जो कम हो, बढ़ा सकते हैं और चार या छः पृष्ठ छापने वाले वर्तमान दैनिक समाचारपत्र क्रमशः छः और आठ पृष्ठों तक पृष्ठ संख्या बढ़ा सकते हैं । यह भारतीय भाषाओं के तथा अन्य समाचारपत्रों पर लागू होती है ।

येलान्दू कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं

†१८८१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येलान्दू (सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी) में कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या काफी अधिक है ;

(ख) क्या दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विश्लेषण से एक विशिष्ट प्रवृत्ति मालूम हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी नहीं १९६२ में घातक दुर्घटना प्रति हजार कर्मचारियों में ०.४५ थी, जबकि १९६१ में १.३१ थी। उत्पादन के आधार पर यह दर १९६२ में निकाले गये प्रति १० लाख टन कोयले में २.४६ थी जबकि १९६१ में प्रति १० लाख टन पर ८.५६ थी।

(ख) जी हां ।

(ग) १९६२ और १९६३ में अब तक जो दुर्घटनायें हुई हैं उनका कारण छत का गिरना है जबकि पहले वे और भी कारणों से होती थीं ।

सैनिक चिकित्सा सेवा के लिए डाक्टर

†१८८२. **श्री च० का० भट्टाचार्य**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों को कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर सैनिक चिकित्सा सेवा में जाने की कोई रुकावट है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Allotment

(ख) क्या उनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे पदों के लिये अर्जी देने से मना किया गया है ; और

(ग) क्या उनको वर्तमान संकट काल में सेवा के लिये डाक्टरों की आवश्यकता की दृष्टि से सैनिक चिकित्सा सेवा में जाने के लिये अवसर प्रदान का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). लाइसेंस प्राप्ति की योग्यता जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम पहली और दूसरी अनुसूचियों में शामिल है, एफ० एस० सीमा के साथ, सैनिक चिकित्सा सेवा में कमीशन प्राप्ति के लिये मान्य है, इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग १ में सम्मिलित लाइसेंस प्राप्ति की योग्यता, जो प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचियों में दी गई योग्यताओं के बराबर नहीं है, सैनिक चिकित्सा सेवा में कमीशन देने के लिये मान्य नहीं है। इस बारे में अभी कमीशन देने की योग्यतायें वही हैं चाहे किसी व्यक्ति को कमीशन सिलैक्शन बोर्ड द्वारा दिया जाये या संघ सेवा आयोग के द्वारा।

(ग) इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

प्रत्यर्पण सन्धियां

†१८८३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की गई हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १ भूटान २. सिक्किम और ३. नेपाल के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत द्वारा प्रत्यर्पण संधियां की गई हैं।

पंजाब के लिये तीसरी योजना के लक्ष्य

†१८८४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा पंजाब की तीसरी योजना के लक्ष्यों में संशोधन किया गया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकार को किसी सहायता की पेशकश की है ताकि योजना के लक्ष्य पूरे किये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

वायु सेना के रिजर्व सैनिक

†१८८५. **श्री मुरारका** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकट कालीन सेवा के लिये वायुसेना के रिजर्व सैनिकों का आह्वान किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में]

(ख) यदि हां, तो क्या ४ दिसम्बर, १९६२ के गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के अनुसार उन के वेतन और भत्ते पूर्णतया सुरक्षित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) आह्वान करने से पहले उन रिजर्व सैनिकों के वेतन और भत्ते सुरक्षित किये जाते हैं, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायु सेना के रिजर्व सैनिकों के लिए वर्दी-भत्ते

†१८८६. **मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के रिजर्व सैनिकों को आह्वान करने की तिथि से वर्दी भत्ते नहीं दिये जाते ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) वायु सेना के रिजर्व सैनिकों, केवल वैमानिकों को, ड्यूटी पर आने की तिथि से वर्दी भत्ते दिये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमरजेंसी कमीशन

†१८८७. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमरजेंसी कमीशन में चुनने से संबंधित नियमों में हाल ही में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या प्रारम्भिक चुनाव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत अभ्यार्थी, पूर्व निर्धारित नियमों के प्रतिकूल छः महीने पूरे होने से पहले पुनः अर्जी देने के लिये अर्ह कर दये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह उदारता सैनिक सेवा चुनाव बोर्ड द्वारा अस्वीकृत अभ्यार्थियों के लिये भी लागू होती है ; और

(घ) यदि नहां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) सैनिक सेवा चुनाव बोर्ड के परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर अभ्यार्थी की संमुपयुक्तता को आंकने के लिये किये जाते हैं। परीक्षण को पास करने के योग्य बनने के लिये अपेक्षित स्तर पर पहुंचने के योग्य बनाने के लिये अभ्यर्थी में पर्याप्त उन्नति छः महीनों से कम समय में होने की संभावना नहीं होती। अतः इस प्रतिबंध को हटाने से प्रयत्न और व्यय बेकार जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

वायुसेना उड्डयन कालेज की परीक्षा

१८८८. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वायु सेना उड्डयन कालेज के ८७वें जी० डी० पायलेट कोर्स की परीक्षा जो होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षा स्थगित करने का क्या कारण है ; और

(ग) अब यह परीक्षा कब होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां, इसे स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) आपाती घोषणा के पश्चात् वायु सेना में विमान चालकों के प्रशिक्षण की क्षमता यथासंभव अधिकाधिक बढ़ा दी गई है। अर्ध-वार्षिक अवधियों पर लोक संघ सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से आवश्यक, भारी संख्या में प्रशिक्षार्थियों को चुन सकना संभव न था । इसलिए निर्णय किया गया कि अधिकारी उम्मीदवार सीधे वायुसेना मुख्यालय को निवेदन-पत्र भेजें । इस निर्णय के फलस्वरूप लोक संघ सेवा आयोग द्वारा परीक्षा नहीं ली जा रही ।

(ग) १९६३ में कोई परीक्षा नहीं होगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः जारी करने के निमित्त निर्णय, यथासंभव किया जाएगा।

'प्रूफ़ एण्ड एक्स्पेरीमेंटल सेंटर' चांदीपुर

†१८८९. **श्री गो० महन्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर के प्रमाण प्रूफ़ एण्ड एक्सपेरीमेंटल सेंटर के नियंत्रण के अधीन (१) सैनिक भूमियों और (२) समुद्री-मीनक्षेत्रों से १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ व १९६२–६३ में कितनी कितनी माल-गुजारी वसूल की गई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जो मछियारे उन मीन क्षेत्रों में नियमित रूप से मछली पकड़ते रहे है उन्हें इसका अधिकार दे दिया गया है, यद्यपि वह ऐसा नहीं है जैसा कि पहले नीलामी-विक्रय पद्धति के अधीन था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** :(क) और (ख). क्योंकि प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंटल एस्टैब्लिमेंट, बालासोर की भूमि तथा मीन क्षेत्र १९५७ से उड़ीसा सरकार के प्रबन्ध में है अतः जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है । तथापि, वह एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इल्मेनाइट का चैकोस्लोवाकिया को निर्यात

†१८९०. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इल्मेनाइट का चेकोस्लोवाकिया को निर्यात करने के लिये चल रही समझौता वार्ता में क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस अयस्क के जो नमूने चेकोस्लोवाकिया को भेजे गये थे उन पर किये गये विश्लेषण के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तो उसका क्या स्वरूप है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भारतीय इल्मेनाइट के उपलक्षक नमूने[1] हाल ही में चैकोस्लोवाकिया को भेजे गये है। इन नमूनों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

मलाबार क्षेत्र में हवाई अड्डा

†१८९१. **श्री अ० वा० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल के मलाबार क्षेत्र में एक हवाई अड्डे के लिये स्थान ढूंढ़ने के लिये सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या केरल की चेलारी हवाई पट्टी पर भी अन्य स्थानों के साथ साथ विचार किया गया था ; और

(ग) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार को केरल के चेलारी नामक स्थान में एक उपयुक्त हवाई पट्टी होने का पता नहीं है। केरल में सम्भावित स्थलों की विस्तारपूर्वक जांच की गई थी परन्तु सर्वेक्षण किये गये क्षेत्रों में से कोई भी क्षेत्र आधुनिक वायुयानों का परिचालन करने योग्य हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया।

कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों के लिये बोनस

†१८९२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को १९५९, १९६० तथा १९६१ का बोनस अभी तक नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा कितना बकाया अधिलाभांश इकट्ठा हो गया है ;

(ग) इस बकाया अधिलाभांश का भुगतान करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) से (ग). क्योंकि यह मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में है अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Representative Sample.

एयर इंडिया से कान्सटिलेशन वायुयानों की खरीद

†१८९३. **श्री याज्ञिक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा एयर इंडिया से कितने कान्सटिलेशन वायुयान खरीदे गये हैं ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिये इन वायुयानों की पूरी तरह से मरम्मत की गई है ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा विभाग द्वारा यह कान्सीटेलेशन वायुयान उनके अपने कार्य के लिये पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप में उपयोग में लाये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :** (क) नौ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह वायुयान प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जा रहे हैं ।

पंजाब में स्थानीय विकास कार्य

†१८९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में स्थानीय विकास कार्यों के लिये पंजाब को कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई थी ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य द्वारा कितना रुपया काम में लाया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) और (ख). स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम के अधीन १९६२–६३ के लिये पंजाब को २२ लाख ५० हजार रुपया आवंटित करने की सूचना दी गई थी । राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि अप्रैल १९६२ से दिसम्बर १९६२ तक ०.१७४ लाख रुपयों का वास्तविक व्यय हुआ है तथा जनवरी से मार्च, १९६३ तक का पूर्वाशित व्यय १९.८१३ लाख है । १९६२–६३ के लिये १८ लाख रुपये का तदर्थ अनुदान दिया गया था । तथा सम्पूर्ण वर्ष के लिये वास्तविक व्यय के आंकड़ों के प्राप्त होने पर आवश्यक समायोजन कर दिये जायेंगे । क्योंकि वित्तीय वर्ष बस ३१ मार्च को ही बन्द हुआ है अत: जिलों से वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा ।

घाना के लिये भारतीय अर्थशास्त्री

†१८९५. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाना सरकार ने उनकी योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये भारत सरकार से कुछ अर्थशास्त्रियों की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) किन व्यक्तियों के भेजे जाने की सम्भावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

एन० सी० सी० ट्रेनिंग

१८९७. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोफेसर और लेक्चररों को भी एन० सी० सी० ट्रेनिंग दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देश भर में ऐसे कितने प्रोफेसर और लेक्चरर है जो अन्य स्कूलों में एन० सी० सी० ट्रेनिंग दे सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया गया है कि एन० सी० सी० अफसरों के अतिरिक्त उन प्रोफेसरों और लेक्चरारों को स्वैच्छिक एन० सी० सी० प्रशिक्षण दिया जाए, जो ३५ वर्ष से कम आयु के हों । इस प्रयोग को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा केरल में सफलतापूर्वक आजमाया गया है ।

(ख) इस समय ७०८९ प्रशिक्षित एन० सी० सी० अफसर है, जो अपनी यूनिटों में व्यस्त न होने पर, स्कूलों तथा कालिजों में एन० सी० सी० प्रशिक्षण दे सकते है ।

वायुसेना में रंगरूटों की भरती

१८९८. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथे दशक के लिये वायु सेना में रंगरूट भरती कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी क्षमता पूरी हो चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) से (ग). वायुसेना में भरती समस्त वायुसेना के लिये की जाती है न कि किसी स्क्वाड्रन विशेष के लिए ।

लेह और लद्दाख के बीच सड़क

१८९९. **श्री कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेह और लद्दाख के बीच में जो सड़क बनाई जा रही थी उसका काम गत जुलाई से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे फिर से चालू किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो किस की मदद से ; और

(घ) निर्माण कार्य बन्द होने का क्या कारण था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सैनिकों में अत्यधिक ऊंचाई की बीमारी

१९००. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अगस्त, १९६२ के बाद से अब तक भारत की सशस्त्र सेनाओं के कितने सैनिक अत्यधिक ऊंचाई की बीमारियों से ग्रसित हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने सैनिक बाद में स्वस्थ हो गये और कितने शहीद हो गये ;

(ग) क्या इसी प्रकार अत्यधिक ऊंचाई की बीमारी की ग्रसित होने के कोई मामले, मध्य क्षेत्र (बड़ाहोती) और पूर्वी क्षेत्र (नेफा) में भी इस बीच हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :(क) अक्तूबर १९६२ से मार्च १९६३ तक की अवधि में लद्दाख क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग में ऐसे ५७ रोगी हुये हैं। सितम्बर १९६२ में होने वाले ऐसे रोगियों के आंकड़े मांगे गये हैं और यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) ५३ स्वस्थ हुए और ४ मरे।

(ग) तथा (घ). मध्य भाग से ऐसे रोगियों के प्रति कोई रिपोर्ट नहीं मिली। पूर्वी प्रदेश (नेफा) में शसस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग में सितम्बर १९६२ से मार्च१९६३ तक की अवधि में ११७ ऐसे रोगी हुए जिनमें से दो मरे और शेष स्वस्थ हुये।

भारत में मिसाइलों का निर्माण

†**१९०१. श्री याज्ञिक :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में मिसाइलों का निर्माण करने के लिये रूसी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, क्या मिसाइलों का उत्पादन भी उन्हीं स्थानों पर किया जायेगा जहां कि 'मिग' विमान बनाये जायेंगे ; और

(ग) भारत में किस समय के भीतर प्रक्षेपस्त्रों का उत्पादन हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादनमंत्री (श्री रघुरामैया)**:(क) रूसी सरकार के साथ हुए समझौते के अधीन संपूर्ण वायुयान का निर्माण आता है जिसमें उसके अस्त्र शस्त्र भी सम्मिलित है।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में रेडियो सेटों का वितरण

†१९०२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सैटों की व्यवस्था करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक राज्य को कितने रेडियो सेट दिये गये थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) ५,००० ।

(ख) १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश को १०७० रेडियो सैटों का संभरण किया गया था । १९६२–६३ के लिये निश्चित किये गये ८७५ सैट शीघ्र ही दे दिये जायेंगे । दिसम्बर, १९६२ तक इस राज्य को सम्भरित किये गये रेडियो सेटों की कुल संख्या ८,३१० है ।

लंका में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के लिये धन का इकट्ठा किया जाना

†१९०३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री द्वारकादास मन्त्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री लखमू भवानी :
श्री कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के बहुत से नागरिकों तथा वहां रह रहे बहुत से भारतीयों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में स्वेच्छापूर्वक तथा सहृदयता से धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आज तक इस प्रकार कितनी धन राशि दी गई है ;

(ग) क्या इस धम राशि को श्रीलंका से भारत भेजने में कोई कठिनाई आई है ; और

(घ) उस कठिनाई को जीतने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी हां ।

(ख) ४,५१,२०० रुपये ।

(ग) जी हां ।

(घ) धन को उपयोग में लाने के वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचनायें, कोयला खानों के मुख्य निरीक्षक का पश्चिमी बंगाल में जमूरिया कोयला खान में हुई दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२४ ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०४ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(३) २१ मार्च, १९६३ को पश्चिम बंगाल की जमूरिया कोयला-खान की ए और बी खदानों में हुई घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ११२३/६३, एल० टी० ११२४/६३ और एल० टी० ११२५/६३]

संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं, जिस में विधान मंडलों तथा मंत्री मंडलों की स्थापना करने की व्यवस्था है ।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि १७ अप्रैल को चर्चा ५ बजे सायंकाल तक चलेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यदि निश्चय करे तो जब तक चाहे बैठ सकता है । हम ऐसा करते रहे हैं । हम आज और कल एक घंटा अधिक बैठ सकते हैं और मुख बन्ध का प्रयोग ५ बजे सायं १८ अप्रैल को किया जा सकता है । इसे १७ अप्रैल को प्रयोग किया जाना चाहिए ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जब हम पूरी संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे तो मुख बन्ध प्रयोग भी नहीं होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में सभा इस बात से सहमत है कि १७ अप्रैल को पांच बजे मुख्य बंध प्रयोग किया जाय ।

†कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अनुदानों की माँगें

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय--जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब हम इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदान की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

†श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने बहुत ही शानदार काम किया है । बहुत ही कम लागत पर ऊंचे स्तर की मशीनों का निर्माण किया है । मेरा मत यह है कि सरकारी क्षेत्र में स्वनिर्मित उद्योग का यह बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण उदाहरण है । विशेष लेथों के डिज़ाइन भी इन्होंने विकसित किये हैं । बिना विदेशी आर्थिक सहायता के आरम्भ की जाने वाली यह प्रथम फैक्टरी है । इस फैक्टरी ने १९६१–६२ में १२७ लाख रुपये का नेफा कमाया । १० प्रतिशत लाभांश दिया और ५३ लाख से ७५ लाख रुपया रक्षित कोष में दिया गया ।

कुछ मशीनें पश्चिमी जर्मनी और स्विटजरलैंड को भी निर्यात की गयी हैं । यद्यपि ११ से १२ लाख का ही निर्यात हुआ है परन्तु बात बड़ी महत्वपूर्ण है । तीसरी योजना के अन्तर्गत लगभग ५० करोड़ रुपये की मशीनरी की जरूरत है । मशीनरी का उत्पादन लगभग ३० करोड़ रुपये तक का हो जायेगा । २० करोड़ रुपये की मशीनरी और चाहिए । मेरा विचार है कि विभिन्न औद्योगिक बस्तियों, छोटे पैमाने के उद्योगों और कर्मशालाओं आदि की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मशीनी औजारों के कारखाने स्थापित किये जाने चाहिए ।

अब मैं उर्वरकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । तीसरी योजना के अन्त तक चार पांच लाख टन उर्वरकों का उत्पादन है । नाइट्रोजन की कुल स्थापित क्षमता २,४८,३०० टन की है । तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में यह क्षमता ८,३१,२५० टन हो गयी । मेरा निवेदन है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है । यह प्रसन्नता की बात है कि मद्रास, मैसूर, केरल, आंध्र, बम्बई और अन्य राज्यों में उर्वरक कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया गया है । ये योजनायें शीघ्र कार्यान्वित की जायं । नाइट्रोजन की क्षमता तीसरी योजना के अन्त तक १३,८७,८०० टन हो जायेगी । गैर सरकारी क्षमता १८,००,२५० टन की है परन्तु स्वीकृत क्षमता ५,७६,२५० टन नाइट्रोजन की है । इस समय सिंदरी और नांगल में अधिकतम उत्पादन हो रहा है ।

आपात काल में सीमेन्ट का उत्पादन बहुत बढ़ गया है । मांग बहुत अधिक है और सम्भरण बहुत कम । सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्पात संयंत्रों और दूसरी धमन भट्ठियों से "ग्रेनुलेटिड स्लैग" के प्रयोग की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । मंत्रालय के सामने आने वाली मदें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । वे सब हमें आर्थिक निर्भरता की ओर ले जाने वाली हैं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस दिशा का उत्साह और उपक्रम बनाये रखेंगे । मैं मांगों का पूरा समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : यह बात तो सब ने स्वीकार की है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस मंत्रालय के कार्य को बहुत ही सुचारू ढंग से साहस के साथ चलाया है । प्रशासन कार्यों में काफी तीव्रता लाई गयी है । इससे यह आशा बनी है कि उनका मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं को सफलता से चला लेगा । इस बारे में मेरा एक निवेदन यह है कि साधारणतः अन्य देशों में सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले उपक्रम वहां की वित्तीय व्यवस्था के साधन होते हैं । परन्तु हमारे देश में यह बहुत बड़ा दायित्व बन रहे हैं । मेरे विचार में इस दोष का सब से बड़ा कारण यह है कि जिन लोगों को इन परियोजनाओं का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है उन्हें इस बारे में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता । इस बारे में जो परामर्श योजना आयोग ने दिया था उस पर अमल नहीं हो रहा ।

मेरा सुझाव है कि इन उपक्रमों के अधिकारी केवल अनुभवी और ज्ञानवान प्रविधिज्ञ लोगों को ही बनाया जाय । इस प्रकार के पदों का चुनाव केवल उन लोगों में से करना चाहिए, जो कि भारतीय असैनिक सेवा और अन्य प्रशासनिक सेवाओं से सम्बन्धित रह चुके हैं । जो लोग तकनीकी हैं उन्हें प्रबन्ध में पूरे अधिकार दिये जायें ।

अनुमान यह है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ११५० करोड़ रुपये का नियोजन किया गया है । इस सारी पूंजी का केवल २५ प्रतिशत ही चल रहा है । निर्माण की गति बहुत ही धीमी चाल से चल रही है । लागत पूंजी में बहुत वृद्धि हुई है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सारे दोष प्रशासनिक कमी और योजना की बुराइयों के कारण हैं । आवश्यकता इस बात की है कि इस सारे मामले की जांच की जाय और पूरी छानबीन करके इस में समुचित सुधार किये जायें । सरकार उपक्रमों में विशेष तौर पर इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए ।

परियोजनाओं के बारे में अनुमान लगाने में भी भारी भूलें की गयी हैं । अनुमान बहुत कम लगाये गये हैं । उदाहरण के तौर पर हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल का ही मामला हमारे सामने है । इसका अनुमान पहिले कुछ था और बाद में कुछ और ही निकला । इसके बारे में सदन के समक्ष एक पूर्ण दृढ़ और अन्तिम प्राक्कलन पेश किया जाय ।

सरकारी उपक्रमों की जो भी दोष हैं, वे स्पष्टतः हमारे सामने आ रहे हैं । इन उपक्रमों के पदाधिकारी स्पष्ट भूलें करते हैं । इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि जिन कठिनाइयों के कारण वे लोग भूलें करते हैं,उनके बारे में पदाधिकारियों को कोई पथ-प्रदर्शन पुस्तक दी जाय । इस पुस्तक में परियोजना से सम्बन्धित विविध अंगों पर प्रकाश डाला जाय इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में नहीं होने चाहिए । इन्हें साधारणतः वहीं रखा जाना चाहिए, जहां कि परियोजना चल रही हों ।

नितान्त उपेक्षा की भावना से बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी रहती है । इस प्रकार की बहुत सी क्षमता भोपाल और सिन्दरी में बेकार पड़ी है । यह बेकार पड़ी क्षमता का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी बताना चाहिए कि कितना देशी माल प्रयोग हो रहा है । जिन स्थानों पर ये परियोजनायें चालू की जाती हैं, उनके आस पास सहायक उद्योगों का विकास किया जा सकता है । इन बड़े बड़े और छोटे उद्योगों का परस्पर समन्वय होना चाहिए । पुर्जों और कच्चे माल के सम्भरण में इस प्रकार काफी सुविधा हो सकती है ।

यह भी बड़ा आवश्यक है कि परियोजनाओं में कर्मचारियों की संख्या कम की जाय और प्रशासन व्यय को भी कम किया जाय । भारतीय उर्वरकों के मूल्य भी बढ़ रहे हैं । देश में उत्पादित उर्वरकों के मूल्य कम करने के लिए पग उठाये जाने चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० कु० घोष :** (रांची पूर्व) : अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रालय की ओर से जो प्रतिवेदन हमें दिया गया है उसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं। मंत्रालय द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके कार्य इत्यादि के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिये थी। यह बड़े खेद की बात है कि मंत्रालय के अन्तर्गत जितने भी उपक्रम चल रहे हैं वह सब के सब हानि में ही चल रहे हैं। लाभ में कोई नहीं चल रहा। हिन्दुस्तान स्टील में सरकार का ६६४ करोड़ रुपया लगा हुआ है। ३०७ करोड़ रुपये की पूंजी है और ३५७ करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लगे हुए हैं। कितने खेद की बात है कि इतनी पूंजी लगाने पर भी इस उपक्रम में ४० करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस परिस्थिति में यह मामला बड़ा गम्भीर हो जाता है। मेरे विचार में वाणिज्यिक संस्थानों को चलाने में अपर्याप्त ज्ञान वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रबन्धक कर्मचारियों पर अधिक व्यय और कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा और बेईमानी ही इसके मुख्य कारण हैं। धन देने की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

ऐसे मामले भी सामने आये हैं जिनमें निदेशक भी भ्रष्टाचार में शामिल हुए पाये गये हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जब विभिन्न प्रकार के पदों पर लोगों को नियुक्त किया जाता है तो काफी पक्षपात होता है। इस पक्ष पात को रोका जाना चाहिये। अब समय आ गया है जब कि सरकार सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने वाले लोगों को चुनने के लिये उसी प्रकार एक सेवा आयोग नियुक्त करे जिस प्रकार का संघ लोक सेवा आयोजग है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में एक उच्च-अधिकारी-प्राप्त समिति नियुक्त करने में और विलम्ब नहीं होना चाहिये। इस बात की जांच की जाय कि किसी उपक्रम की कठिनाईयों को देखते हुए कितनी हानि उचित है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस्पात के उत्पादन के लिए बड़े "यूनिट" बनाना उचित नहीं है। छोटे यूनिटों में उत्पादन लागत कुछ अधिक हो सकती है परन्तु देश में कुशल जनशक्ति की कमी और विदेशी मुद्रा के अभाव को ध्यान में रखते हुए बड़े यूनिटों से यह कम है। इसके अतिरिक्त, छोटे यूनिटों में रोजगार की अधिक संभावना है। सरकार द्वारा "बोकारों इस्पात संयंत्र" के बारे में अनुमान पूर्णतः अवास्तविक है। इस प्रकार की परियोजनाएं बनाने से वर्तमान यूनिटों का विस्तार करना उत्तम है। इस मामले में गैर-सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाये।

बोकारो परियोजना में ३०० करोड़ रुपया डूब गया है जिसमें से ५० की विदेशी विनिमय के लिए आवश्यकता होगी। इन हालात में अमरीका विशेषज्ञ भी इस परियोजना के सम्बन्ध में कुछ आशा व्यक्त नहीं कर रहे।

मुझे पता चला है कि कुछ गैर सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने कार्य के विस्तार की योजनाएं सरकार को प्रस्तुत की हैं। मेरा विचार है कि नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने से पूर्व इन योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिये। सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों को का[illegible]पर लगाने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ऐसा करने से कर्मचारियों में जो असन्तोष फैला हुआ है वह दूर हो जायेगा। सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित छोटी कार परियोजना को समाप्त न किया जाये। सरकार को गैर सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में लारियों और ट्रकों के निर्माण के लिये कारखाने स्थापित करने को प्रोत्साहन देना चाहिये।

---

†[मूल अंग्रेजी में]

[श्री प्र० कु० घोष]

देश के विकास में सीमेंट उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है । इसके उत्पादन की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । आपातकालीन स्थिति में तो सीमेंट उत्पादन का महत्व और भी अधिक है । यह चिन्ता का विषय है कि तीसरी योजना के अन्त तक सीमेंट के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त किये जानेने की संभावना नहीं है । अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्यों में उत्तरोत्तर पुनरीक्षण किया जाये ताकि विकास कार्य रुके न रहें । देश में विदेशी सहयोग से अधिक सीमेंट कारखाने स्थापित किये जायें । पता चला है कि बहुत से विदेशी लोग हमारी सहायता से देश भर में सीमेंट कारखाने लगाये जाने के लिए उत्सुक हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** (मयूरगंज) : हमें इस बात का सन्तोष है कि उद्योगों की प्रगति की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है । जिस मंत्री महोदय के हाथ में इस मंत्रालय की बागडोर है वह भी योग्य व्यक्ति है । ठीक है कि भारी उद्योगों में समुचित प्रगति हुई है, पर ऐसे उद्योग भी हैं जिनके उत्पादन में कमी हुई है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सीमेन्ट का उत्पादन १९६१ में ९०.७९ लाख का था, परन्तु १९६२ में यह ८१ लाख का रह गया । इसी तरह कृषि औजारों का उत्पादन १९१.५६ लाख रुपये से कम होकर १०३.६९ लाख का हो गया है । इस तरह इस्पात की कुछ चीजों के उत्पादन में भी कमी हुई है ।

भारी उद्योग अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक उन्नति के लिए सहायक होते हैं । उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिए । मंत्रालय को देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार भारी उद्योगों को बनाना चाहिए ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के अधिकारियों में उत्तरदायित्व की कमी, व्यापार दृष्टिकोण की कमी, प्रशासन सम्बन्धी विलम्ब और रुपया मंजूर करने में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों की जांच की जानी चाहिए और उन का हल निकाला जाना चाहिए ।

सरकारी उद्योगों के लिए एक संसदीय समिति जिसका सुझाव दिया गया था, शीघ्र बना दी जाए ।

इस्पात और लोहे की सम्भरण की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और इनका निर्यात कुछ देर के लिए बन्द कर दिया जाए ।

सरकारी क्षेत्र की तीन इस्पात संयंत्रों ने बड़ा अच्छा काम किया है और इनका विस्तार भी हो रहा है ।

कच्चे माल की किस्म में कुछ कमियां हैं और विस्तार के कार्यक्रम में भी कुछ कमियां हैं । आशा है कि मंत्रालय इस संबंध में शीघ्र निर्णय करेगा ताकि कमियां दूर हों ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति को देखते हुए हमारे देश में लोहे और सीमेंट की बहुत आवश्यकता है । इसके अन्दर अभी उत्पादन इतना

---

†मूल अंग्रेजी में

कम होता है कि हमारी सीमेंट और लोहे की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं । लोहे और सीमेंट के वगैर बहुत से काम अभी तक भी अधूरे पड़े हुए हैं और पड़े रहते हैं । आजकल जितने भी बांधों, या पुलों वगैरह बनाने के प्रोग्राम्स हैं उनमें हर जगह सीमेंट इस्तेमाल में लाई जाती है । इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैक्टरियां सीमेंट की होनी चाहिएं । हमारे यहां राजस्थान के अंदर सीमेंट का काफ़ी पत्थर निकलता है । इसलिए अगर बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्टरियां खोली जायें तो देश की सीमेंट की जरूरतें पूरी हो सकती हैं ।

इसी तरह से लोहे की मकान और ब्रिजेज़ बनाने में बहुत ज़रूरत पड़ती है और लोहे का ज़रूरत के मुताबिक उत्पादन न होने के कारण हमारे बहुत से काम बाकी पड़े रहते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं । सीमेंट और लोहे की कमी को दूर करने के लिए मेरा सुझाव है कि जहां अभी दोपालियां चलती हैं वहां पर तीन, तीन और चार, चार पालियां चलाई जांय ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें ।

खाद की भी कमी देश को पड़ रही है । अब खाद के बग़ैर हम अपनी कृषि की पैदावार को नहीं बढ़ा सकते हैं । खेती लायक ज़मीन बग़ैर खाद के पड़ी रहती है क्योंकि जब तक उसे खाद नहीं मिलेगी तब तक वह ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी उपजाऊ कि उसे होना चाहिए । इसलिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खाद का उत्पादन भी हमें बढ़ाना चाहिए । आज हमें जो बाहर से खाद मँगानी पड़ती है वह बाहर से न मँगा कर हमारे कारख़ानों के अन्दर ही ज्यादा से ज्यादा खाद्य का उत्पादन होना चाहिए । लेकिन उसका उत्पादन देश में करने के साथ ही साथ उस के भाव के ऊपर भी सरकार को कुछ कँट्रोल करना चाहिए । अभी हालत यह है कि जो बाहर से खाद आती है वह हमारे यहां की खाद से काफ़ी सस्ती पड़ती है और जो यहां खाद बनती है वह बाहर की खाद से महँगी पड़ती है । इसलिए देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ उसके भाव पर भी कुछ नियँत्रण होना चाहिए ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि फैक्टरियों को उतनी ही ज़मीन देनी चाहिए जितनी कि उनकी फैक्टरी को सैट अप करने के लिए आवश्यक हो । अब होता यह है कि अगर एक फैक्टरी को सैट अप करने के लिए १००० फुट का एरिया आवश्यक होता है तो फैक्टरी के मालिक लाखों फुट ज़मीन अपने कब्ज़े में कर लेते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि फैक्टरी की आवश्यकताओं को देख कर ही कि कितनी ज़मीन आवश्यक होगी, ज़मीन का ऐलाटमेंट करना चाहिए और अभी जो फैक्टरी के मालिक ज़रूरत से कहीं ज्यादा ज़मीन फैक्टरी सैट अप करने के नाम पर अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, वह प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए ।

कोटा देते वक्त भी सरकार को सावधानी बर्तनी चाहिए और सही आदमियों को ही कोटा दिया जाय । लोहे की चादरों का कोटा ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिनका कि कारख़ाने से कभी कोई सम्बन्ध नहीं होता । उनका कारख़ाने में कभी आना जाना भी नहीं होता लेकिन उन के नाम पर वह कोटा दे देते हैं और लाखों, करोड़ों रुपये का ब्लैक मनी घर बैठे कमा लेते हैं । इसलिए कोटा ठीक आदमियों को दिया जा रहा है या नहीं सरकार को इस पर निगाह रखनी चाहिए । मेरा कहना यह है कि काम देख कर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ व फैक्टरीज़ को देख कर ही उनको यह लोहे का कोटा देना चाहिए।

भूपाल में अभी बिजली का सामान बनाने के लिए सरकार ने जो कारख़ाना खोला है उस की स्पीड भी उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए । बाहर से सामान मँगाया जाता है और उस में लाकर फिट कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि यह हमारे यहां बना है । ऐसा नहीं होना चाहिए । जितना भी सामान अच्छे से अच्छा बन सके बाहर से मँगाने की अपेक्षा यहां

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

बनाना चाहिए और यहीं उस को बना कर फिट करना चाहिए। हर एक चीज़ इस तरह से हमारी इन बड़ी बड़ी फैक्टरियों के अन्दर बननी चाहिए।

बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ को जो कर्जे दिये जाते हैं उन्हीं के सहारे वे चलती रहती हैं। इस के अतिरिक्त जितने भी विदेशी ऐक्सपर्ट्स हमारे देशवासियों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए आते हैं वे जन्म भर के लिए यहीं इन कारख़ानों में जमे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम विदेशियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने यहां के आदमियों को तकनीकी शिक्षा के लिए ट्रेंड करना चाहिए और हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा आदमियों को काम देने की होनी चाहिए। बाहर की मशीनों और कल पुर्जों आदि के बारे में उन को काम सिखवाया जाय और धीरे धीरे जो भी विदेशी हों उनको हमें अपने कारख़ानों से निकाल देना चाहिए।

ऐसे ही कर्जे की बात है। जैसे किसी कम्पनी को १० करोड़ रुपया कर्ज दिया तो उस कर्जे को धीरे धीरे कटौती करके वसूल लेना चाहिए और उन को धीरे धीरे स्वयं के ऊपर निर्भर बना देना चाहिए। उन्हें इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाय। यह नहीं कि हम कर्जे देते चले जांय और वह हमारे कर्जे से फैक्टरियों का उत्पादन बढ़ाते जांय और हमारे पैसे से हमारे ही सिर का मुंडन करते जांय। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन से धीरे धीरे कर्जे वसूल होने चाहिएँ। हमें स्वयं अपने देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए।

मेरा यह निवेदन है कि जितनी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन में ऐसे कल व पुर्जे आदि बनायें जो कि लघु उद्योगों के अन्दर काम आंयें ताकि लघु उद्योग देश में अधिक मात्रा में विकसित हो सकें। छोटी छोटी मशीनों के पुर्जे बनाये चांय ताकि देश में छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर चालू किये जा सकें। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हमारे यहां फैक्टरीज़ में इस तरह के पुर्जे बनें ताकि हम लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकें। बस इतना कह कर मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ।

†डा० क० ल० राव (विजयवाड़ा) : बिजली देश की विकास की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। जिन देशों के पास काफी विद्युत् है वे बहुत अमीर देश हैं। यदि हमें बिजली के विकास को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करना है तो बिजली पैदा करने के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता है वे इसी देश में बनाई जाती हैं।

हमारी कोशिश निष्फल यही है। यदि हम तेजी से काम नहीं करते तो हम देशीय साधनों द्वारा चौथी योजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते।

बिजली के अधिष्ठापन और सामान के सम्बन्ध में हमारी प्रगति कम रही है, क्योंकि हम ने समितियों द्वारा परीक्षण और निर्णय करने में काफी समय लगा दिया। इस धीमी प्रगति के दो पहलू हैं।

हमें आरम्भ में बड़ी योजनायें नहीं बनानी चाहिएँ। भोपाल इलैक्ट्रीकल्ज़ एक बड़ा अभियान है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े काम आरम्भ करने चाहिएँ। युरुप के देशों ने भी ऐसा ही किया।

बड़े कारखानों के साथ बड़ी चीजें बनाने का काम आरम्भ करके भी गलती की है। उन के लिए ऐसे सामान की आवश्यकता है जिस का बनाना पेचीदा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आरम्भ में हमारे देश में मध्यम श्रेणी के कारखाने स्थापित किये जाने चाहिएँ और मध्यम किस्म की चीजें बनानी चाहिएँ। १०० एम० डब्ल्यू० के तीन एककों की बजाय ये ६० एम० डब्ल्यू० के पांच एकक बना लेने चाहिएँ। बड़े एककों में छोटे एककों के मुकाबले कार्यकुशलता अधिक होगी, परन्तु सहायता के कार्यक्रमों के अन्तर्गत हमें अदायगी भी तो करनी पड़ेगी।

जब हम बड़े एककों का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि कम से कम तृतीय योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत बिजली के विकास में बाधा न पड़े।

सरकारी क्षेत्र में किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। सरकार को ए० ई०, आई० या अन्य स्थापित कम्पनियों से सेवा निवृत्त चीफ इंजीनियर नियुक्त करने चाहियें चाहे उन्हें कितना ही वेतन क्यों न देना पड़े। दो तीन वर्ष जितनी भी देर वे रहें उन्हें अच्छे वेतन पर भी रख लेना चाहिए। वे कार्यक्रम इत्यादि बनायेंगे। हम मशीनें इत्यादि स्वयं खरीद सकते हैं।

बिजली उद्योग के बारे में ध्यानपूर्वक पुनर्विचार किया जाना चाहिए। चौथी योजना में बिजली की शक्ति को बढ़ाने की भरसक चेष्टा की जानी चाहिए।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उद्योगों के इस मंत्रालय से हम देश के विकास और प्रगति की बहुत कुछ बुनियाद डाल सकते हैं। कामर्स एँड इँडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री और माइन्ज एँड फ्युअल मिनिस्ट्री भी इस संबंध में बहुत कुछ कर सकती हैं। इन दस मिनटों में ज्यादा न कहते हुये मैं सिर्फ चन्द प्वायंट्स इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इन प्वायँट्स पर गौर किया जाये और मँत्रालय उनके बारे में इंक्वायरी कराये और जहां तक हो सके, आवश्यक सुधार करने की कोशिश करे।

हमारे देश में तकरीबन ६०० करोड़ से ऊपर के बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्योग फल फूल रहे हैं, इसके लिये हमें आनन्द है, लेकिन इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि क्या हम छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये छोटे छोटे कारखाने हिन्दुस्तान पर भर में स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार इँडस्ट्रीज़ का कांसेन्ट्रेशन इतना बढ़ जायगा कि उन इँडस्ट्रीज़ को सँभालने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक इंकाइँट्स कमेटी की रिपोर्टस से साफ जाहिर होता है कि कि इन इँडस्ट्रीज़ के ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ गोल माल और ऐसी बातें हो सकती हैं, जिन को मंत्री महोदय नहीं देख सकते हैं और इस प्रकार हम इन को ठीक तरह से सँभालने से बिल्कुल दूर रहते हैं।

माइन्ज एंड फ्युअल मिनिस्टर ने अपने भाषण में तमाम राष्ट्रीय उद्योगों का नक्शा खींचते हुये बहुत जोर से कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय उद्योग को सोशलिस्टिक पैटर्न पर स्थापित करना और चलाना चाहते हैं। इस में शक नहीं कि हम सोशलिज्म के आधार पर ही इन उद्योगों को स्थापित करें, लेकिन प्रश्न यह है कि सोशलिज्म किस किस्म का हो और किस तरीके से हम उस को स्थापित करें। मैं समझता हूँ कि सोशलिज्म का मतलब स्टेट गाइडिड सोशलिज्म नहीं है, बल्कि हम डेमोक्रेसी गाइडिड सोशलिज्म चाहते हैं। लेकिन यह देख कर हम को अफसोस हुआ कि मँत्री महोदय ने अपनी स्पीच में डेमोक्रेसी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वह डेमोक्रेसी को भूल कर स्टेट गाइडिड सोशलिज्म यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। जिस प्रकार बड़े बड़े देवल धर्म के नाम पर इस दुनिया की तमाम सम्पत्तियों को छीनते हुये लोगों को एक्सप्लायट करते आये हैं, उसी प्रकार सोशलिज्म के नाम पर, बड़े बड़े कारखानों को बढ़ावा देने के नाम पर, यह कह कर कि सोशलिज्म हमारे लिये लाइफ एँड डेथ का क्वेश्चन है, आज गरीब लोगों का एक्सप्लायटेशन

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

चल रहा है। सोशलिज्म लाइफ एँड डैथ का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो फिजिकल लेबर करता है, जो गरीब है, उसकी इमदाद अगर हम नहीं करते हैं, जिसकी आमदनी बहुत कम है, उसकी इमदाद अगर हम नहीं करते हैं, तो रीयल सोशलिज्म की स्थापना नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर और अफसरों को देकर, अगर यह कहा जाता है कि सोशलिज्म की स्थापना की जा रही है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह नालायकी है। इस के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये। न इस हाउस को और न ही हमारे राष्ट्र को कोई गलतफहमी हो सकती है। मैं सोशलिज्म के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन डेमोक्रेसी गाइडिड सोशलिज्म के हक में मैं हूँ, स्टेट गाइडिड सोशलिज्म के हक में नहीं हूँ। आज यहां स्टेट गाइडिड सोशलिज्म, चल रहा है। किस तरीके का यहां सोशलिज्म चल रहा है, उसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट पेश की गई है और उनको पढ़ कर मैं सदन का वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहां पर उद्योग चल रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर कारखाने चल रहे हैं, उनकी तरफ आप देखें। अभी कल या परसों की ही बात है, यहां पर एक सवाल पूछा गया था नम्बर ६४८। यह सवाल श्री एस० एन० द्विवेदी जी ने पेश किया था।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फेयर प्राइस क्या हो सकती है, इस केस में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। दो सौ और तीन सौ परसेंट ज्यादा मूल्य पर यह सौदा हुआ है। हमें यहां पर बता दिया जाता है कि यह जो एग्रीमेंट हुआ है, यह उनका आपस में हुआ है। लेकिन आप देखें कि यह एग्रीमैंट किन किन लोगों के बीच में हुआ है। कालिंग इंडस्ट्रीज के रिप्रिजेंटेटिव कौन थे। उसके रिप्रिजेंटेटिव श्री पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, माइंज एंड फ्यूल की है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : यह स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज की है।

उड़ीसा इंडस्ट्रियल डिवेलेपमैंट कारपोरेशन के रिप्रिजेंटिव कौन थे ? किन्होंने उस पर दस्तखत किये ? वह वहां के मुख्य मंत्री हो तो थे।

सोशलिज्म के नाम पर और क्या क्या होता है, इसको भी आप देखें। कालिंगा को ही आप देखें। इसकी कहानी मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहता हूं। यह बहुत लम्बी चौड़ी कहानी है। इसके बारे में शेयरहोल्डर्ज की तरफ से शिकायतें आपके पास आई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुद भी बहुत सी शिकायत होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि खुदा के नाम पर जो शिकायत आपके पास आती है, उन पर आप फौरन एक्शन लें, फौरन ही, जरूरी हो, तो इंस्पैक्टर आप बिठायें सोशलिज्म के नाम पर इस तरह की चीजों को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिये। मुझे फख्र है कि स्टेट्स में जो मंत्रीगण हैं तथा केन्द्र में जो मंत्रीगण है, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और और उनका इस तरह की चीजों से आम तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता है लेकिन एक दो ऐसे जो इंस्टेंसिस आपके नोटिस में आते हैं, उनकी रोकथाम करना भी आपका फर्ज होना चाहिये।

यह जो पाइप लिमिटेड कम्पनी है, इसकी कहानी से आप वाकिफ ही है। जहां बाकी इस तरह की इंडस्ट्रीज को, इस तरह के कारखानों को जितना पाइप का प्रोडक्शन वे करते हैं, उसका तीन या चार या ज्यादा से ज्यादा पांच परसेंट जिंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां

इस एक खास फैक्ट्री को बारह परसेंट दे दिया गया था। इसके मुकाबले में दूसरी फैक्ट्रीज भी है जिन को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। देने के बाद भी यह जिंक कहां जाकर बिका है, इसको भी आप देखें। कालिंगा ट्यूब्ज लिमिटेड के दरवाजे पर कोई जिंक नहीं आया, वह उधर से उधर कलकत्ता में ब्लैक मार्किट में जाकर बिक गया। लारी नम्बर इसके आपके पास है और किन किन को बेचा गया है, यह इनफार्मेशन भी आपके पास मौजूद है। क्यों कोई उस पर एकशन नहीं लिया गया है, समझ में नहीं आता है।

इतना ही नहीं, एक और इन ट्यूब्ज की बात में आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी मैसूर स्टेट में ट्यूब्ज का एक व्यापारी है। ट्यूब्ज की सप्लाई के बारे में वहां के पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर और चीफ इंजीनियर के बीच झगड़ा हो गया था। चीफ इंजीनियर साहब चाहते थे कि मैसूर को ट्यूब्ज को लिया जाये। लेकिन उन पर सियासी दबाव डाला गया और उन से कहा गया कि उसको छोड़ कर दूसरी कम्पनी से जो कलकत्ता या उड़ीसा में है, उसके ट्यूब्ज को लिया जाये। अगर ऐसा किया जाता तो मैसूर को डेढ़ करोड़ रुपये का घाटा पड़ता। चीफ इंजीनियर ने इसको नहीं माना और अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने उस रेट को मानने से इंकार कर दिया। अन्त में इसका क्या नतीजा निकला, इसको आप देखें। उनको डिग्रेड होना पड़ा और कम्पलसरी रिटायर होकर जाना पड़ा। वह हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टे आर्डर इशू कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंजीनियर से कहा कि आपस में वे राजीनामा कर लें क्योंकि इस केस से कुछ नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट की इज्जत नहीं बढ़ेगी। इस तरह के जो इंस्टेंसिस होते हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

यह जो नामिनी बनाने का तरीका है, इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। चन्द लोगों को नामिनी बनाया जाता है, वे बाद में डायरेक्टर बन जाते हैं। वाइफ बेटर हाफ हो सकती है लेकिन चूंकि वह किसी बड़े आदमी की वाइफ है, इस वास्ते स्टेट का पैसा उस इंडस्ट्री को खिला कर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, कहां तक जायज हो सकता है, इसको आप देखें। में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास जब शिकायतें आयें, तो आप उन पर एकशन लें। अगर आप दस बीस साल तक कोई एकशन नहीं लेते हैं और उनको इस तरह से प्रोत्साहन देते रहते हैं, तो कहां का यह सोशलिज्म है, समझ में नहीं आता है। सारे देश के हित को दृष्टि में रखते हुये, इस देश की जनता के हित को दृष्टि में रखते हुये, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप उस तरह से न करें जिस तरह से धर्म के नाम पर, देवालय में बैठा हुआ पुजारी वहां पर आये हुये भेंट में जेवरातों को खाकर लोगों को एक्सप्लायट करता है पुजारी सोशलिज्म के नाम पर, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के नाम पर आप स्टेट के पैसे का दुरुपयोग इस तरह से न करें। इस तरह से अपने अपने नामिनीज को, अपनी अपनी बीवियों को पलते हुये नहीं देखा जाना चाहिये, इस तरह के जो इंस्टेंसिस हैं, इनका आपको नोटिस लेना चाहिये और इस तरह की चीजों को दूर करना चाहिये। नेहरूजी के राज में या कांग्रेस के राज में अगर इस तरह की चीजें नहीं रुक सकती हैं तो इतना तो हम आपसे एक्सपैक्ट कर ही सकते हैं कि जब ये चीजें आपके नोटिस में लाई जायें तो आप स्वयं करें इनको दूर करने की कोशिश करें। जिस तरह से आपने डालमिया इंडस्ट्रीज के बारे में इंस्पैक्टर नियुक्त किया था, एक्शन लिया था उसी तरह से कालिंगा इंडस्ट्रीज, कालिंगा एयरलाइन्ज, कालिंगा ट्यूब्ज लिमिटेड के लिये भी आप एक बाडी नियुक्त करके, इन्क्वायरी करायें और उसकी जो रिपोर्ट आये, उस पर एक्शन लें।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : उत्पादन आदि में जो सुधार हुआ है उस के लिये मंत्रालय बधाई का पात्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

गैर सरकारी क्षेत्र उद्योगों में काफी लाभ हो रहा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जहां प्रबन्धक भी कार्यकुशल हैं और मितव्यय भी है वहां उतना लाभ नहीं होता है।

लोहा और इस्पात देश के उद्योग के लिये बहुत आवश्यक है। अधिक कारखाने आरम्भ करने के लिये लोहा और इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रत्येक कोशिश की जानी चाहिये। चाहे सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र हो देश में अच्छे प्रबन्ध वाले उद्योग होने चाहियें।

गुजरात में तालीदार लोहे की चादरों के वितरण के बारे में जो समिति नियुक्त की गई थी उस का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

लोहे की चादरों की चोर बाजारी खत्म की जानी चाहिये।

गुजरात में खुराक के संरक्षण, सब्जी और खाने के तेल संबंधी उद्योग और भेषजीय उद्योग हैं। उनके लिये टीन के डिब्बे बहुत आवश्यक है। गुजरात में इन डिब्बों को बनाने का कोई कारखाना नहीं है। डिब्बे बम्बई और कलकत्ता में ही बनते हैं। गुजरात में भी एक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में इस्पात और भारी उद्योग के महत्व पर प्रत्येक सदस्य ने बल दिया। इस्पात पर चर्चा का अधिक समय लगा।

डा० उ० मिश्र ने कहा है कि इस्पात में गैर सरकारी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। गैर सरकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। श्री मुरारका ने इस बात पर इतराज किया कि गैर सरकारी क्षेत्र में नयी परियोजनायें आरम्भ करने वालों पर क्यों आपत्ति उठाई जाती है? इस्पात और भारी उद्योग में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है।

सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के लिए ही है। राष्ट्रहित में गैर सरकारी क्षेत्र में भी इस्पात के उत्पादन की इजाजत दी जा सकती है। इसीलिए पहली और दूसरी योजना में गैर सरकारी इस्पात संयंत्रों के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया था। चालू संयंत्र की क्षमता का पूरा उपयोग करना अन्य संयंत्र स्थापित करने में अधिकतर लाभदायक होता है और उस पर कम व्यय होता है। सरकारी क्षेत्र में भी हम इसी नियम का पालन कर रहे हैं। हम नये इस्पात संयंत्र आरम्भ करने से पूर्व अपने पहले तीन इस्पात संयंत्रों का विस्तार कर रहे हैं। इस्पात में मिश्रित अर्थव्यवस्था से अच्छे निष्कर्ष निकले हैं और इन दोनों क्षेत्रों ने मिल कर काम किया है। सरकारी क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र से कई व्यक्ति लिये गये हैं। उत्पादन के सम्बन्ध में केन्द्रीय योजना का प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। दोनों में बाजार की मांग को बराबरी से बांटने की नीति रही है और रहेगी। इस्पात संयंत्रों के उत्पादों के सम्बन्ध में अस्वस्थ प्रतियोगिता की सम्भावना नहीं है।

विकास, चाहे सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में हो, संसाधनों और मूल्यों के सिस्टम पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में दोनों क्षेत्रों में कोई पक्षपात नहीं है। यह नीति जारी रखी जायेगी।

इस्पात उद्योग के भविष्य के विकास में जब कि सरकारी क्षेत्र हमारी नीति के अनुसार उत्पादन में मुख्यतया वृद्धि करेगा, गैर सरकारी क्षेत्र भी साथ-साथ रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम ने जो औद्योगिक नीति अपनाई है वह देश के हित के लिए सब से अच्छी है अतः हम उस का पालन करेंगे। कहीं कहीं राष्ट्रहित में हम उस में परिवर्तन करते हैं। मुझे आशा है कि इस नीति के कार्यान्वियन में सारी सभा का सहयोग प्राप्त होगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कार्यसंपादन में सुधार करने के लिए १ जुलाई, १९६२ से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन किया गया। इस से संयंत्रों को स्वायत्तता दी गई। जनरल मैनेजर से लेकर विभिन्न स्तरों तक शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया है। इस से सरकारी क्षेत्रों के संयंत्रों में आपस में और सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी प्रतियोगिता की भावना हो गई। चीनी अतिक्रमण से भी इन संयंत्रों में नीचे से ऊपर तक नये वातावरण के पैदा करने में सहायता मिली। पुनर्गठन के पहले कदम और चीनी अतिक्रमण से जो वातावरण पैदा हुआ उस के बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले। सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त गैर सरकारी क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए नये उत्साह का वैसा ही वातावरण था। १९६२-६३ में उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। जब कि १९६१ में कच्चे लोहे का उत्पादन ११.४ लाख टन और तैयार इस्पात का २८.२ लाख टन उत्पादन था, १९६२ में कच्चे लोहे का उत्पादन ९.७ लाख टन था और इस्पात का ३७.१ लाख टन। इस वर्ष के पहले तीन महीनों में बिक्री के लिए कच्चे लोहे का उत्पादन लगभग १००,००० टन प्रति मास रहा है। पिण्डक इस्पात का उत्पादन ५ लाख टन प्रति वर्ष जो कि हमारे सभी संयंत्रों की पूरी क्षमता है। रूरकेला में काफी उत्पादन हुआ है। रूरकेला में अक्टूबर में ६०,००० टन उत्पादन हुआ है, नवम्बर में ६५,००० टन और उस समय से दिसम्बर और फरवरी में ७०,००० से ७३,००० टन का उत्पादन होता रहा है। मार्च में ९१,००० टन का उत्पादन हुआ जो कि अधिकतम है। दुर्गापुर में भी अक्टूबर में ५८,००० टन से बढ़ कर मार्च में ९१,००० टन उत्पादन हुआ है और भिलाई में अगस्त, १९६२ से लगभग ९०,००० टन प्रतिमास रहा है।

यह समाचार कि भिलाई इस्पात का निर्यात मिस्र को किया गया था और निम्न श्रेणी का होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। यह बिल्कुल गलत है। कई लोग रूस को पसन्द नहीं करते। अतः वे इस तरह की बातें करते हैं। इसी प्रकार दुर्गापुर और रूरकेला के बारे में भी कई लोग कहते हैं। इन संयंत्रों के उत्पादन किसी भी स्तर से अच्छे हैं।

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में बिक्री के लिए कच्चे लोहे का उत्पादन १०.७ लाख टन था। १९६१-६२ में ९.९ लाख टन था। पिण्डक लोहे का उत्पादन १९६२-६३ में ५३.९ लाख टन था और १९६१-६२ में ४२.७ लाख टन था। १९६२-६३ के उत्पादन में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का अंशदान ७.२ लाख टन कच्चा लोहा और २५.५ लाख टन इस्पात १९६१-६२ में तैयार लोहे का उत्पादन २९ लाख टन था। १९६२-६३ में ३९ लाख टन हो गया। इस उत्पादन के लिए प्रबन्धक और प्रत्येक मजदूर बधाई का पात्र है।

पिछले ४ महीनों से इस्पात का उत्पादन ६० लाख इनगौट टन हो रहा है। आशा है कि उत्पादन के इस दर को न केवल कायम रखा जायेगा बल्कि इस में सुधार भी होगा १९६२-६३ में इस समय के बिक्री के मूल्यों के अनुसार २४५ करोड़ रुपयों का कुल इस्पात का उत्पादन हुआ जो कि १९६१-६२ के उत्पादन से ६३ करोड़ रुपये अधिक है।

जुलाई, १९६२ में पुनर्गठन के प्रथम दौर से परिणाम निकलने पर १ अप्रैल, १९६३ से दूसरे दौर में निदेशकों का बोर्ड बनाया गया और विभिन्न निदेशकों की शक्तियां निर्धारित की गईं। सदस्यों को विदित है कि हमारे ५-६ कार्यकारी निदेशक थे जैसे कि उत्पादन निदेशक,

विपणन निदेशक, बिक्री निदेशक, वित्त निदेशक आदि। इनके अलावा कम्पनी के नित्य प्रति के प्रशासन के लिए एक प्रबंधक समिति थी। जैसे पहले बताया है प्रबंधक समिति के काम में काफी विलम्ब हो जाता था और १ अप्रैल से हम सब निदेशकों को हटा कर एच० एस० एल० का मुख्य कार्यपालक नियुक्त कर दिया है; बोर्ड में नये लोगों को ले आये हैं जो बहुमुखी प्रतिभा और औद्योगिक प्रबंध और अनुभव के स्वामी हैं। हम प्रबंध की समस्याओं का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन के एक विशेषज्ञ गहन अध्ययन कर रहे हैं। हमारा एक अधिकारी उद्योग और प्रबंध की समस्याओं का प्रशिक्षण पाने के लिए अमरीका गया हुआ है। हम विश्व के विभिन्न भागों की गतिविधियों से लाभ उठा रहे हैं।

हम निरंतर ऐसे परिवर्तन ला रहे हैं जिन से एच० एस० एल० के काम में बाधा उपस्थित न हो। इसीलिए परिवर्तन एक एक कर के लाये जा रहे हैं।

एच० एस० एल० के कार्य में सुधार के लिए निदेशकों के अधीन महा-प्रबंधकों का वार्षिक सम्मेलन भी किया जाने लगा है जिस में चर्चा के विषय पहले से निर्धारित कर दिये जाते हैं और टिप्पण परिचालित कर दिये जाते हैं। अगस्त या सितम्बर में पहला सम्मेलन किया गया था जिस में इस्पात कारखानों विशेषत: दुर्गापुर और रूरकेला के लिए जिनका काम अच्छी तरह नहीं हो रहा था उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये। यह निश्चित किया गया कि दिसम्बर १९६२ के अन्त तक ९० प्रतिशत उत्पादन हो और मार्च १९६३ के अन्त तक पूरा लक्ष्य उत्पादन किया जाये। हर्ष की बात है कि दिसम्बर १९६२ के अन्त तक दुर्गापुर में ९२ प्रतिशत और रूरकेला में ९० प्रतिशत उत्पादन हो गया और मार्च १९६३ में दुर्गापुर और रूरकेला में ९१,००० डले का उत्पादन होने लगा। अर्थात् निर्धारित क्षमता का १०० प्रति शत और १०८ प्रतिशत उत्पादन हो गया। मुझे विश्वास है कि यह प्रगति जारी रहेगी।

मैं इस के लिये अपने आप को और सफलता से सम्बन्धित लोगों को बधाई देता हूं। केवल मात्रा की नहीं प्रत्युत गुण प्रकार की भी आवश्यकता है और हमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि सभी इस्पात कारखानों में गुण प्रकार में भी सुधार किया जा रहा है।

गुण प्रकार के साथ ही उत्पादन लागत का भी महत्व है। कुछ लोगों की, विदेशी पत्रिकाओं का भी यह मत है कि भारत में निजी उद्योग सरकारी उद्योग की अपेक्षा अधिक सफल है। संभवत: यह तुलना १९६१–६२ से की जाती है जब हमारी इस्पात परियोजनाओं में ३०, ४० और ५० प्रतिशत उत्पादन होता था। वर्ष १९६१–६२ तीसरा या संभवत: दूसरा उत्पादन वर्ष है जिसके आंकड़ों से पता लगता है कि उत्पादन लागत निजी उद्योग से कम है हालांकि निजी उद्योग को ४० और ५० वर्ष का अनुभव प्राप्त है।

लागत कम होने पर भी हमें हानि हो रही है जिसके बारे में श्री पटेल ने प्रश्न पूछा है कि निजी उद्योग में धोखा धड़ो होने पर भी लाभ हो रहा है। इस का उत्तर आसान है। सरकारी उद्योग की परियोजनाएं भारी उद्योगों की और धीरे धीरे लाभ पहुंचाने वाली हैं। विश्व के किसी भी इस्पात कारखाने को लीजिये। टाटा का कारखाना तो एक पिछड़े देश में स्थापित हुआ था किन्तु किसी भी प्रगतिशील देश के इस्पात उद्योग को लीजिये वे छै या सात वर्ष बाद कुछ लाभ बना सके थे। मैं अपनी परियोजनाओं की गलतियों के लिए यह बहाना प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं किन्तु सदस्यों को अनुभव करना चाहिये कि हम उपभोक्ता उद्योग आरम्भ नहीं कर जो एक दो वर्ष में

ही लाभ पैदा करने लगते हैं बल्कि मूलभूत भारी उद्योग जो अधिक कठिन हैं स्थापित कर रहे हैं। अतः यह कहने का लाभ नहीं कि गैर सरकारी उद्योग अधिक कुशल हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं।

हम ने निर्धारित किया था कि १९६३–६४ में ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद निर्धारित क्षेत्रों में उत्पादन लागत को १५ प्रतिशत घटाया जाये। मुझे संदेह नहीं कि १९६३–६४ में लागत में १५ प्रतिशत कमी हो जायेगी।

२०,४० या ५० वर्ष पूर्व इस्पात कराखानों की स्थापना पर बहुत कम पूंजी लगती थी और मूल्य ह्रास की गुंजाइश छोड़ने के बाद वह न के बराबर रह जाती थी किन्तु आज इन कारखानों पर बहुत पूंजी लगी है और यदि मूल्य ह्रास की व्यवस्था भी करें तो वह अतिरिक्त होगी। अतः प्रति टन पूंजी निवेश इसलिए अधिक नहीं कि एक सरकारी उद्योग है और दूसरा गैर सरकारी बल्कि इसलिए है कि एक पुराना कारखाना है और दूसरा नया। गैर सरकारी उद्योग में भी विस्तार करने पर अधिक पूंजी लगानी पड़ रही है। अतः इंडियन आयरन में ९०० रुपये प्रति टन, टिस्को में १२५० रुपये प्रति टन और सरकारी उद्योग क्षेत्र में १८०० से २२५० रुपये प्रति टन लागत आती है। मूल्य ह्रास का उपबंध करते हुए इस प्रयोजन के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज की भी व्यवस्था करनी होती है अतः स्वभावतः आय की तुलना गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र से नहीं की जा सकती। नये कारखानों में प्रगतिशील प्रौद्योगिकी का लाभ उठा कर हमें लागत को अधिकाधिक कम करना चाहिये और उपलब्ध कच्चे माल द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

सामान्यतः हमें कहा जाता है कि १०,१५ वर्ष पूर्व कम लागत पर लोहे का उत्पादन होता था जब कि अब अधिक मूल्य पर होता है। केवल इस कारण कम मूल्य पर लोहे का उत्पादन कर सकते थे कि उन्हें सब से बढ़िया कच्चा माल मिलता था। उन कारखानों को चलाने के लिए सीमित मात्रा में लोहे की आवश्यकता होती थी और खानों से हाथों द्वारा बढ़िया लोहा निकाला जाता था और उन दिनों हाथ से लोहा निकालने की मजूरी ४, ८, या १२ आने थी जिसके विरुद्ध आंदोलन नहीं किया जाता था। किन्तु अब इस्पात उत्पादन तेजी से होने लगा है जिस कारण यंत्रीकृत उपायों द्वारा खन्न किया जाता है और हाथ द्वारा खन्न की तरह चुन कर बढ़िया माल नहीं निकाला जाता। गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की आम शिकायत है कि उन्हें वैसा कच्चा माल नहीं मिलता जैसा पहले मिला करता था। मुझे संदेह नहीं कि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि से गुण प्रकार में कमी हो जायेगी। यह समस्या केवल भारत की नहीं प्रत्युत समस्त संसार की है और यही किया जा सकता है कि अयस्क कम करने के उपायों से कच्चे माल में सुधार किया जाये। श्री मुरारका के इस निर्देश से हम परिचित हैं और इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं।

यंत्रों द्वारा खन्न से दो प्रकार का अर्थात मिला जुला और बढ़िया अयस्क निकलता है। धमन भट्टी में बढ़िया अयस्क प्रयोग नहीं किया जा सकता इसलिए मिला जुला अयस्क प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन में ३०, ४० और कभी कभी ५० प्रतिशत वृद्धि हो जाती है और जब तक हम बढ़िया अयस्क का प्रयोग नहीं कर सकते उत्पादन लागत कम नहीं हो सकती। अतः हम चूरा लोहे के डले बना कर ही भिलाई कारखाने में प्रयोग करते हैं। किन्तु इस चूरे अन्य चीजें जैसे एलोमीनन आदि भी होती हैं और उन्हें निकालना पड़ता है। ये बातें हमने समस्याएं उपस्थित होने पर और अनुभव प्राप्त करने पर ही सीखी हैं और इसमें सफल होने पर लागत मूल्य कम हो जायगा।

हमारे पास कोयले की बहुत सी खानें हैं किन्तु क्योंकि कोयला कम है और धात्विक कोयले में राख अधिक है। इस कारण भी उत्पादन मूल्य बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कथन है कि यदि कोयले

की राख में १ प्रतिशत कमी करने से कच्चे लोहे के उत्पादन में ३ प्रतिशत वृद्धि हो सकती है । इसलिए हम सोच रहे हैं कि विदेश से बढ़िया कोल प्राप्त करके उसे अपने कोयले से मिला दिया जाये । किन्तु इस का लाभ उन कारखानों में हो सकेगा जो सागर तट पर हैं ।'

इसी प्रकार चूने की बढ़ी हुई मांग के कारण उस की किस्म घटिया हो गयी है और अब हमने उसे सफाई द्वारा सुधारने की प्रक्रिया अपनाई है जिससे मात्रा और किस्म दोनो दृष्टि से उत्पादन में सुधार होगा । हमारे विशेषज्ञों को इन समस्याओं का ध्यान है और वे इन का हल खोज रहे हैं । चूने में सुधार के सम्बंध में राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला ने ईंधन गवेषणा प्रयोगशाला ने तथा कोयले की खपत तथा सुधार आदि के सम्बंध में ईंधन गवेषणा प्रयोगशाला ने बहुत अच्छा काम किया है जिससे मुझे विश्वास है कि बहुत लाभ होगा ।

सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के सभी कारखानों में पूरी क्षमता से उत्पादन होने लगा है और तीसरी योजना के अन्त में हमें १०० लाख टन उत्पादन करना है । इस लक्ष्य में अधिकांश सरकारी परियोजनाओं द्वारा अर्थात भिलाई से १० लाख टन से १५ लाख टन रूरकेला से १० से १८ लाख टन और दुर्गापुर से १० से १६ लाख टन का उत्पादन किया जाना है । ये विस्तार कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं और १९६५ तक विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा । किन्तु रूरकेला और दुर्गापुर के कार्यक्रम में हम कुछ पिछड़े हुए हैं । रूरकेला के मामले में टेंडरों के आदेश जारी नहीं किये क्योंकि अभी पश्चिम जर्मन सरकार का ऋण लौटाना है । मैं बान जा रहा हूं और २५ तारीख को हम रूरकेला के विस्तार के सम्बंध में संविदा पर हस्ताक्षर करेंगे । श्री मिश्र ने कहा था कि हमें रूरकेला कारखाने के विस्तार के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसके लिए हमें पश्चिम जर्मनी से सारी विदेशी मुद्रा मिल रही है ।

दुर्गापुर के सम्बंध में भी कुछ टेंडरों की जांच की जा रही है और जल्दी ही आदेश दे दिये जायेंगे ।

रूरकेला और दुर्गापुर के सम्बंध में १९६६-६७ तक उत्पादन में काफी वृद्धि हो जायगी अतः तीसरी योजना में लक्ष्यों में कमी रहने की आशंका है ।

बोकारो परियोजना के सम्बंध में कुछ विलम्ब हुआ है । सदस्यों को विदित है कि हाल में अमरीका के साथ इस सम्बंध में कुछ विववाद था । बोकारो इस्पात परियोजना के लिए जो दल आये उन को प्रतिवेदन की प्रति मिल गई है । प्रतिवेदन में इस कारखाने की स्थापना के सम्बंध में समस्याओं का अच्छी प्रकार उल्लेख किया गया है और इस का अध्ययन अधिकारी वर्ग कर रहा है और मुझे आशा है कि इस परियोजना को अमरीकी सहायता से सरकारी उद्योग क्षेत्र में आरम्भ किया जायगा । हमें कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे सहायता मिलने में बांधा उपस्थित हो ।

हम टस्को में दो दौरो में विस्तार करने का विचार रखते हैं पहले दौर में ३ लाख टन और दूसरे में ६ या ७ लाख टन तक विस्तार किया जाना है । ३ लाख टन का विस्तार लाभदायक है और इसे हमने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है । कम्पनी इसे शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेगी ।

इस सबके बावजूद हम ९० या १०० लाख टन का काम तीसरी योजना के अन्त में पूरा नहीं कर सकेंगे किन्तु चौथी योजना के पहले वर्ष १०० लाख नहीं तो ९० लाख टन का उत्पादन आरम्भ हो जायगा । हमें इस्पात परियोजनाओं की कार्यान्विति का कार्यक्रम इस प्रकार बनाना है कि प्रति वर्ष १० या २० लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होता रहे। इस प्रकार रूरकेला और रूरकेला सम्बंधी विलम्ब

से इन कार्यक्रमों को चौथी योजना में आयोजित करना आरम्भ हो जायेगा । इसमें कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी अतः अब चौथी योजना में परियोजनाओं को आयोजित करना आरम्भ कर दिया गया है ।

चौथी योजना के अन्त में १८० से १९० लाख टन तक उत्पादन लक्ष्य का कार्यक्रम बनाने के लिए एक कार्यचालन समिति बनाई गई है । यह लक्ष्य वर्तमान कारखानों के विस्तार से पूरा नहीं हो सकता । गैर सरकारी उद्योग को वित्तीय स्थिति को देख कर उसे भी बिस्तार की अनुमति देने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है । भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला में उत्पादन सम्बंधी विस्तार क्रमशः इस प्रकार होगा अर्थात् २५ से ३२.५ लाख, ३० लाख और १५ लाख से २५ लाख टन । इसे दृष्टिगत रखते हुए १८० और १९० का लक्ष्य पूरा नहीं होगा अतः अन्य क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है । अब इस्पात उद्योग पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमित हैं इसलिए हम और क्षेत्रों अर्थात मिला डिल्ला विज़ग और बिलेरी हास्पट गोआ को देख रहे हैं । प्रारम्भिक जांच के लिए विशेष रूप से इस दृष्टि से कि तट पर कारखाने स्थापित हो सकते हैं या नहीं दल भेजे जा चुके हैं । सेलम की परियोजना तीसरी योजना के अन्तर्गत है । डी० एम० के सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर के लोगों की रूचि सेलम में इस्पात उद्योग के विस्तार में भी है । इस से उन्हें प्रसन्न होना चाहिये । मैं पहले बता चुका हूं कि सर्वश्री दस्तूर एंड कम्पनी को विस्तृत प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है । इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए यथा संभव सभी कदम उठाये जायेंगे ।

सामान्य इस्पात के उत्पादन के सम्बंध में हमारे पास वैसी मिश्रित धातु और विशेष इस्पात की आवश्यकता है जिस की हमारे पास कमी है । तीसरी योजना काल के लिए २००,००० टन उत्पादन निर्धारित है । दुर्गापुर में कुछ विलम्ब हुआ है और अब शीघ्र ही टेंडर भेजने वालों को आदेश दे दिये जायेंगे । सलाहकारों की सहायता से हमने दुर्गापुर के विशेष इस्पात कारखाने के लिए कड़ी शर्तें रखी है ताकि उत्पादन शीघ्र हो सके । उत्पादन २ अक्तूबर १९६४ को आरम्भ हो जायेगा । १९६५ और ३१ मार्च, १९६६ तक पूरी परियोजना आरम्भ हो जायेगी और चौथी योजना के पहले वर्ष में लाभ प्राप्त होना सम्भव है ।

[illegible] उत्पादन के लिए हमने भद्रावती इस्पात कारखाने को विशेष धातु कारखानों में बदल देने का निश्चय किया है । इस बारे में मैं इस परियोजना के लिए सहयोग प्राप्त करने के बारे में भी बातचीत करूंगा । आशा है कि भद्रावती से १०,००० से १५,००० टन तक उत्पादन हो सकेगा जिसमें इस वर्ष के अन्त से १८ मास का समय लग जायगा । दुर्गापुर की क्षमता में ४०,००० से ६०,००० टन तक वृद्धि हो गई है और भद्रावती में ८०,००० टन का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा । इसलिए दोनों परियोजनाओं से प्राप्त १,५०,००० टन का उत्पादन होगा । इसके अलावा चौथी आयोजना की सारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए १० या १२ फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं । मेरा विचार है कि अगले एक दो वर्षों में इस सारी स्थिति का पुनर्विलोकन करूंगा ताकि यह गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यान्विति की दृष्टि से कमी हो तो चौथी योजना की अवधि में ऋण प्राप्त करने के लिए और परियोजना आरम्भ की जाये ।

जबकि हम इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं, हमें इसके लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी इस्पात की परियोजनाओं में विस्तार होता जायेगा हमें अधिकाधिक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । सामान्य उपायों से सम्भवतः पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । इसीलिये हम इस्पात सम्बन्धी विद्या के छात्रों की ओर इस्पात इंजीनियरों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में सोच रहे हैं । इसके स्थान पर कि पहले वह परम्परागत इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करें और इस बाद पुनः उन्हें

इस्पात इँजीनियरिंग के कार्य में प्रशिक्षित किया जाये, हम आरम्भ से ही इँजीनियरिंग शिक्षा के साथ ही इस्पात इँजीनियरिंग की शिक्षा को व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे समय की भी बचत हो और हमें भी इस क्षेत्र के लिये विशेषत: कर्मचारी उपलब्ध हो जायें। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। मुझे आशा है कि प्रशिक्षण के लिये इस इस्पात संस्थान की स्थापना करने में सम्पूर्ण इस्पात उद्योग भाग लेगा। इस सम्बन्ध में वह अपना सहयोग देने के लिये सहमत हो गये हैं।

इसके अतिरिक्त हम देश में तकनीकी जानकारी, इँजीनियरिंग और रूपांकन सम्बन्धी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ एक केन्द्रीय रूपांकन और इँजीनियरिंग कार्यालय भी सँलग्न है। रूरकेला और दुर्गापुर के विस्तार की योजना इसी कार्यालय ने बनाई थी। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। हम इस सँगठन को इतना विकसित करना चाहते हैं कि यथा सम्भव हम विदेशी इँजीनियरों और विशेषज्ञों के बिना ही अपनी भावी परियोजनाओं का रूपांकन और इँजीनियरिंग सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसलिये इस सँगठन को और अधिक विकसित किये जाने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक अवस्था में अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से हम जर्मनी और इँग्लैण्ड से इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिये कुछ विशेषज्ञ बुला रहे हैं, क्योंकि दुर्गापुर और रूरकेला सन्यन्त्रों के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमों का भार इसी कार्यालय पर होगा।

एक और भी संगठन है जो हमें अपेक्षित परामर्श देने और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है। वह संगठन दस्तूर एण्ड कम्पनी है जिसे विदेशी संस्थाओं के स्थान पर हमारे सामान्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। हमें इस समवाय की सेवाओं का भी आगे स्थापित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिकतम लाभ उठाना चाहिये। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि यह सँगठन और इसका गठन किस प्रकार का हो, जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात के विकास के यह पूर्णत: अनुरूप हो। मुझे आशा और विश्वास है कि केन्द्रीय रूपांकन और इंजीनियरिंग कार्यालय तथा दस्तूर एण्ड कम्पनी के सहयोग से हम इस कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकेंगे जिससे हम इस्पात क्षत्र के विस्तार के सम्बन्ध में अधिकतर आत्म-निर्भर हो सकें।

हम एक पृथक् निर्माण संगठन की स्थापना पर भी विचार कर रहे हैं। हमने इस्पात सयन्त्रों के निर्माण के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है, किन्तु दुर्भाग्यवश अब वह अनुभव विलीन हो रहा है क्योंकि अब निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति मशीनें चलाने का कार्य कर रहे हैं। यह बात नहीं कि निर्माण कार्यक्रम समाप्त हो गया है। यह तो अधिकाधिक बढ़ता ही जायेगा। हमें उस अनुभव का पूरा उपयोग करना चाहिये। इसलिये हम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के एक सहायक समवाय के रूप में निर्माण के सम्बन्ध में, एक पृथक् संस्था की स्थापना पर विचार कर रहे हैं जिससे कि यह व्यक्ति वहां स्थायी रूप से नियुक्त किये जा सकें।

कुछ सदस्यों ने ठेकेदारों के कार्य का उल्लेख करके यह सुझाव दिया था कि इन इस्पात परि-योजनाओं का कार्य ठेकेदारों से नहीं करवाना चाहिये। जब यह संगठन पूर्णरूप से कार्य आरम्भ कर देगा तथा काफ़ी सीमा तक इन ठेकेदारों के बिना कार्य चलाना सम्भव हो सकेगा। हम पूरी तरह उनके बिना काम नहीं चला सकते, किन्तु उनके कार्य को सीमित कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यद्यपि अन्य संगठन भी हैं, तथापि इस्पात सन्यन्त्रों के निर्माण के सम्बन्ध में यह सँगठन अपने प्रकार का एक ही होगा।

†**डा० उ० मिश्र** (जमशेदपुर): भावी कार्य के लिये इस्पात उद्योग में वर्तमान इंजीनियरों का नाम सूची में लिखने के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वह सब इस्पात सन्यन्त्र में कार्य कर रहे हैं।

डा० उ० मिश्र : कुछ ऐसे इंजीनियर भी हैं जिन्हें अनुभव प्राप्त है किन्तु वह कार्य नहीं कर रहे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिस सीमा तक भी हमें यहां इंजीनियर उपलब्ध होंगे, हम उनके अनुभव, ज्ञान और दक्षता का उपयोग करेंगे। यदि कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में आया तो हम उसका भी उपयोग करेंगे। मुझे पता है कि डा० मिश्र के मस्तिष्क में कोई विशेष बात है।

†**डा० उ० मिश्र** : केन्द्रीय निकाय के सम्बन्ध में क्या हुआ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम उस पर विचार करेंगे।

इस्पात के वितरण के सम्बन्ध में हमने राज समिति की नियुक्ति की थी। उन्होंने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है और अन्तिम प्रतिवेदन मिलने की भी सम्भावना है, जिसके मिलते ही हम लोहा-और इस्पात के वितरण को सुव्यवस्थित करने के विषय में निर्णय करेंगे।

अब मैं अपने मन्त्रालय के अधीन मशीन निर्माण सम्बन्धी विभाग के ऊपर बोलूंगा जिसका देश के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भाग है। मशीन बनाने के सम्बन्ध में रांची के भारी मशीनें बनाने वाले सन्यन्त्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण योग है। यह रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण-कार्य लक्ष्य से कुछ आगे ही चल रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम इस वर्ष सबका तो नहीं किन्तु कुछ मशीनों का निर्माण आरम्भ कर देंगे। प्रत्येक वर्ष इस सन्यन्त्र में अधिकाधिक पुर्जे बनाये जायेंगे।

दो सम्बद्ध परियोजनायें, फाउण्ड्री फोर्ज और भारी मशीनी पुर्जे सम्बन्धी हैं, जिन्हें चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। फाउण्ड्री फोर्ज के विषय में हमें, विशेषतया नींव के सम्बन्ध में, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फाउण्ड्री फोर्ज की क्षमता के लक्ष्य को बढ़ा देने के फलस्वरूप यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वहां की भूमि की शक्ति को देखते हुये नींव अधिक मजबूत डाली जाये। खम्बे गाड़ने के सम्बन्ध में वहां एक नई विधि "कान्डेवेल" विधि का प्रयोग किया जा रहा है। और अब उन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। यद्यपि हम लक्ष्य से कुछ पीछे हैं, तथापि भविष्य में इस परियोजना की कार्यान्विति में किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी।

भारी मशीनी पुर्जों के सम्बन्ध में अभी चेकोस्लोवाकिया के साथ अन्तिम समझौता नहीं हो पाया है और अब भी इस पर तथा कुछ अन्य परियोजनाओं पर जिनका उल्लेख मैं बाद में करूँगा, वार्ता जारी है। मशीनों के निर्माण कार्य में मशीनों के पुर्जों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्री टे० सुब्रह्मण्यम् ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का उल्लेख किया था। वस्तुतः यह देश के सर्वोत्तम संगठनों में से है। बहुत से विदेशियों ने उसे देखा है और उसके गठन और उत्पादन की किस्म के विषय में उसकी सराहना की है। उनका उत्पादन स्तर अब २००० मशीन प्रतिवर्ष का है, जो उनके निर्धारित लक्ष्य से छः अथवा नौ महीने आगे है। यह अनुमान था कि वह उस लक्ष्य को नवम्बर, १९६२ तक पूरा कर पायेंगे किन्तु वह नवम्बर, १९६२ में ही उस लक्ष्य तक पहुँच गये हैं।

जैसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मशीनें अल्प-विकसित राष्ट्रों को ही नहीं अपितु पश्चिमी जर्मनी और स्विटजरलैंड को भी निर्यात की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

जा रही हैं । मूल्य और किस्म की दृष्टि से हम उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं इसलिये इस अवसर पर सभा और जनता की ओर से मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को इसकी सफलताओं पर बधाई देता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : उन्हें बोनस दीजिये ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां, मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । उन्हें बोनस मिल रहा है । अच्छे प्रबन्ध और आम सम्बन्धों के अभाव में यह सफलतायें प्राप्त नहीं की जा सकती थीं । इसलिये हमें हस्तक्षेप करके इन अच्छे संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहिये ।

†**श्री प्र० कु० घोष** : हिन्दुस्तान स्टील परियोजनाओं में भी प्रबन्ध की यह पद्धति लागू क्यों नहीं की जाती ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कार्य बंगलौर में ही सीमित नहीं है । इसने अपने निजी संसाधनों द्वारा पिंजौर में एक और कारखाना स्थापित करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । इसका अर्थ यह है कि एक बार ऐसा कार्य-कुशल संयंत्र स्थापित करने के बाद वह स्वयं प्रशिक्षित कर्मचारी और संसाधन उत्पन्न करता रहेगा । इसलिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निजी संसाधनों से पिंजौर में, एक ऐसा कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता १००० मशीन प्रतिवर्ष होगी और यह अक्टूबर १९६३ से कार्य आरम्भ होगा ।

हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स केरल में एक और मशीन टूल्स परियोजना आरम्भ करेगा । जिसकी क्षमता भी १००० मशीन प्रतिवर्ष होगा । इसके लिये स्थान चुन लिया गया है और कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है । २ वर्ष में यह उत्पादन आरम्भ कर देगा ।

मेरे मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में एक और मशीन टूल्स परियोजना है । इसमें केन्द्र और आन्ध्र सरकार के अतिरिक्त निजी अंशधारियों के भी कुछ भाग हैं। यह परियोजना हैदराबाद स्थित प्राग टूल्स है । इसके विस्तार का भी कार्यक्रम तैयार किया गया है । किन्तु प्राग टूल्स को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि स्वयं प्राग टूल्स के विस्तार का कोई लाभ नहीं होगा । निःसंदेह इस स्थान पर विकास के कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे । मेरा इरादा यह है कि हैदराबाद में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की एक और शाखा खोल दी जाये, जिसमें विभिन्न प्रकार के मशीनी पुर्जों का निर्माण हो । हम भूमि प्राप्त करनें के लिये आन्ध्र सरकार से वार्ता कर रहे हैं हमारा इरादा हैदराबाद में एक पूर्ण विकसित मशीन संयंत्र लगाने का है । इसके बाद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की चार शाखायें हो जायेंगी, जिसके उत्पादन को सुव्यवस्थित किया जायेगा और प्रत्येक कारखाने में विशेष प्रकार का उत्पादन किया जायेगा, जिसके बारे में डा० क० ला० राव ने उल्लेख किया था । हम किसी विशेष संयंत्र में विशेष प्रकार के मशीनी पुर्जे ही बनायेंगे । उसे आरम्भ किया जा रहा है और मुझे आशा है कि इस कार्य में भी सफलता मिलेगी । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने मुझे आश्वासन दिया है कि चतुर्थ योजना काल में वह प्रतिवर्ष एक नई शाखा खोल सकेंगे, और इस प्रकार छः सात वर्षों में प्रत्येक राज्य में इसकी शाखा खुल जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निजी क्षेत्र में भी मशीनी पुर्जों का निर्माण किया जाना है । किन्तु दुर्भाग्यवश वह हमारी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाये हैं । इस कमी को हम सरकारी क्षेत्र में पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

इसके बाद सामान्य मशीनों, जैसे सीमेंट चीनी कागज और अन्य ऐसी ही महत्वपूर्ण वस्तुयें बनाने वाली मशीनों के निर्माण का उद्योग है । १९६२-६३ में इसमें भी काफी प्रगति हुई है । किन्तु अब भी उपभोक्ता को हिचकिचाहट है, क्योंकि यद्यपि हमारी मशीनों की किस्मों में काफी सुधार हो गया है, तथापि अब भी बहुतों का यही विचार है कि देशी मशीनों से विदेशी मशीनें कही ज्यादा अच्छी होती हैं । इसलिये उपभोक्ता की ओर से कुछ प्रतिरोध है । किन्तु यदि हमने इन मशीनों की कार्य कुशलता को सिद्ध कर दिया तो हम उपभोक्ता के इस प्रतिरोध को हटाने में, सफल होंगे । इसी प्रयोजन के लिये हम चीनी, कागज और सीमेंट का नया कारखाना खोलते समय अधिकाधिक देशी मशीनों का ही प्रयोग करते हैं और आशा है कि यह प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जायेगा । हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि इस उद्योग में हर एक कारखाना पृथक-पृथक मशीनें नहीं बनायें, जैसे कोई कारखाना ही केवल चीनी बनाने की ही मशीनों के ही लिये हो और दूसरा केवल सीमेंट की ही । यह सब सामान्य इंजीनियरी संबंधी उद्योग है । इसलिये हम उन्हें बहु-प्रयोजनीय बनाना चाहते हैं, जिससे जिस प्रकार की भी मांग हो वैसा ही सामान इन कारखानों में बनाया जा सके । मैं आशा करता हूं कि हम मशीन निर्माण के क्षेत्र में अधिक प्रगति कर सकेंगे । किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि हमें भविष्य के लिये भी योजना बना लेनी चाहिये क्योंकि यदि हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो देश में यथासम्भव अधिक मशीनें बनाने की आवश्यकता है । इस लिये चतुर्थ योजना के लक्ष्यों और पांचवी योजना की आवश्यकताओं को देखते हुये हम भविष्य के लिये योजना और इसकी कार्यान्विति करने के कार्यक्रम को इस प्रकार बना रहे हैं कि चतुर्थ और पंचम योजना काल में मशीन निर्माण का स्तर काफी उन्नत होकर देश के उद्योगों की प्रगति में महत्वपूर्ण योग दे सकें

उर्वरक उद्योग भी मेरे मंत्रालय के अधीन है । मुझे खेद है कि इस क्षेत्र में इतनी प्रगति नहीं हो सकी जितनी अन्य क्षेत्रों में । निसंदेह हमने निजी और सरकारी क्षेत्रों को १३ लाख टन नाइट्रोजन के लाइसेंस दिये हैं । सभा को विदित होगा कि यद्यपि औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन उर्वरक उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिये ही रक्षित है तथापि उर्वरकों का अधिक मात्रा में और तेजी से उत्पादन किये जाने के लिये निजी क्षेत्र के सहयोग की भी आवश्यकता है और इस लिये हमने ५ लाख टन से भी अधिक की क्षमता का लाइसेंस निजी क्षेत्रों को दिया है । किन्तु दुर्भाग्य से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यद्यपि यह कठिनाइयां अवश्य होंगी, तथापि तथ्य यह है कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक प्रगति नहीं हो रही है और इसलिये तृतीय योजना के अन्त तक २ या ३ लाख नाइट्रोजन का उत्पादन करने के स्थान पर वह कुल ३५,००० टन का उत्पादन ही कर सकेंगे जो कि उनसे प्रत्याशित उत्पादन दसवां भाग ही है । इसीलिये स्वाभाविक ही है कि निर्धारित लक्ष्यों के आंकड़े कम किये जायेंगे और यदि हम ५ लाख टन की क्षमता को भी प्राप्त कर सकें तो हमें हर्ष ही होगा । इसलिये हम परियोजनाओं को, विशेषतया सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को, यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित करने का यथासाध्य प्रयत्न कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर परियोजना, आसाम में नामरूप परियोजना और बम्बई में ट्राम्बे परियोजना का निर्माण-कार्य चल रहा है । विशेषतया ट्राम्बे में उत्पादन आगामी वर्ष के

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

मध्य तक और शेष दो स्थानों पर यह कार्य तृतीय योजना के अन्त तक आरम्भ हो जायेगा । मध्य प्रदेश के निजी क्षेत्र के लाइसेंस को हमने रद्द कर दिया है और अब इसे सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया है ।

निजी क्षेत्र में केवल दो ही परियोजनाओं में कुछ प्रगति हुई है कोठागोडम परियोजना का सारा प्रबंध कर लिया है और विशाखापटनम परियोजना के संबंध में बहुत सी बातों पर वार्ता हो रही है । इसके अतिरिक्त गुजरात और राजस्थान की परियोजनायें हैं । वे दोनों प्रगति की भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं । मैं समझता हूं वह तृतीय योजना काल में उत्पादन आरम्भ नहीं कर सकेंगे ।

मैं एक दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैवी इलेक्ट्रिकल्स के उत्पादन के संबंध में कहना भूल गया था जिसके संबंध में डा० क० ल० राव ने इतने विश्वासपूर्वक उल्लेख किया था । किन्तु दुर्भाग्य से जब विशेषज्ञ बोलते हैं तो हमारे लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । जेनेरेटरों के उत्पादन-कार्य के सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के परामर्श से, जिसके वह एक विशिष्ट सदस्य और सभापति थे, कार्यक्रम निश्चित किया था । उन्हों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि हमारे देश के लिये ६० एम० डब्ल्यू अथवा ७५ एम० डब्ल्यू के जेनेरेटर्स ही पर्याप्त होंगे और यह कहा कि इससे बड़े जेनेरेटर्स संभवतः कठिनाइयां उत्पन्न कर देंगे । किन्तु दूसरे विशेषज्ञों ने भिन्न परामर्श दिया था । मैं नहीं कह सकता कि डा० क० ल० राव का परामर्श क्या था ; किन्तु चाहे यह कुछ भी हो हमने १०० एम० डब्ल्यू और इससे अधिक क्षमता के जेनेरेटर बनाने का निश्चय कर लिया था । इसी से सस्ती विद्युत् उत्पन्न की जा सकती थी जिससे उत्पादन व्यय में कमी की जा सकती थी । इसलिए भोपाल में हम ट्रान्सफोर्मर, स्विच गियर्स और केपेसिटर्स के उत्पादन के अतिरिक्त जल और तापीय, दोनों प्रकार के, बिजली घरों के लिये जेनेरेटर्स भी बना रहे हैं । भोपाल के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं, विशेषतया मजदूरों की समस्या ने गत वर्ष भारी बाधा उत्पन्न कर दी थी । अब वातावरण सुधर गया है और अनुशासन भी अच्छा है । उत्पादन बढ़ रहा है । गत मास को और बाद को प्रधान मंत्री के साथ, मैंने भोपाल संयंत्र का दौरा किया था । हमें यह जान कर हर्ष हुआ कि वहां उत्पादन में वृद्धि हो रही है । मार्च में उन्होंने ५० लाख रुपये के सामान का उत्पादन किया था । इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष के अन्त तक यह उत्पादन ६ करोड़ रुपये तक का हो जायेगा । १९६३-६४ के लिये हमने यही लक्ष्य निर्धारित किया है । इसे प्राप्त किया जा सकेगा । प्रारम्भिक कठिनाइयों के बावजूद भी वहां अच्छी प्रगति हो रही है । इससे हमें संतोष होना चाहिये कि इस परियोजना में उत्पादन कार्य आरम्भ होने वाला है और यह चतुर्थ योजना काल तक काफ़ी मात्रा में विद्युत् का उत्पादन करने लगेगा ।

डा० क० ल० राव ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या हम इन चीज़ों को दूसरे राज्यों की परियोजनाओं की कार्यान्विति के साथ संबोधित कर रहे हैं । कुछ सीमा तक इसमें समन्वय है और मुझे आशा है कि समन्वय मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा । हम इन जेनेरेटर्स के उत्पादन को विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति से सम्बन्धित करने का प्रयास कर रहे हैं । जहां भी हमें यह प्रतीत हुआ कि हम उचित समय में इसका उत्पादन नहीं कर सकेंगे वहां हमने बाहर से संयंत्र का आयात करने में भी संकोच नहीं दिखलाया । डा० क० ल० राव नागार्जुन सागर और कोठागुडुम के विषय में अनावश्यक चिन्ता न करें । वह पूर्ण हो जायेंगे । मुझे आशा है कि वह दूसरे राज्यों की परियोजनाओं में भी रुचि दिखलायेंगे ।

भोपाल विद्युत् सम्बन्धी हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा । इसलिये हमने, अन्यत्र तीन महत्वपूर्ण परियोजनायें आरम्भ की हैं । एक रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में

हरिद्वार के स्थान पर आरम्भ की जायेगी । परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन आगामी माह प्राप्त होने की आशा है । हम शीघ्र ही जांच करने का प्रयास करेंगे । इस प्रतिवेदन की जांच के लिये मैं ३ माह की अवधि निर्धारित कर रहा हूं । आशा है कि शीघ्र ही जांच कार्य समाप्त हो जायेगा और शीघ्र ही निर्णय ले कर इस की कार्यान्विति आरम्भ कर दी जायेगी । इसके अतिरिक्त एक हैदराबाद के निकट रामाचन्द्रापुरम में है । उसके सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं । मुझे भी वहां जाने पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ; क्योंकि वहां के लोगों में यह प्रचार किया जा रहा था कि मैं तामिलनाद से सम्बन्धित होने के कारण उस परियोजना को तामिलनाद ले जा रहा हूं । यह आरोप अनुचित था । किन्तु फिर भी मुझे उसका सामना करना पड़ा । हमने रामाचन्द्रापुरम के संयंत्र में, जिसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जाना है, ६० एम० डब्ल्यू० और कम के छोटे जेनेरेटर बनाने का कार्यक्रम बनाया था, जबकि हमारी आवश्यकतायें १०० एम० डब्ल्यू० और इससे ऊपर की क्षमता के जेनेरेटरों के लिये हैं । सौभाग्य से चेकोस्लोवाकिया के अधिकारी १०० एम० डब्ल्यू० से अधिक क्षमता के जेनेरेटरों के उत्पादन के लिये सहमत हो गये हैं । यद्यपि प्रारम्भ में उत्पादन का स्तर नीचा होगा, तथापि वहां हम अपेक्षित प्रकार के जेनेरेटर बनाने लगेंगे । त्रिची का बॉयलर संयंत्र भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से तैयार किया जा रहा है । वास्तव में हम इस देश से चार परियोजनाओं के विषय में वार्ता कर रहे हैं : भारी मशीनी पुर्जे परियोजना, फाउंड्री फोर्ज परियोजना, रामाचन्द्रापुरम परियोजना और त्रिची परियोजना । सारी तकनीकी कठिनाइयां दूर हो गई हैं । हम केवल मूल्य के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं । आशा है कि मूल्य के विषय में भी इस देश से अनुकूल और उचित शर्तों पर समझौता हो जायेगा । यदि ऐसा हो गया तो मुझे आशा है कि १७ तारीख को, मेरे बोन के लिये प्रस्थान करने के पूर्व ही, करार पर हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे । यदि ऐसा संभव न हो सका तो आगामी एक दो दिन में करार पूरा हो जायेगा और परियोजना की कार्यान्विति आरम्भ कर दी जायेगी ।

मोटर गाड़ी उद्योग में हमने मोटर कारों की अपेक्षा वाणिज्यिक ट्रकों को प्राथमिकता दी है और हम वर्तमान एककों का विस्तार करके तृतीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम इस पर बल दे रहे हैं कि वर्ष १९६४ के आरम्भ तक विशेषतया मोटर गाड़ी उद्योग में ९० प्रतिशत देशीय उत्पादन हो । मैं सहर्ष सभा को सूचित करता हूं कि सभी उत्पादकों ने सक्रिय कदम उठाये हैं और उन्होंने विश्वासपूर्ण मुझे सूचित किया है कि निर्धारित समय में ९० प्रतिशत देशीय उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा । क्योंकि मुख्य कठिनाई विदेशीय विनिमय संबंधी है इसलिए देशीय उत्पादन से सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के निर्माण में सुविधा होगी । हम आवश्यक पुर्जों का आयात नहीं कर सकते क्योंकि उन पर लागत अत्यधिक होती है । देशीय उत्पादन से स्थिति में सुधार होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** मूल्यों में कमी करने के बारे में क्या होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम:** यह मैं नहीं कह सकता कि देशीय निर्माण से मूल्यों में कमी करना सम्भव है अथवा नहीं । मैं अपने साथी आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री की सहायता प्राप्त कर लागत में कमी लाने का प्रयत्न करूंगा ।

अब मैं सभी उद्योगों संबंधी कुछ सामान्य बातों का उल्लेख करूंगा । पहली समस्या मजदूरों सम्बन्धी है । विशेषकर उस आपातकाल में श्रमिकों ने प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया । प्रत्येक स्थान पर उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिये गहन प्रयास किये और अधिक से अधिक सहयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

दिया । परन्तु केवल भावुक रुख अपनाने से काम नहीं चलने का । निस्सन्देह, आपात काल में भावुक रुख के कारण हम सब पर प्रभाव पड़ा । परन्तु उसी स्थिति को साधारण वातावरण में भी बनाये रखना चाहिये । केवल उसी दशा में हम प्रगात कर सकेंगे ।

दुर्भाग्य से ,श्रमिकों की समस्या इतनी आसान नहीं है, विशेष कर जबकि प्रत्येक उद्योग में बहुत से कार्मिक संघ हैं ; प्रत्येक एकक में चार अथवा पांच संघ हैं जो सदस्यता के लिये एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं । कभी कभी यदि वह सदस्य बनाने की दृष्टि से अनुचित प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं तो सदस्यता की दौड़ में यह आश्चर्य की बात नहीं है । परन्तु उससे कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं । इस के बावजूद भी हमें स्थिति का सामना करना होता है और हम ऐसा कर भी रहे हैं । स्वभाग्य से विधियां हैं और अनुशासन संबंधी संहिता है और त्रैदलीय करार भी हैं । यदि इन समझौतों का उसी भावना से पालन किया जाय जिन भावनाओं के अधीन कि वह समझौते किये जाते हैं तो कठिन स्थिति के बावजूद भी हमारे लिये इस क्षेत्र में प्रगति करना शायद सम्भव हो सके । परन्तु फिर भी, एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसका सम्बन्ध श्रमिक आन्दोलन से कुछ समय तक रहा है, मैं एक बात पर आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे देश में श्रमिक संघ केवल श्रमिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिये लड़ कर ध्वंसात्मक कार्य कर रहे हैं । कार्मिक संघों को उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये योगदान देना होता है । ऐसा तृतीय योजना के मसविदे में भी कहा गया है कि केवल उत्पादन बढ़ा कर ही वह श्रमिकों की अधिक मजूरी दिलवाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे और उन का जीवन-स्तर भी ऊंचा कर सकेंगे । वरना केवल मजूरी के बढ़ने से मूल्य बढ़ेंगे और हम दुष्टचक्र में फंस जायेंगे । इसलिये, मैं श्रमिकों के नेताओं से अपील करूंगा कि जबकि वह श्रमिकों को शोषण से बचाने संबंधी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का परित्राण कर रहे हैं, साथ ही साथ, उन्हें अनुशासन की भावना बढ़ानी चाहिए और उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए । केवल उसी प्रकार हम केवल श्रमिकों में ही नहीं बल्कि समस्त देश में समृद्धि ला सकेंगे । मुझे आशा है कि भविष्य में उन बातों की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में जहां कि साम्यवादी नेता भाग लेते हैं । वह सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में कभी कभी बहुत मुसीबत पैदा करते हैं ।

इन औद्योगिक परियोजनाओं में वित्तीय परामर्शदाताओं के पार्ट का उल्लेख मुझे करना है । उस का अर्थ यह नहीं है कि हमें तुरन्त कोई निर्णय लेना है । परन्तु हमें निर्णय यथासम्भव शीघ्र लेना है । हम सोचते हैं कि प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के अच्छे वित्तीय परिणाम निकलेंगे, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि अच्छे वित्तीय नियंत्रण के निश्चयात्मक रूप से अच्छे वित्तीय परिणाम निकलें । दुर्भाग्यवश, वित्तीय परामर्शदाताओं का पार्ट उद्योग के हित और प्रगति के लिये अच्छा नहीं रहा, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में जिस में कि उसे कार्य करना होता है । इसलिये हमें इस बारे में निर्णय लेना ही है । विशेष कर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि वित्तीय परामर्शदाता को परामर्श देने का अधिकार तो है परन्तु वह वित्तीय नियंत्रक नहीं है इसलिये उसका परामर्श ही मामले में निर्णायक नहीं होना चाहिये । मैं ने महाप्रबन्धकों को बताया है कि वह जहां उचित समझें वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श का उल्लंघन कर सकते हैं ; और यदि वह उस परामर्श के उल्लंघन को उचित समझते हैं परन्तु उस का उल्लंघन नहीं करते तो इसे उन की अकुशलता और प्रभावहीनता ही समझा जायगा । इस प्रकार वह भविष्य में वित्तीय परामर्शदाता को यह कह कर दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसके परामर्श को स्वीकार करना ही था । इस बात की ओर

अवश्य ध्यान दिया जाना है क्योंकि बहुत से उद्योगों में इन परामर्शदाताओं का पार्ट बाधक सिद्ध हुआ है, विशेष कर उत्पादन के क्षेत्र में ।

मुझे महालेखापरीक्षक के तथा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लेखा परीक्षण के पार्ट का भी उल्लेख करना है । मैं 'दी इण्डियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' को छपे एक लेख की पढ़ना चाहूंगा । इसे मैं इसलिये पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं इन विचारों से सहमत हूं, परन्तु अन्तिम निर्णय संसद् को ही विचार करके लेने होंगे । परन्तु यदि हम चाहते हैं कि औद्योगिक एकक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करें तो हमें ऐसे सभी कदम उठाने पड़ेंगे जिन से इन औद्योगिक एककों के लिये उचित वातावरण पैदा हो ।

वह लेख इस प्रकार है :—

"यह विचारणीय बात है कि नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक कार्यालय के लेखापरीक्षक सामान्यतया ऐसे मामलों की सूचना देने पर आग्रह करते हैं जो नियमों, विनियमों आदि के ढांचे में नहीं आ सकते । यदि एक उद्यम का प्रशासन कुशलतापूर्वक चल रहा है तो यह लेखापरीक्षण कर्मचारी वर्ग के स्वविवेक की बात नहीं है कि प्रक्रिया अथवा विनियमों में त्रुटियों पर कम बल दें । परन्तु यह कर्मचारी कम महत्व की बातों के बारे में आपत्ति करता है, और ऐसे मामलों में, जहां किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष प्रक्रिया का मोड़-तोड़ कर पालन किया जाता है, बहुधा असदभाव की पूर्व धारणा बना ली जाती है ।

अतः यह दृष्टिकोण हानिकारक है । व्यापार में स्थिति के अनुसार कई बार सूक्ष्म निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें त्रुटि की सम्भावना भी रहती है । वर्षों पूर्व लिये गये निर्णयों के बारे में कोई व्यक्ति किसी संसदीय समिति के सामने जवाबदेह होना अच्छा नहीं समझता, विशेषकर जब वह निर्णय किसी विशेष स्थिति में लिये गये हों । ऐसे मामलों में आवश्यकता से अधिक सावधानी से भी हानि होने का भय रहता है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि संसद् और जनता कुछ एक त्रुटियों के बारे में सहनशीलता से काम ले विशेषकर जब एक उद्यम समूचे तौर पर कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा हो ।"

इसलिये, इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा और यह विचार अनुभवों की पृष्ठभूमि में किया जाना होगा । मैं विश्वास रखता हूं कि हम उचित और ठीक निर्णय लेंगे जिनसे निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के समान सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनायें कुशलता से और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगी ।

पूर्व इसके कि मैं समाप्त करूं, मैं मन्त्रालय के उन कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों और इस मन्त्रालय में अपने साथियों को धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने उस मन्त्रालय सम्बन्धी कार्यों में मुझे पूर्ण सहयोग दिया । यदि उस मन्त्रालय को अपने कार्यों में कुछ सफलता मिल सकी है तो वह केवल इन व्यक्तियों के सहयोग से और सभा से प्राप्त उदारता के बर्ताव से ही मिल सकी है ।

†**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारी) : प्रधान मन्त्री ने बताया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत के अन्य सभी भागों की तुलना में कम है । केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में बहुत से बड़े बड़े कारखाने चलाये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में उन कारखानों में कितने बिहार-बस्तियों को नौकरियां दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं उसके लिये सदस्य को उत्तरदायी नहीं ठहराता । बिहार में तो सामान्य वातावरण ही ऐसा है और मैं इस बारे में बेबस हूं ।

†**श्री प्र० कु० घोष** : स्थानीय लोगों की नौकरियों सम्बन्धी कुछ प्रश्न मेरे द्वारा उठाये गये थे . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्नकाल नहीं है । माननीय सदस्य उस मामले पर अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अब मैं कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—**

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८८	इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय . . .	२८,६१,०००
८९	इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	२८,३३,६४,०००
१३८	इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय . .	१,३१,०३,६२,०००

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय

वर्ष १९६३–६४ के लिये आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
११	आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय . . .	१५,४१,०००
१२	सम्भरण तथा निपटान	२,९४,८१,०००
१३	आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	५२,१५,०००
११६	आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय . .	९२,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उक्त मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : आज के "लन्दन टाइम्स" में प्रधान मन्त्री को अपमानित किया गया है और भारतीय राजनीतिक जीवन पर भी आक्षेप किया गया है परन्तु हमें ब्रिटिश की तुच्छ बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए । मुझे आशा है कि श्री ति० त० कृष्णमाचारी संसद और मन्त्रिमण्डल में एक नवीन वायुमण्डल उत्पन्न करेंगे और देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से हितकारी सिद्ध होंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री कृष्णमाचारीने कुछ वर्ष पूर्व "नर भक्षियों" का उल्लेख किया था परन्तु विभिन्न बोर्ड प्रतिवेदन के बावजूद भी आज वह नरभक्षी मौजूद है। मुझे आशा है कि वह इनके साथ उचित व्यवहार करने में सफल होंगे।

ब्रिटेन में भी इसी प्रकार के समन्वय अभिकरण स्थापित करने की प्रवृत्ति है। ऐसे अभिकरण को वहां का प्रैस "आर्थिक जार" कह कर पुकारता था। मुझे आशा है कि भारत में यह "आर्थिक जार" नहीं बन जायेगा ?

इस मन्त्रालय के अधीन कौन कौन से मामले आते हैं और उसके क्या उत्तरदायित्व हैं इस बारे में बहुत अनिश्चितता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि उस मन्त्रालय का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है और मन्त्री महोदय को अधिकतर काम पर्दे के पीछे रह कर करना पड़ता है। परन्तु देखने वाली बात तो केवल इतनी है कि क्या श्री कृष्णमाचारी मामलों और समस्याओं की तह तक पहुंच सकेंगे ? और क्या वह ऐसा करेंगे। आज देश के सामने यही समस्या है ?

प्रतिरक्षा और विकास के लिये बलिदान की आवश्यकता होती है, परन्तु जनता के बलिदानों का अत्यधिक उपयोग होना चाहिए। 'इकानामिक वीकली' ने कहा है कि यदि ऊपर के स्तर के लोगों के कहने और करने में इतना अन्तर पाया जाता है और यदि प्रत्येक मन्त्री यह समझता है कि किसी काम को करने का इरादा ही सिद्धवस्तु है तो सफलता कैसे हो सकती है। इस दशा में देश के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग प्रतिरक्षा और विकास के लिये कैसे हो सकता है। यही प्रश्न अब हमारे समक्ष है। मैं समझता हूं कि विकास के लिये कितने बड़े प्रयासों को आवश्यकता है वह नहीं हो रहे हैं।

फरवरी में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड के सामने बोलते हुए श्री कृष्णमाचारी ने कुछ प्रशंसनीय बातें कहीं। दामोदर घाटी निगम का उन्होंने विरोध किया जिसमें उन्होंने इंजीनियरिंग कार्य के लिये असन्तोष प्रकट किया। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह हम विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और कुछ एक पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते। उन्होंने बाढ़ नियन्त्रण उपायों की भी आलोचना की ? आप कृष्णा और गोदावरी के जल वितरण की समस्या को लीजिये। इस समस्या के बारे में कितना शेष है और किस कदर समन्वय की भावना का अभाव है। परन्तु फिर भी देश के हित को समक्ष रख कर इस समस्या पर कोई भी नहीं सोच रहा है।

आज मैंने समाचार पत्र में अखिल भारतीय नदी ग्रिड के बारे में पढ़ा परन्तु किसी भी राज्य में दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्वक नहीं है। कोई युक्तियुक्त ढंग से नहीं सोचता। वह लोग त्याग करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका अन्त क्या होगा। आखिर यह सब नदियां समस्त भारत की हैं जिन के बारे में निर्णय भारत को ही करना है। तो फिर राज्यों और वहां के विरोधी दलों द्वारा क्यों अड़चनें खड़ी की जा रही हैं। मुझे आशा है कि समन्वय मन्त्री इस ओर ध्यान देकर समस्याओं का समाधान करेंगे, और इस विषय पर सभा में प्रकाश डालेंगे।

फरक्का बांध के बारे में फरवरी के मध्य में चर्चा हुई तो हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम ने हमें आश्वासन दिलाया कि उस बांध के कार्य को अवश्य पूरा किया जायगा। परन्तु मैं समझता हूं कि जब श्री कृष्णमाचारी रेलवे और सड़क के पुल का और अन्य बातों का उल्लेख कर रहे थे तो उनके मन में कुछ अन्य बातें भी थीं। आखिर कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिये फरक्का बांध, जो १९७० तक तैयार होगा, ही काफी नहीं है। हो सकता है कि श्री कृष्णमाचारी नदी नियन्त्रण योजनाओं, भागीरथी के भिन्न मार्गों में बहाव, आदि के बारे में भी सोचते हों। क्योंकि इस प्रकार के विचार मैं समझता हूं श्री कृष्णमाचारी के मस्तिष्क में हैं, जिनका उल्लेख वह किसी कारण खुले तौर से नहीं कर सकते, इसीलिये वह समय समय पर ऐसे विचारों को भिन्न तरीके से प्रकट करते हैं। मैं समझता हूं कि श्री कृष्णमाचारी

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

को अधिक खुले तौर पर और गम्भीरता से अपने विचार प्रकट करने चाहिएं ताकि हम भी उन्हें समझ सकें। मैं यह भी समझता हूं कि फरक्का बांध और कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिये उनके मन में बहुत से अन्य विचार हैं जिन को वह व्यक्त नहीं कर पाते परन्तु जो अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय की यह दृढ़ धारणा होनी चाहिए कि आय-व्ययक में जो राजकोषीय व्यवस्था है उसे इस प्रकार होना चाहिए कि आने वाले समय में कठिनाइयों कम हों। परन्तु जहां तक कर व्यवस्था का सम्बन्ध है वित्त मन्त्री द्वारा इस समानता और लचीलापन लाने का प्रयास नहीं किया गया। वित्त मन्त्री ने तो गरीबों का खून चूसने का प्रयत्न हुआ है जिसकी प्रतिक्रिया विकास और प्रतिरक्षा में दिखाई देगी।

मन्त्रियों में आपस में समन्वय की भावना नहीं है इसका प्रमाण कांग्रेस समिति की बैठक में श्री नन्दा और श्री स० का० पाटिल में हुई झड़पों से मिलता है। उसका हल क्या है यह प्रश्न हम समन्वय मन्त्री से पूछते हैं।

प्रतिवेदन से विदित है कि प्रतिरक्षा सामान के बारे में विदेशों पर निर्भरता को कम करना भी इसी मंत्रालय का काम है। अतः हमें पूर्ण आशा है कि हमारे आयुध कारखानों में इस दृष्टि से स्थिति को सुधारने सम्बन्धी कदम जठाये जायेंगे। अपने आयुध कारखानों में उत्पादन व्यवस्था में सूधार करने की भी बहुत आवश्यकता है।

विद्युत् सम्बन्धी योजना की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि देशीय संसाधनों से स्थिति में सुधार हो सके। रुस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से जो दो संयंत्र स्थापित करने की योजना है उस पर मंदगति से काम नहीं होना चाहिए।

भोपाल हैवी इलैक्ट्रीकल्स, जो अब देशी संयंत्र बनाया जा रहा है, में भी इस प्रकार विस्तार कार्य होना चाहिए कि वह आपात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य हो सके।

कलकत्ता में ताला पुल टूट गया है। इसी पुल पर अन्य राज्य का और भारत का कलकत्ता से सम्बन्ध निर्भर करता है, परन्तु कहते हैं कि इस पुल के बनने में ३ वर्ष लगेंगे। इस पुल को शीघ्र बनाने का प्रबन्ध करने की ओर भी समन्वय मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

यदि आप को कलकत्ता से बाहर जाना हो तो आप को विवेकानन्द पुल के मार्ग से जाना होगा परन्तु वहां आप कैसे जा सकते हैं, वहां आप को उस सड़क से जाना पड़ता है जो डमडम हवाई अड्डे को जाती है। वह सड़क पार करना अत्यन्त कठिन है। परन्तु इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री कृष्णमाचारी अब अमरीका जा रहे हैं। ऐसे ही कई एक मंत्री आदि अमरीका गये और वह वहां जा कर अपने आप को भूल गये। मेरे एक मित्र श्री काराका ने 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक लेख में कहा है कि मोरारजी का अमरीकनों को उसी प्रकार शौक हुआ जिस प्रकार उन्हें कोका कोला और हैम्बर्गर का शौक है। इस का अर्थ यह हुआ कि वह उसे हड़प जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री कृष्णमाचारी अमरीका से पूरे होश में लौटें, परन्तु मुझे सन्देह है। इस का कारण यह है कि कई व्यक्ति एक के बाद एक अमरीका जा चुके हैं और भारतीय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पेश कर चुके हैं। परन्तु बार बार ऐसा करने का क्या अर्थ है ?

यद्यपि समन्वय के सम्बन्ध में इतनी बातें की जाती हैं तथापि यदि सच्चाई से देखा जाये तो भारत सरकार में समन्वय की ही बेहद कमी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने प्रतिनिधि मंडलों को विदेश जाने की क्या आवश्यकता है ? क्या श्री ति० त० कृष्णमाचारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल विदेशों को नहीं भेजा जा सकता है ?

यदि ऐसी नीति अपनाई जाती तो देश में पटनायक-कांड नहीं होते। एक ऐसा व्यक्ति जो न संसद् के प्रति उत्तरदायी है और न किसी विभाग का प्रभारी है, वह विदेशों में जा कर कुछ बातें कह आता है। फल यह होता है कि वितंडा आरम्भ होती है और प्रधान मंत्री अपने आश्रित को बचाने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम श्री नेहरु का आदर करते हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम उन सभी लोगों का आदर करें जिन को नेहरु का वरद हस्त प्राप्त है।

अब मैं आप को श्री सुधीर घोष के सम्बन्ध में कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिन्होंने २८ मार्च को प्रेसीडेंट कैनेडी से भेंट की। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में उन के बारे में यह प्रकाशित हुआ है कि इन्होंने भारत को सैनिक सहायता दिलाने में कांग्रेसी विरोध को समाप्त करने में सहायता की है।

मेरे समझ में नहीं आता है कि यदि श्री कृष्णमाचारी ने जाना है या श्री चह्वाण ने जाना है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को भेजने का क्या प्रयोजन है ?

उक्त व्यक्ति के विषय में न केवल उक्त पत्र में बल्कि 'इंडियन एक्सप्रैस', तथा 'टाइम्स आफ इंडिया' में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं। तथा उनके कार्य की प्रशंसा की गयी है।

अब मैं प्रशासन के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में १ अप्रैल के 'हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड' का उल्लेख करना ठीक होगा। मेरे विचार से श्री कृष्णमाचारी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सभी राज्य सरकारें दिल्ली में अपने अपने सम्पर्क अधिकारी रखती हैं जिस से कि फाइलों की प्रगति मालूम होती रहे। निसंदेह विलम्ब का कारण भ्रष्टाचार भी है तथापि कई मामलों में समन्वय के अभाव और अनिर्णय की स्थिति से भी विलम्ब होता है। इस से यह फल होगा कि केन्द्रीय प्रशासन से राज्यों की श्रद्धा हट जायेगी।

अतः यह आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय हो।

वस्तुतः इस मंत्रालय के कार्य की परीक्षा भी उसके परिणाम से ही होगी। यदि कुछ ठोस परिणाम प्राप्त हो तो तभी हम कह सकेंगे कि इस मंत्रालय ने कुछ काम किया है। मुझे दुःख है कि अभी तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जैलोर) इस मंत्रालय का काम बहुत कठिन है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जितने भी काम सम्भव हैं वे सभी दे दिये गये हैं। तथापि फिर भी उन्हें लोक सभा में बोलने का बहुत कम अवसर मिला। एक बार मेरे बहुत कहने पर वे पिछली नवम्बर को बोले थे। उन से प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं। मैं ने ही उन से एक प्रश्न पूछा था।

मैं ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या विश्व में किसी अन्य सरकार के अधीन भी इस प्रकार का मंत्रालय है। अपने सीमित ज्ञान के आधार पर मैं कह सकताहूं कि मुझे कहीं भी इस प्रकार का मंत्रालय नहीं दिखायी दिया। ब्रिटेन में पिछले महायुद्ध में जब वे उत्पादन के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे तो भी वहां कोई इस प्रकार का मंत्रालय नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इसलिये हम नहीं जानते कि उन के क्या कार्य हैं तथा क्या दायित्व हैं व हमें उन से क्या कहना और पूछना चाहिए? मेरे विचार से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का कार्य यह मंत्रालय करेगा। औद्योगिक विकास से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों का काम भी इसके जिम्मे होगा। वस्तुतः यह ऐसा काम है जिसे करना असंभव है। मेरे विचार से इस मामले में गलत निर्णय लिया गया है तथा उचित राय नहीं दी गयी है अतः सभा के सम्मुख इस प्रकार का संकल्प लाया जाये कि इसके क्या उद्देश्य होने चाहियें तथा हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन के पास क्या काम है जिस के लिये मंत्रिमंडल के पद के एक पूरे समय काम करने वाले मंत्री की आवश्यकता है। इस प्रश्न का कारण यह है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने अस्पष्ट उत्तर दिया था। एक बार उन्होंने कहा था कि उनका कार्य एक नियंत्रण कक्ष की तरह है जहां से वे यह देखते हैं कि गलती कहां हो रही है और जहां गलती होती है वहां से सीधे सस्पर्क स्थापित करते हैं।

मेरे विचार से उन के पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जहां से उन्हें समस्त मंत्रालयों के विषय में समाचार प्राप्त हो सकें क्योंकि यह असंभव बात है। मेरा विचार था कि यह काम योजना आयोग का है कि वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करे। उनके पास इस कार्य के लिये काफी बड़ी संगठन है।

मेरी मुख्य शिकायत यह है कि मंत्रालयों में एक शिथिलता आ गयी है तथा उस में वह सक्रियता नहीं है जो होनी चाहिए।

जहां तक समन्वय का प्रश्न है, अभी हाल श्री एच० वी० आर० अयंगार ने कहा है कि दक्षिण भारत के एक उद्योग ने जिस ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन हाथ में लेने की इच्छा की थी, पांच महीने बाद उस से कहा गया कि वह अपने पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करे। इस से भी दुःख की बात यह हैं कि केवल एक आयात किये जाने वाले पुर्जे के अभाव में २९७ ट्रक बेकार पड़े रहे।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने उन विषयों के सम्बन्ध में जो उन से सीधे सम्बन्ध रखते हैं क्या किया।

क्योंकि सब से दुःख की बात यह है कि आपात काल के आरम्भ में जो रोको आदेश दिये गये थे वे अभी तक वापस नहीं लिये गये हैं।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमें मंत्री महोदय की प्रतिभा का अधिक सक्रिय उपयोग करना चाहिए।

मेरे विचार से इस के बजाय यह अच्छा होता कि एक सहायक प्रधान मंत्री रहता जो मंत्रिमंडल की समन्वयात्मक समितियों की अध्यक्षता करता। वे सारी समितियां उसके अधीन रहतीं तभी कहीं समन्वय का काम ठीक से चल सकता।

अतः इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये कि किस प्रकार अधिक प्रभावशाली तरीके से समन्वय किया जा सकता है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, काम करने की नियत हो तो काम हो सकता है, और काम करने की नियत न बनाई जाय तो काम नहीं हो सकता। जिस तरीके से कोआर्डिनेशन

चल रहा है उस तरीके से तो शायद १०० साल तक भी वहां नहीं पहुंच सकते जो हमारा मंजिले मकसूद है। मैं हैवी एलेक्ट्रिकल्स की बात को लेता हूं। हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल्स की जमीन पड़ी हुई है, एक इंच तक नहीं लगी। ५० लाख की पैदावार होती है खेती की, वह पैदावार खत्म हुई लेकिन हैवी इलेक्ट्रिकल्स में अभी यह तय नहीं हुआ कि रशिया का कौन सा डिजाइन आयेगा, कौन सा चीफ इंजीनियर आयेगा, किस तरीके से वहां कोलैबोरेशन होगा, और जमीनें बेकार हो गईं। हजारों आदमी इस काज में लगे हुए हैं लेकिन काम कुछ नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस सवाल का जवाब श्री सुब्रह्मण्यम ने दे दिया है।

श्री यशपाल सिंह : हर जगह में यह जहनियत है . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी कहते हैं कि इस सवाल का जवाब दे दिया गया है।

श्री यशपाल सिंह : हर जगह यह हालत है कि हजारों आदमी लगे हुए हैं लेकिन काम कुछ नहीं है। भिलाई और रुरकेला में रेलवे लाइन तक तैयार नहीं हो सकी। हजारों यात्री मरते हैं करोड़ों का नुक्सान होता है, ऐक्सिडेंटस होते हैं, लेकिन रेलवे लाइन जैसी मोटी सी चीज़ तैयार नहीं हो सकी। किस तरीके से हम यह मान लें कि हम अपने मंजिले मकसूद को पहुंचेंगे ? जब पहले साल में ही ४० लाख टन लूज कर रहे हैं इस्पात के टार्गेट में तो आगे चल कर क्या होगा ? जहां भी हम जायें, हर जगह पर यही टेन्डेन्सी काम कर रही है कि किस तरीके से जान बचे, किस तरह से काम कम करना पड़े। नौजवान से अगर कहिये कि कसरत किया करो, भजन बन्दगी किया करो तो कहता है कि समय नहीं मिलता, दो घंटे बाद फिर उस से पूछा जाये कि तुम ताश क्यों खेलते हो तो कहता है कि समय काटता हूं। किसी महकमे में, किसी जगह में सरकार बतला दे कि एफिशिएन्सी आई है। एफिशिएंसी तो तब आती जब लोग कुछ जिम्मेवारी से आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी है नहीं, काम है नहीं, लेकिन लोग लगे हुए हैं। एक लाइन अगर कम्प्लीट हो जाती तो हमारा डिफेन्स सही हो जाता। अब डिफेन्स में आप हैं, मैं इस में कोई ऐतराज नहीं मानता हूं, हमारे चह्वाण साहब हैं, उन्हें कांफिडेंस हासिल है जनता का, लेकिन अकेला चह्वाण कुछ नहीं कर सकता। ४४ करोड़ इन्सान अपने को चह्वाण की तरह से जिम्मेदार समझें तब जा कर देश उन्नत हो सकता है। आज यह मैंटैलिटी अलग है जो कि हमारे सामने आई है कि मेरे घर में आग लगी है और में कहता हूं कि पहले में ट्यूब वेल बनाऊंगा और जब ट्यूब वेल तैयार हो जायेगा तब उस के पानी से आग बुझाऊंगा, मेरे घर में चोर घुसा हुआ है और लाठी की जरूरत है तो में कहता हूं कि पहले में बांस का बीज बोऊंगा और जब पेड़ तैयार हो जायेगा तो उसको काट कर लाठी तैयार करूंगा और चोरों को भगाऊंगा। हमारे देश पर हमला हुआ है, हमारा हिमालय पदाक्रांत हुआ है, हमारी जमीन पर चाइना का परचम लहराता है। हमें चाहिये कि जहां से हमें हथियार मिल सकें वहां से लाकर हम दुश्मन को भगायें। लेकिन हम यह नहीं करते। हम कहते है कि अभी कारखाने तैयार करो। आज ही एक क्वेश्चम का जवाब देते हुये कहा गया कि हमें अभी १८ महीने लगगे कारखाना तैयार करने में। में सोचता हूं कि क्या १८ महीनों तक चाइना हमारे ऊपर उसी तरह से सवार रहगा जिस तरह से पिछले चार पांच वर्षों से चला आ रहा है। जब यह कहा जाता है कि लड़ाई लम्बी चलेगी तो हम समझते है कि खाने पीने का सिलसिला है। जैसे कहते है लड़के से कि स्कूल जाओ तो लड़का इन्कार तो कर नहीं सकता, वह इस के लिये मना तो कर नहीं सकता, लेकिन कहीं जाकर दरख्त के नीचे बैठ जाता है, कहीं जाकर सांग या तमाशा देखता है, सिनेमा देखने लगता है। आज चूंकि कौम चाहती नहीं है कि एक मिनट भी कौम का खराब किया जाये इस लिये कौम को साथ रखने के लिये कहते है कि हम लड़ेंगे, मगर लड़ने का कोई सामान नहीं है, न लड़ने की जहनियत है। जब कौम लड़ती है तो कौम की जहनियत बदल जाती है, जो लड़ते है उनके सोने जागने के

[श्री यशपाल सिंह]

घंटे बदल जाते हैं, उन की खुराक बदल जाती है, उनकी पोशाक बदल जाती है, उन का वे आफ थिंकिंग बदल जाता है, वे आफ वर्किंग बदल जाता है, मगर हिन्दुस्तान की कोई चीज नहीं बदली है, वह ज्यों की त्यों है। आज एक ऐसी कौम के साथ टक्कर हुई है जो कि ८ करोड़ इन्सान कटवा कर आई है। चाइना ने आज ८ करोड़ इन्सानों को कटवाया है और उस के बाद हिन्दुस्तान पर हमला बोला है। में कहना चाहता हूं कि अगर हम यह कहें कि हमारी जहनियत यही रहे, हमारी मैंटैलिटी यही रहे, काम चलता रहे, तो यह नहीं हो सकता। डिफेंस के माने यह कि हर एक तैयार हो।

आज हमारे लिये थर्ड फाइव इअर प्लैन की जरूरत नहीं है, हमें विक्टरी प्लैन की जरूरत है। जो चीज विक्टरी "प्लैन के रास्ते में रुकावट हैं उन्हें रोका जाय। हमारे यहां के लिये विक्टरी प्लैन चाहिये। थर्ड फाइव इअर प्लैन का मतलब तो यह है कि हम लड़ाई के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। आप छोटे छोटे मुल्कों को देखिये। पाकिस्तान को देखिये, पाकिस्तान के साथ ही आप सीलोन को देखिये, वह एक छोटा सा मुल्क है, मुट्ठी भर लोगों का। लेकिन आज भी उनकी वेहिकल्स का कोटा हम से ११ फी सदी ज्यादा है। में अमरीका की बात नहीं कहता जहां पर कि १६ करोड़ इंसान है और १२ करोड़ कारें है। हिन्दुस्तान की हालत यह है कि ३२ लाख की आबादी का है हमारा बस्ती जिला मगर वहां पर २८ कारें कुल है। में छोटे से मुल्क लंका की बात कहता हूं उसकी कारों और वेहिकल्स का कोटा हम से ११ फी सदी ज्यादा है। छोटा सा मुल्क जो कुछ कर सकता है वह एक बड़ा मुल्क नहीं कर सकता है, यह में नहीं मानता। ४४ करोड़ इन्सानों के अन्दर दिल व दिमाग नहीं है, यह में नहीं मानता, वे बुजदिल है यह भी में नहीं मानता। भगवान के यहां दो सांचें है, जब चाइनीज पैदा करता है तो बहादुर पैदा करता है, जब अमरीकी को पैदा करता है तब अक्लमन्द पैदा करता है लेकिन जब हिन्दुस्तानी को पैदा करता है तो बेवकूफ पैदा करता है, काठ का उल्लू पैदा करता है, मिट्टी का माधव पैदा करता है, बुजदिल पैदा करता है, यह भी मैं नहीं मानता। हमारे यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन मैं जो कमी है उस को एड़ी से चोटी तक बदलना होगा। आज भी जो दस बजे सोकर उठता है, जिस की खुराक आज भी ढीली, जिसकी धोती ढीली, जिस का कुर्त्ता ढीला, जिसका जिस्म ढीला, उस के लिये हमें कानून बनाना पड़ेगा। जो लड़ने का काम है उस के लिये कहा गया है: वही वीर है जो राष्ट्र की रक्षा करता है। जो लड़ने वाले है उन को आगे लाना होगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा। जो लड़ना जानते नहीं है उन के हाथ में लड़ाई का काम सौंपने से हर्गिज फतेहयाबी हासिल नहीं हो सकती। संसार का कायदा यह है कि अगर विश्वास अन्दर है,

जिस पर विश्वास है वही विजयी होता है।

जिनमें यह विश्वास नहीं है वह कुछ नहीं कर सकते। ब्राड डे लाइट मैं हमारे सामने ऐलान किया जाता है कि न हम घुटने टेकेंगे न चाइना घुटने टेकेगा, न चाइना सरेन्डर करेगा न हम सरेन्डर करेंगे, यह लड़ाई लम्बी चलेगी। जिस में यह विश्वास नहीं है, जिसके अन्दर यह सेल्फ कानफिडेंस नहीं है कि हम दुश्मन को सरेन्डर करा लेंगे, वह हरगिज़ लड़ाई नहीं जीत सकता। यह बात नहीं है कि हिन्दुस्तान के लोगों में दिल व दिमाग नहीं है। हिन्तुस्तान में दिल व दिमाग है। लेकिन लड़ने वालों के हाथ में देश की बागडोर नहीं है। जो लड़ेगा वही फतेहयाब होगा और जो बातों से ही मसला हल करना चाहेगा वह फतेहयाब नहीं हो सकता। आज देश में दो कैम्प है। एक कैम्प यह कहता है कि हम चाहे मर जायें लेकिन हम फतेहयाबी हासिल करके रहेंगे, दूसरे लोग वह है जो

कहते हैं कि यह मामला आहिस्ता आहिस्ता बातचीत से हल हो जायेगा। हमारा तो इस बात में विश्वास है कि :

दुष्कंटकों से पूर्ण वृक्षों के शिखर पर बास हो,

खाने पड़ें पत्ते मगर ना दासता का त्रास हो।

एक मैंटेलिटी यह क्रिएट की जा रही है कि हम अपनी माली हालत सुधारने में लगे हुये थे और चीन से हमारी आर्थिकता का यह उमड़ता हुआ समुद्र, हमारी खुशहाली का समुद्र देखा नहीं गया। कौनसा वह खुशहाली का समुद्र है जो चीन से देखा नहीं गया। उत्तर प्रदेश के ५२ जिलों में आज २५ हजार ऐसे आदमी हैं जिनको....

श्री काशीराम गुप्त : (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री यशपाल सिंह : यह बात बार बार दुहरायी जाती है कि हमारी खुशहाली का समन्दर उमड़ रहा था,हमारी आर्थिकता के समन्दर में ज्वार भाटे आ रहे थे, वह आर्थिकता का समन्दर चीन से नहीं देखा गया, चीन के दिल में ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। लेकिन आपकी आर्थिकता की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में २५ हजार आदमी ऐसे है जिनको पांच रुपये माहवार पर खरीदा जाता है। कौन सा वह समन्दर था जो उमड़ रहा था? दूसरे सूबों के मुताल्लिक मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मामूली किसान जो अंग्रेज के वक्त में टैक्स देता था उससे आज १७ गुना ज्यादा टैक्स देता है। कौनसा आर्थिक खुशहाली का समन्दर है जो उमड़ रहा है जिसको चीन नहीं देख सका? आज भी अध्यापक की तनखाह ६२ रुपये माहवार है। जो कौम का मैमार है, जो राष्ट्र का निर्माता है, जो नेशन का बिल्डर है, उसको आज भी ६२ रुपये माहवार पर खरीदा जाता है।

दिल्ली के अन्दर आपने कुछ महलात जरूर बना दिये है। इन में से कुछ विज्ञान भवन है, साइंस भवन है, कल्चुरल प्रोग्राम के भवन है, म्यूजिक हाउस है। इनके अलावा कौन सी खुशहाली हमारे देश में आयी है। और इसमें सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण याद आता है। पेशावर में एक पठान को गवर्नर ने खान बहादुर की उपाधि दी तो उस ने कहा कि आपने मुझे क्या दिया। खान तो में कौम से हूं ही और बहादुर में इसलिये हूं कि मैंने दुश्मनों के सिर काटे हैं। इसलिये में तो खुद ही खान बहादुर हूं। तो में कहता हुं कि इन इमारतों को बनवाने में सरकार ने क्या किया। सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता ने टैक्स दिया, विदेशों ने ऋण दिया और उसे उठाकर सरकार ने विज्ञान भवन आदि में लगा दिया। उसने यह जरूर किया कि एक भाखरा डैम में दरार पड़ गयी उस पर मरम्मत में १९ करोड़ रुपया खर्च कर दिया, सीमैंट बेच लिया और रेत लगा दिया, जिस काम में एक लाख लगना चाहिये उसमें बीस लाख रुपया लगा दिया। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, न कोलम्बो प्रस्तावों से देश की खुशहाली हो सकती है। अभी तक देश में एक सौ मील लम्बी रेलवे लाइन नहीं डाली गयी। अभी तक हमारे इंजिन अमरीका और इंग्लैंड तथा फ्रांस से आते और रोम से आते है, और उन इंजिनों का वजन हमारी रेलवे लाइनों के लिये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिये वे गिर जाते है और एक्सीडेंट हो जाते है। जो लाइन आज से सौ साल पहले लगायी गयी थीं उन पर माडर्न इंजिन काम नहीं कर सकते। और हमारे रूरकेला और भिलाई के कारखाने इस दिक्कत को दूर नहीं कर सके है।

[श्री यशपाल सिंह]

में अपने सामने बैठने वालों से अर्ज करना चाहता हूं, जो कि डींग बहुत मारते हैं, कि जो महात्मा गांधी ने कहा था अगर वे उसके पांच फीसदी पर अमल कर तो आज हिन्दुस्तान की समस्यायें हल हो सकती है और हिन्दुस्तान फतेहयाब हो सकता है। लेकिन वे उनके कहने के एक फीसदी पर भी अमल नहीं करते। उनकी एक बात को नहीं मानते हालांकि गीत उनके गाते हैं। इसी लिये दिक्कत हो रही है।

आप आर्थिक ढांचा नया बनाना चाहते हैं, लेकिन हालत यह है कि जहां पहले एक सौ आई० सी० एस० अफसर काम करते थे वहां आज ४५० उनकी जगह काम करते हैं। जहां पहले एक कलक्टर होता था, आज उसकी जगह पांच पांच कलक्टर हैं। एक डिप्टी कमिश्नर हैं, एक चीफ डिप्टी कमिश्नर हैं, एक ए० डिप्टी कमिश्नर हैं, एक बी० डिप्टी कमिश्नर है। काम घटता जा रहा है पर स्टाफ बढ़ता जा रहा है। इस बुराई को जब तक दूर नहीं किया जायेगा तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। देश का मसला बातों से हल नहीं हो सकता, न वह कोलम्बो प्रस्ताव से हल हो हल हो सकता है, देश का मसला तो युद्ध से ही हल होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से में अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोआरडिनेशन की मिनिस्ट्री है। उसके बारे में कहें।

श्री यशपाल सिंह : इसमें डिफेंस भी है।

अध्यक्ष महोदय : वह है लेकिन थोड़ा है। आपने तो सारे देश के सुधार की बात ही इस पर करनी शुरू कर दी।

श्री यशपाल सिंह : डिफेंस का सारे देश से ताल्लुक है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं डिफेंस के बारे में ज्यादा कहूं, तो में दूसरी बात कह सकता हूं, लेकिन यह जरूरी बात थी, इसलिये इसे कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय : सारे देश के सुधार की बात आप फाइनेंस बिल पर कह सकते है जो कि आने वाला है।

श्री यशपाल सिंह : अगर आप मुझे उस वक्त मौका देंगे तो में सारे देश के सुधार की बात कहूंगा।

कोआरडिनेशन का मतलब यह है कि एक मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री से सहयोग हो। ऐसा न हो कि इरिगेशन वाले एग्रीकल्चर वालों से सहयोग न करें और एग्रीकल्चर वाले इरीगेशन वालों से सहयोग न करें, सप्लाई वाले डिफेंस की इमदाद न करें और डिफेंस वाले सप्लाई वालों की इमदाद न करें कोआरडिनेशन के यह मानी नहीं हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे कामों में एक से ज्यादा मिनिस्ट्री के सहयोग की जरूरत है। एक आर्डनेन्स फैक्टरी है, उस का सिर्फ किसी एक मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है। उसके काम में कभी सप्लाई वाले देरी करते हैं, कभी इस्पात वाले देरी करते हैं, कभी मिलिटरी वाले देरी करते हैं तो कभी कम्यूनिकेशनस वाले देरी करते हैं, इससे काम ठीक नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक देश की हिफाजत का सवाल है यह जरूरी है कि जो लोग उसमें कोआरडिनेशन न करें उनसे जवाब तलब करना चाहिये। हम यहीं इस दिल्ली शहर में देखते हैं कि अगर एक गरीब आदमी मकान बनाना चाहता है तो उस को पांच महकमों के पास जाना पड़ता है और हर एक महकमा उस को यह कह कर टाल देता है कि यह हमारा काम नहीं है, दूसरे मुहकमे का है।

यही हाल देश के डिफेंस का है । जब तक सारे मुहकमे आपस में कोआरडिनेशन नहीं करेंगे तब तक डिफेंस के काम में तरक्की नहीं हो सकती । तमाम मुहकमे जब डिफेंस की इमदाद करेंगे तभी देश की रक्षा हो सकेगी । मैं अपनी आंखों देखी कहता हूं । कहीं दूर की बात नहीं है, नजदीक की ही बात है । एक डिप्टी कमिश्नर साहब एक गांव में आते हैं–मेरे ख्याल से उन का ओहदा आउट आफ डेट हो गया है लेकिन खैर वह चल रहे हैं–और मेरे एक रिश्तेदार के घर में जा कर कहते हैं कि आप का बेटा लड़ाई में मारा गया है, हम आपको लिए ५०० रुपया इनाम का ले कर आए हैं । ठाकुर साहब ने कहा मैं आपको हजार रुपये देने को तयार हूं । मेरा बेटा तो छट्टी पर आया और आप से मिलना चाहता है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका एक मुहकमा दूसरे मुहकमे को अंधेरे में रखता है । मैं लड़ने वाले लोगों में हूं । मेरे बेटे और भाई भतीजे लड़ाई में काम आए हैं । लेकिन मैं देखता हूं कि एक दिन लोगों को तार मिलता है कि आपका लड़का जिन्दा है, फिर १५ दिन बाद तार आता है कि मिसिंग है, फिर १५ दिन बाद तार आता है कि विलीव्ड टू बी किल्ड है । और फिर १५ दिन बाद उस की वर्फ में दबा हुआ पाया जाता है, उसके हाथ गले हुए होते हैं, उस की टांगें टूटी हुई होती हैं । इस का लोगों के मन पर कितना बुरा असर पड़ता है ।

कोआरडिनेशन का मतलव यह है कि एक मुहकमा दूसरे मुहकमे को सहयोग दे । लेकिन हम यहां देखते हैं कि एक मिनिस्टर दूसरे के खिलाफ बयान देता है । हमारे खन्ना साहब कुछ मिनिस्टरों के बारे में कहते हैं कि उन की गैर जिम्मेवारी है, तो हमारे टी० टी० कृष्णमाचारी साहब कहते हैं कि कि लोग बयान ज्यादा देते हैं । एक मिनिस्टर दूसरे का कुसूर निकालता है । उस को अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता पर दूसरे की आंख का तिनका देखता है । तो इस तरह देश का काम नहीं आगे बढ़ सकता । सबसे पहले यह जरूरी है कि जो कारखाने हमारे बीच में लटके हुए हैं उन को पूरा करके उनमें काम शुरू होना चाहिए । यहां सन् १९५९ में वायदा किया गया था कि नए कारखाने नहीं बनाए जायेंगे बल्कि मौजूदा कारखानों की एफीशेंसी बढ़ायी जाएगी । लेकिन उन की एफीशेंसी नहीं बढ़ी और नए कारखाने बन रहे हैं ।

आज बन्दूक या राइफल आउट आफ डेट हो रही है । जो जंगजू कौमें हैं वे उनको इस्तेमाल नहीं करती और जो कौमें उन को इस्तेमाल करती हैं उन पर वह हंसती हैं । लेकिन हम अपने नौजवानों को ट्रेनिंग के लिये ये बन्दूकें और राइफिलें भी नहीं दे सकते । एन०सी०सी० की ट्रेनिंग स्कूल-कालिजों में हम नहीं दे सकते । मेरा निवेदन है कि हथियार जहां से भी मिल सकें मंगवाये जायें । रुपये की बर्बादी को रोका जाये । पानी की तरह बड़ी तादाद में दुराचारों में जो रुपया बह रहा है उस को रोका जाय । मैं बतलाना चाहता हूं कि अकेले कानपुर शहर में ३ लाख रुपया तम्बाकू में खराब होता है । वही ३ लाख रुपया अगर बचा लिया जायें और उस को ज़रूरी हथियारों के काम में लाया जाय तो एक साल के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से यह देश लोहेकी दीबार बन सकता है । आज इस बात की ज़रूरत है कि एक सही इमैजिनेशन और कोआरडिनेशन से काम किया जाय और देश की ज़रूरयात को समझा जाय और उन को पूरा करने के लिए जरूरी क़दम फौरन उठाये जांय ।

जहां तक टैक्सों के देने का सवाल है ग़रीब ज्यादा देते हैं । अमीर उसके मुक़ाबले कम देते हैं । टैक्सों को कौन देते हैं ? टैक्स काश्तकार और मजदूर आदि देते हैं । काश्तकार १७ गुना टैक्स देता है । अब भी किसानों से ५० फीसदी लिया जाता है । किसान अपनी आमदनी का ५० फ़ीसदी टैक्स देता है जब कि श्री बिड़ला अपनी अमदनी का केवल ५ फ़ीसदी ही टैक्स में देते हैं । अरबपति और करोड़पति आदमी अपनी आमदनी का केवल ५ फ़ीसदी बतौर टैक्स के देते हैं जब कि किसान अपनी आमदनी का ५० फ़ीसदी देता है । हैदराबाद के नवाब साहब की २६००० रुपये सालाना तनख्वाह मिलती है लेकिन उन्होंने भारत के सुरक्षा कोष में अब तक एक महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है ।।

[श्री यशपाल सिंह]

बिड़ला साहब का एक साल में ३ अरब रुपये की बचत होती है, ३०० करोड़ रुपये की बचत हुई है लेकिन उन्होंने डिफेंस फंड में अब तक एक अरब रुपया भी नहीं दिया है।

हम डिफेंस फंड के लिए तांगे वालों, रिक्शे वालों, से रुपया मांगते हैं और वह ठीक है कि वे भी आगे आयें और देश की मदद करें और उन्होंने जनरसली कंट्रीब्यूट भी किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े पूंजीपति और सरमायेदार जिनके पास अरबों रुपया पड़ा है और जिन्होंने कि इस मामले में ढ़ील दिखाई है और जनरसली कंट्रीब्यूट नहीं किया है, उनसे रुपया लिया जाये और अगर आवश्यक हो तो इसके लिए क़ानून भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से मैं कहूंगा कि हमारे मिनिस्टरान जब तक कि देश में यह नेशनल क्राइसिस मौजूद रहती है तब तक तनख्वाह न लें। देश के लोगों ने उनको यह सम्मान दिया है और जो देश सम्मान देता है वह आवश्यकता पड़ने पर उनसे कुछ त्याग करने की भी अपेक्षा रखता है। मिनिस्टरों को इस बारे में एक आदेश उपस्थापित करना चाहिए और उन को जब तक यह नेशनल क्राइसिस चलती है जब तक तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए वह जो रुपया बतौर तनख्वाह वगैरह के लेते रहे हैं वे न लें। देश ने उनको यह सम्मान दिया है और जब देश को रुपये की आवश्यकता है तो उस वक्त रुपया देना उन का काम है।

†**श्री पु० र० पटेल** : यह बातें यहां किस प्रकार संगत हैं ?

श्री यशपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे इस को प्रैस न करें। मेरे पास थोड़ा सा समय रहता है। केवल दो मिनट बचे हैं और इसलिए इसके अंदर मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। बाद में वे जो कुछ कहेंगे मैं उसे मान लूगा।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐतराज़ किया है कि आप तांगे वालों और बिड़ला साहब के बीच में कैसे कोआरडिनेशन करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह : कोआरडिनेशन तो मिल मालिकों और मज़दूरों में होना आवश्यक है। जब कैपटेलिस्ट्स और लेबर में कोआरडिनेशन होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। एक मुहकमा आपका है और एक श्री मुरारजी देसाई का है। जब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट कोआरडिनेट नहीं करता तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? आप मेरी स्प्रिट को लीजियेगा। लैटर्स को न लीजियेगा। आज ऐसा नहीं हो जैसा कि हम देखते हैं कि गांवों के अंदर ट्यूबवैल्स बनाये जाते हैं, ट्यूबवैल्स मंजूर हो गये, ट्यूबवैल्स के लिए ४०,००० रुपया चला गया है लेकिन हम देखते हैं कि सीमेंट वाले क्लक्टर साहब के साथ जो हमारे डी० एम० हैं उनके साथ कोआपरेट नहीं करते हैं और डी० एम० साहब लोहे वाले के साथ कोआपरेट नहीं करते हैं जिसका कि परिणाम यह होता है कि एक, एक ट्यूबवैल्स चार, चार साल से रुका हुआ है। इस इनएफिशिएंसी को तभी दूर किया जा सकता है जब कि एक मुहकमा दूसरे मुहकमा के साथ सहयोग करेगा। अब अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सहयोग नहीं करता है तो इस का कौन ज़िम्मेदार है ? इस की ज़िम्मेदारी इस मिनिस्टरी की है। आप की ज्वाएंट रिसपौंसब्लिटी है। अब ज्वाएंट रिसपौंसब्लिटी के माने यह हैं कि एक मुहकमे की दिक्कत दूसरा मुहकमा समझे। आप यह कह कर नहीं बच सकते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक सम्मिश्रित सरकार चला रहे हैं, एक विचारों की सरकार चला रहे हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि इनमें जहां आपसी इख़तलाफ हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अख़बारों में बयान देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ़ प्रैस में रिपोर्टस देते हैं उससे यह बायुमंडल विशाक्त हो जाता है। देश का बायुमंडल तभी मधुर रह सकता है जब यह एक

†मल अंग्रेजी में

दूसरे से प्रेम करें। हम लोग अपोजीशन के ज़रुर हैं लेकिन देश की उन्नति के लिए हम आप से ज्यादा सहयोग दे रहेहैं। आप से ज्यादा खून दे रहे हैं। आप से ज्यादा हम मिलेटरी फोर्स दे रहे हैं। हमारे भाई, भतीजे आदि फौज में देश की रक्षा की खातिर लड़ रहे हैं। मैं इन्ही शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करते हुए यह चाहता हूं कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी इतना ज़रूर करें कि यह हैवी ऐलक्ट्रिकल्स का काम जो बीच में पड़ा हुआ है वह कब तक पूरा होगा और यह देश कब तक सैल्फ सफिशिएंट हो जायगा ? मेरा निवेदन यह है कि कोआरडिनेशन के साथ इस देश को आगे ले जायें।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई—मध्य-दक्षिण) : यद्यपि इस मंत्रालय का नाम इतना जाना पहचाना नहीं मालूम होता, फिर भी हम जानते हैं कि इस के कृत्य वास्तव में पुराने हैं और उन से हम परिचित हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

समन्वय मंत्रालय का सब से महत्वपूर्ण काम यह होना चाहिये कि आपातकाल में संभरण, सेनाओं और हथियारों के पुर्जों के सम्बन्ध में देश की सब आवश्यकताएं देश के अन्दर से ही पूरी की जानी चाहियें और इस मामले में देश को आत्म-निर्भर होना चाहिये। इस काम के लिए बहुत बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने बिजली, कोयला और इस्पात के संभरण के विषय में बहुत उल्लेखनीय काम किया है। आसाम में भी आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय ने बहुत कुछ किया है वहाँ जो कुछ भी पैदा होता है, उसके लिए आर्डर दिये गये थे और ये आर्डर ४५ लाख रुपये के थे। रोड रोलर्ज़ का उत्पादन भी शुरू किया गया है और आशा है कि १९६३ तक इन का उत्पादन ९०० तक हो जायेगा। सेना के लिए ट्रक भी प्राप्त किये गये हैं, जीपों का उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ाया गया है और मोटर साइकिलें भी अधिक संख्या में बनाई गई हैं।

तीन और वस्तुएं जिन की मांग अन्तर्देशीय उत्पादन से पूरी की जाने लगी है, सोडा ऐश, रसायनिक रंग और नाइलान का कपड़ा है।

मुझे मालूम हुआ है कि नौ सेना का गोआ में एक नौ सेना अड्डा स्थापित करने का इरादा है। मैं इस योजना का स्वागत करता हूं यदि ऐसा अड्डा स्थापित कर दिया जाये, तो वहाँ से लोहा अयस्क निर्यात करने में बहुत सहायता होगी, जिस की मात्रा १०० लाख टन है।

समुद्र पार के बहुत से भारतीय सस्थानों को घटाने की आवश्यकता है। इन में से एक लन्दन स्थित इंडिया स्टोर्ज़ विभाग है। यह बहुत फैल गया है और मंत्रालय को इस की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर): मैं आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आर्थिक समन्वय हर एक स्तर पर आवश्यक है। संभरण और उत्सर्जन निदेशालय कई वर्षों से काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि देश में प्रगति के साथ साथ इस विभाग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वास्तव में दो निदेशालय बना दिये गये हैं। एक खरीद के लिए और दूसरा प्रविधिक मार्गदर्शन के लिए। खरीद के बारे में, हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अपनी सब चीज़ें देश के विभिन्न भागों से खरीदें, अर्थात् उन सब क्षेत्रों से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

जहाँ औद्योगिक विकास हो चुका है। मैं मंत्रालय से यह भी कहूंगा कि जहाँ तक देश भर में छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है उन के लिए कच्चा माल देश के अन्दर से लिया जाये और युक्तियुक्त तरीके पर वितरित किया जाये। कच्चे माल का संभरण नियमित रूप से किया जाये। इस से सरकार को कई तरह से लाभ होगा।

इंजीनियरिंग उद्योगों के अतिरिक्त कपड़ा, ऊन, रेशम और रुई उद्योग भी हैं। पैराशूट रेशम के स्थान पर रेयन आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

जहाँ तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, निजी उद्योगपतियों को यह शिकायत रही है कि उन्हें प्रोत्साहन और अवसर नहीं दिये जा रहे। ताकि वे प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए माल संभरित करने में योग दे सकें। यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे देश में एक सुसंगठित गैर-सरकारी उद्योग है, जो कि कई वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। इन उद्योगों के उत्पादन में यथासंभव समन्वय लाया जाये, चाहे वे उद्योग छोटे पैमाने के हों या मध्यम पैमाने के या बड़े पैमाने के, ताकि मंत्रालय को प्रतिरक्षा के लिए पुर्जे या तैयार माल मिल सके। ऐसा करने से गैर-सरकारी उद्योग की शिकायतें दूर हो जायेंगी और सरकार को उस क्षेत्र से भी सहायता मिल सकेगी। देश ने अब निर्णय कर लिया है कि हम अपनी प्रतिरक्षा को यथासंभव मज़बूत से मज़बूत बनायें। किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन में बहुत कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है। हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि हम उचित ज़रियों से पूंजी और टेकनीशन और कच्चा माल ले सकें।

एक और विषय जिस की ओर मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये यह है कि क्या विभिन्न विभागों में जितने पदाधिकारी हैं, उन की संख्या आवश्यकता से अधिक तो नहीं और क्या वे अपने वेतन के बदले पूरा काम दे रहे हैं। दूसरी बात मंत्रालय को यह देखनी चाहिये कि विभागों में दुहरा काम तो नहीं हो रहा है। देखा गया है कि कई विभागों में एक ही काम हो रहा है। एक विभाग में एक ही काम होना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कृषि के बारे में कहा है। उन का यह विचार सही नहीं है कि कृषि का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होना चाहिये। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह राज्यों का विषय है।

मैं श्री कृष्णमाचारी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि विभागों के बीच प्रत्येक स्तर पर समन्वय हो और एक काम को एक से अधिक स्थानों पर न किया जाये। यदि एक काम के लिए एक विभाग है, तो उस को करने के लिए दूसरा विभाग न खोला जाये।

मुझे हर्ष है कि एक प्रविधिक निदेशालय स्थापित किया जा रहा है। इस को बहुत भारी काम दिया जा रहा है। माननीय मंत्री वादविवाद का उत्तर देते समय यह बतायें कि यह संगठन कैसे काम करेगा और इस से देश को कैसे लाभ पहुंचेगा।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यद्यपि श्री कृष्णमाचारी के पास एक पूरा मंत्रालय है, फिर भी उन के मंत्रालय के कृत्यों का ठीक ठीक पता नहीं चलता, क्योंकि इन कृत्यों की विस्तृत रूप से परिभाषा नहीं की गई। मुझे ऐसा कहने में खेद होता है कि इस मंत्रालय को केवल तदर्थ काम सौंपे गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो रिपोर्ट हमें दी गई है उस से प्रकट होता है कि इस को विविध प्रकार के कृत्य सौंपे गये हैं । इसलिए यदि रिपोर्ट अस्पष्ट है तो यह मंत्रालय का दोष है ।

मालूम होता है कि इस मंत्रालय को इसलिए बनाया गया है कि एक एक योग्य मंत्री का हाथ लगने से सरकारी कार्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा । मैं समझता हूं कि उन के अच्छी तरह काम करने में स्वाभाविक रुकावटें हैं । इस मंत्रालय को बनाने में संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं, जिन की जाँच की जानी चाहिये थी और जिन की चर्चा की जानी चाहिये थी । इस के अधीन प्रविधिक विकास विभाग है, संभरण तथा उत्सर्जन विभाग है और आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय भी है जो कि वास्तव में अन्य मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप है । यह मंत्रिमंडल और योजना आयोग के काम में भी हस्तक्षेप है । माननीय मंत्री यह बतायें कि अपने अन्य सहयोगियों को क्रुद्ध न करने के लिये वे किस प्रक्रिया और किन नियमों का पालन करेंगे ।

माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में और सदन के सामने रखी गई रिपोर्ट में अपने कृत्यों के बारे में जो वक्तव्य दिया है, वे अतिशयोक्त पूर्ण हैं । सूचि में जो कृत्य दिये गये हैं, उस में सभी प्रकार के सरकारी कार्य आ जाते हैं । मेरे विचार में सरकार का कोई मंत्रालय ऐसा नहीं होगा, जो कि इस उच्चत्तम मंत्रालय के अधीन नहीं होगा और यह पर्यवेक्षण और समन्वय करने वाले मंत्री प्रशासन की सभी शाखाओं में हस्तक्षेप कर सकेंगे ।

मैं यह भी समझता हूं कि उनपर संसद के सामने उत्तरदायी होने का भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि समन्वय के क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य होगा, उसे मापा नहीं जा सकता । किन्तु जो सूची दी गई है, उससे भी किसी ऐसे व्यक्ति को संतोष नहीं होगा, जो समन्वय के काम में रूचि रखता हो ।

मंत्रालय का प्रशासनिक ढांचा भी बहुत भारी भरकम है । मंत्री, राज्य-मंत्री और उपमंत्री के अलावा दो सचिव, दो अतिरिक्त सचिव, तीन संयुक्त सचिव, पांच उपसचिव और सात अवर सचिव होंगे । इतना अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारी सरकारी कोष पर भार सिद्ध होंगे । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के प्रशासनिक संगठन के बारे में हमें कुछ बतलायें । उन को यह भी बतलाना चाहिये कि क्या सहयोजन की कोई एकीकृत योजना भी है या मंत्रालय का सम्बंध सहयोजन सम्बंधी दैनिक तदर्थ मांगों में ही है ।

संभरण और उत्सर्जन विभाग एक बहुत बदनाम विभाग है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहुंगा कि इस का पुनर्गठन करने तथा इसमें सुधार करने के लिए वे क्या पग उठायेंगे ।

मैं चाहता हूं कि प्रविधिक विकास विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ही रह जाता । किन्तु अब जब कि यह समन्वय मंत्रालय के अधीन आ गया है, मैं जानना चाहता हूं कि प्रविधिक विकास में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए क्या पग उठाये गये हैं । मैं आशा करता हूं कि यह विभाग नये मंत्री के अधीन अधिक नेतृत्व कर सकेगा और अपने काम में अधिक पहल कर सकेगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मैं श्री माथुर की शंकाओं को सही नहीं समझता । निस्संदेह मंत्रालय को अत्यधिक उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं, किन्तु जो चुनौती इसने स्वीकार की है, उसे इस को निभाना पड़ेगा ।

प्रशासनिक ढांचे में आपातकाल के कारण परिवर्तन लाने पड़ेंगे और इसके कारण उन्पन्न हुई कठिनाइयां कई सालों तक जारी रहेंगी ।

जैसा कि श्री आयंगर ने कहा है, समाजवादी समाज स्थापित करने में प्राथमिकताओं को नहीं भूलना चाहिये । इस काम को पूरा करने के लिए हमें पुरानी घिसीपिटी प्रणाली को बदलना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प० र० चक्रवर्ती]

होगा । नये मंत्रालयों को इन कठिनाइयों पर काबू पाना होगा और एक ऐसा नमूना स्थापित करना होगा, जिसकी सहायता से चीनी आक्रमण का मुकाबला करना संभव हो जायेगा ।

औद्योगिक व्यवस्था सम्बंधी अखिल भारतीय संघ ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा कि केन्द्रीय सरकार और सरकारी निकायों की नीति भर्ती, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति के मामले में केन्द्रीय नहीं है । उन अधिकारियों की एक सूची बनानी चाहिए जो सामूहिक हो, क्योंकि इन लोगों की सहायता से ही नये भारत का निर्माण हो रहा है । हमें हर दिशा में सहायता तथा सहयोग प्राप्त कर इस कार्य में समन्वय करना है । विदेशी हमले से देश की प्रतिरक्षा और अपने विकास कार्य को चलता रखने की दृष्टि से, हमें इस मंत्रालय के विविध कार्यों का समन्वय करना होगा । निस्संदेह यह एक बहुत बड़ा उपक्रम है और बड़े साहस का काम है ।

मुझे इस बात की पूरी आशा है कि मंत्रालय प्रशासन सम्बंधी सभी कठिनाइयों को हल कर लेगा । समन्वय और सहयोग का कोई ऐसा मार्ग तलाश कर लिया जायेगा जिससे विभिन्न कृत्यों के सम्बंध में काम बिना किसी कठिनाई के चलता रहे । हमें लोगों के साहस को कायम रखना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य के प्रति उदासीन न हो जायें । इसके लिये बलिदान की आवश्यकता है । यदि हम रचनात्मक आलोचना करें तो यह भी हमारा कर्तव्य है कि रचनात्मक कार्यों में भाग भी लें । हमें किसी भी हालत में निराश नहीं होना चाहिए । इस दृष्टि से मैं मंत्रालय के कार्यों का स्वागत करता हूं ।

यह ठीक ही है कि नये मंत्रालय प्रतिरक्षा उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देगा और देश में इस समय जो आर्थिक विकास की दिशा में कार्य हो रहा है, उस का स्तर कायम रखेगा । कोयला, विद्युत, परिवहन तथा इस्पात और लोहा, इन सब में एक व्यवहारिक आर्थिक समन्वय पैदा करना ही होगा । प्रतिवेदन के अन्तिम पग पर भी यही कहा गया है । मेरा निवेदन है कि मंत्रालय देश में कोयले के परिवहन को और अधिक वैज्ञानिक आधार पर लाने का प्रयत्न करे और परिवहन के लिए "बौक्स" वैगनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए । इससे उत्पादन कार्यों में सुविधा होगी ।

सड़क परिवहन सम्बंधी भी कठिनाइयां हैं । परिवहन मंत्रालय ने मेरे क्षेत्र में १७,३०,००,००० रुपया व्यय करना स्वीकार किया है । परन्तु उसके रास्ते में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय को देश की विभिन्न उत्पादन एजेन्सियों को सुचारू रूप में संगठित करके उनका समुचित समन्वय किया जाना चाहिए ताकि सारा कार्य प्रभावशाली ढंग से हो सके । इन शब्दों से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस नये मंत्रालय की स्थापना से एक लाभ हुआ है, जो काम देर से होते थे, वे अब बहुत शीघ्र होने लगे हैं । यह भी सन्तोष की बात है कि सम्भरण तथा निबटान के महानिदेशक के कार्यालय को काफी अच्छी प्रकार से संगठित कर दिया गया है । इस का परिणाम यह हुआ है कि आयुद्ध कारखानों का उत्पादन बढ़ा है । अभी भी कई स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा संभरण में देरी हो रही है ।

"प्रतिरक्षा सम्पर्क विभाग" (डिफेंस लायजन सैल) का संगठन किया गया है । इसका काम विभिन्न कामों में समुचित रूप से समन्वय करना है । परन्तु मुझे इसके कार्य में सन्देह है । मेरे विचार में यदि हम चाहते हैं कि यह सैल ठीक ढंग से कार्य करे तो हमें अधिक शक्तियां इसे

†मूल अंग्रेजी में

देनी होगी । इसके कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो यह पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर सकेगा । भ्रष्टाचार और पक्षपात की भी कुछ शिकायतें हैं परन्तु आशा करनी चाहिए कि वे दूर हो जायेगी । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे । हमें निराश नहीं होना चाहिए ।

यह बड़े हर्ष की बात है कि हमारे आयुध कारखानों में ऐसे पुर्जों का निर्माण हो रहा है जिनका हम अब तक आयात करते रहे हैं । यह बड़ी उत्साहजनक बात है और इससे यह भी पता चलता है कि प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में हम आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ रहे हैं । क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हम बहुत देर तक आयात की मदों पर निर्भर नहीं रह सकते ।

संभरण तथा निबटान के महा निदेशक तथा अन्य विभागों ने जो अपने अपने निरीक्षण विभाग बना रखे हैं, उनका यह कर्त्तव्य है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए जो भी वस्तु तैयार हो उसका अच्छी प्रकार से निरीक्षण हो । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो चीज ठेकेदारों ने संभारित की हैं वह तय हुई चीज के अनुसार है कि नहीं । यह बड़ी जरूरी बात है । यदि ऐसा नहीं होगा तो १४००० अथवा १५००० फीट की ऊंचाई पर लड़ रहे सैनिक को बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है । यदि ऐसी बात हो तो ठेकेदार को अधिक से अधिक सजा देकर उसे काली सूची में डालना चाहिए ।

एक यह भी प्रश्न है कि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्रों में किया जाय अथवा न । मेरे विचार में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । गैर सरकारी क्षेत्र में ठेकेदारों के बारूद तथा अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की अनुमति कदापि नहीं दी जानी चाहिए । देश की सुरक्षा तथा अपनी विदेश नीति की दृष्टि से यह बात हितकारक नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १६ मार्च, १९६३/२६ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १५ अप्रैल, १९६३

२५ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नो के मौखिक उत्तर	४२०३–३०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८५८	बंगाली रेजिमेंट की स्थापना	४२०३–०६
८५९	श्रमिकों का प्रबन्ध में शामिल किया जाना . .	४२०६–०८
८६०	भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण . . .	४२०८–१०
८६१	समुद्री डीजल इंजन	४२११–१२
८६२	"मिग" के कारखाने	४२१२–१४
८६३	बाल चलचित्रों का निर्माण	४२१४–१६
८६४	विमान परिवहन सेवा	४२१६–१७
८६५	वायु सेना के विमान-चालकों का प्रशिक्षण .	४२१७
८६६	ग्राम श्रम जांच	४२१७–२०
८६७	आकाशवाणी से संसद् की कार्यवाही का प्रसारण . .	४२२०–२४
८६८	पत्रकारिता की संस्था	४२२४–२६
८७१	यूगोस्लाविया से शस्त्रास्त्र . . .	४२२७
८७३	भारत–चीन सीमा–विवाद पर फिल्म . . .	४२२७–३०
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	४२३०–५७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८७०	"आरफियस ७०४ " जैट इंजन . . .	४२३०
८७२	प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय . . .	४२३०
८७४	गुलमर्ग में ब्रह्माण्ड किरण अनुसन्धान केन्द्र . .	४२३१
८७५	विमानों का निर्माण	४२३१–३२
८७७	राजस्थान में नजरबन्द चीनी	४२३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८४४	अखबारी कागज़ का दुरुपयोग	४२३२
१८४५	गोआ में शिक्षा	४२३२–३३
१८४६	पांडिचेरी में शिक्षा	४२३३–३४
१८४७	भूतपूर्व सैनिक	४२३४
१८४८	सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय में अफसर	४२३५
१८४९	पश्चिम बंगाल के रोजगार दफ्तरों में दर्ज व्यक्ति	४२३५
१८५०	स्विटजरलैंड में तिब्बती शरणार्थी	४२३६
१८५१	उड़ीसा में पंचायत उद्योग	४२३६
१८५२	छोन्दवार में अस्पताल	४२३६
१८५३	श्रमिक शिक्षा केन्द्र	४२३७
१८५४	तालचर कोयला खानें	४२३७
१८५५	आयुध कारखानें	४२३७–३८
१८५६	विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशन	४२३८
१८५७	अम्बाला के पास विमान दुर्घटना	४२३८
१८५८	जवानों के लिये कल्याण कार्य	४२३९
१८५९	दौलत बैग औलरी में चोरी	४२४०
१८६०	साइकिल रिक्शा चलाना	४२४०
१८६१	तिब्बती बच्चों का ब्रिटेन में बसाया जाना	४२४०–४१
१८६२	गाजा पट्टी में भारतीय फौज	४२४१
१८६३	मजदूरों सम्बन्धी एक से कानून	४२४१
१८६४	सरदार पटेल की जीवन-गाथा	४२४१–४२
१८६५	पर्वतारोहण संस्थायें	४२४२
१८६६	कसिया (उत्तर प्रदेश) में हवाई अड्डा	४२४२
१८६७	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय मछुए	४२४३
१८६८	सेना विज्ञान	४२४३
१८६९	नेफा में चीनियों का कब्जा सम्बन्धी चित्र	४३४३–४४
१८७०	गोरखों की भर्ती	४२४४
१८७१	जवानों के परिवारों को विशेष भत्ता	४२४४–४५
१८७२	कलकत्ता में जाली परिपत्र	४२४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८७३	आकावाणी का स्वाइली यूनिट . .	४२४५–४६
१८७४	गुआ लौह अयस्क खानों के क्वार्टर . .	४२४६
१८७५	चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी .	४२४६–४७
१८७६	जवानों के लिये डाक सुविधायें .	४२४७
१८७७	सहायक वायु सेना . .	४२४७–४८
१८७८	जल सेना के लिये युद्ध पोत .	४२४८
१८७९	प्रेस सलाहकार समिति	४२४८–४९
१८८०	अखबारी कागज का नियतन . .	४२४९
१८८१	येलान्दू कोयला खानों में घातक दुर्घटनायें . .	४२४९
१८८२	सैनिक चिकित्सा सेवा के लिये डाक्टर .	४२४९–५०
१८८३	प्रत्यर्पण सन्धियां	४२५०
१८८४	पंजाब के लिये तीसरी योजना के लक्ष्य . .	४२५०
१८८५	वायु सेना के रिजर्व सैनिक	४२५०–५१
१८८६	वायु सेना के रिज़र्व सैनिकों के लिये वर्दी भत्ते . .	४२५१
१८८७	एमरजेंसी कमीशन	४२५१
१८८८	वायुसेना उड्डयन कालिज की परीक्षा . . .	४२५२
१८८९	'प्रूफ एण्ड एक्सपैरीमेंटल सेंटर' चांदीपुर . . .	४२५२
१८९०	इल्मेनाइट का चैकोस्लोवाकिया को निर्यात .	४२५२–५३
१८९१	मलाबार क्षेत्र में हवाई अड्डा	४२५३
१८९२	कपड़ो उद्योग के कर्मचारियों के लिये बोनस . .	४२५३
१८९३	एयर इंडिया से कान्सटिलेशन वायुयानों की खरीद .	४२५४
१८९४	पंजाब में स्थानीय विकास कार्य . . .	४२५४
१८९५	घाना के लिये भारतीय अर्थशास्त्री . .	४२५४–५५
१८९७	एन० सी० सी० ट्रेनिंग	४२५५
१८९८	वायुसेना में रंगरूटों की भरती . . .	४२५५
१८९९	लेह और लद्दाख के बीच सड़क	४२५५–५६
१९००	सैनिकों में अत्यधिक ऊंचाई की बीमारी . . .	४२५६
१९०१	भारत में मिसाइलों का निर्माण . . .	४२५६
१९०२	आन्ध्र प्रदेश में रेडियो का वितरण . . .	४२५७
१९०३	लंका में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के लिये धन का इकट्ठा किया जाना	४२५७

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४२५८

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२४ ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०४ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(तीन) २१ मार्च, १९६३ को पश्चिम बंगाल की जमूरिया कोयला-खान की ए और बी खदानों में हुई घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्ष का प्रतिवेदन ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ४२५८

संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ४२५९—९७

(१) इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १६ अप्रैल, १९६३/२६ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा संसद कार्य तथा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार ।

———————

GMGIPND—LS III 373 (Ai) LSD—4-6-63—160.